

सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद-फैजाबाद

अनुक्रमणिका

फैजाबाद

| अध्याय सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|------------|--|-----------|
| 1. | जनपद की पृष्ठभूमि | 1-6 |
| 2. | शैक्षिक परिदृश्य | 7-24 |
| 3. | नियोजन प्रक्रिया | 25-38 |
| 4. | सर्वाशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य | 39-41 |
| 5. | समस्याएं एवं रणनीति | 42-45 |
| 6. | शिक्षा की पहुंच का विस्तार | 46-49 |
| 7. | शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार | 50-66 |
| 8. | ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम | 67-90 |
| 9. | गुणवत्ता संबंधन | 91-114 |
| 10. | परियोजना क्रियान्वयन एक अनुश्रवण | 115-129 |
| 11. | कुल परियोजना लागत | 130-135 |
| 12. | वार्षिक कार्य योजना एवं बजट | 136-137 |

परिचय एवं उद्देश्य

भौगोलिक परिदृश्य —

जनपद फँजाबाद $26^{\circ} 90' - 26^{\circ} 50'$ देशान्तर और $81^{\circ} 30' - 81^{\circ} 85'$ अक्षांश के बीच स्थित है और यह मण्डल मुख्यालय भी है। सम्पूर्ण जनपद सरयू (घाघरा नदी) नदी के दक्षिणी किनारे पर फैला है। इसके पूर्वी छोर पर जनपद अम्बेडकर नगर, पश्चिमी छोर पर जनपद बाराबंकी, उत्तरी छोर पर जनपद गोण्डा एवं बस्ती तथा दक्षिणी छोर पर जनपद सुल्तानपुर स्थित है। जनपद मुख्यालय प्रदेश की राजधानी से 130 किमी दूर है। जनपद अम्बेडकर नगर के बनने से इस जनपद का आकार कमजोर गया था परन्तु जनपद बाराबंकी के वलमौल मर्दौली (चिन्तामण मण्डल मर्दौली एवं मवई) के सम्मिलित होने से जनपद की जनसंख्या में वृद्धि हो गयी है।

सामान्यतया जनपद की भूमि बहुत उपजाऊ है परन्तु सरयू नदी के किनारे की जमीन बरतुई है जिसको माझा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सरयू (घाघरा), तमसा, विरगुठी नदियाँ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। जनपद का औसत तापमान सामान्यतः 43.9° और 3.2° से० के बीच रहता है। औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः 849 मिमी है।

जनपद मुख्यालय बाराबंकी तथा इलाहाबाद से रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है जबकि गोण्डा तथा गोरखपुर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।

ऐतिहासिक परिदृश्य —

जनपद फँजाबाद का भागिर्ह, साम्राज्य और साम्यवृत्तिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भगवान राम की जन्म स्थली 'अयोध्या' जनपद फँजाबाद में स्थित है। प्राचीन इतिहास के महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में काशीक का उल्लेख है जो कि वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, इसी जनपद में स्थित है। रामायण काल में भगवान राम के उत्तराधिकारियों ने भी यहाँ पर शासन किया। महाभारत की लड़ाई में यहाँ पर वृभक्ष नामक शासक था जिसने कौरवों का तरफ से लड़ाई लड़ी और युद्ध में अभिमन्यु को मारा था। महात्मा बुद्ध के काल में यहाँ का शासक 'परीक्षित' था। गुप्त काल के महान शासक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। राजपूत काल में प्रतिहार वंश के शासकों का यहाँ पर शासन था।

1015 में संयुक्त सलार, महमूद गजनवी के भतीजे ने अयोध्या पर आक्रमण किया राजाराम पाल पराजित हुआ। तदुपरान्त अयोध्या पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया। इस प्रकार 'अवध प्रान्त' मुगलमानों के अधीन हो गया और लखनऊ इसकी राजधानी बनी।

1772 में दिल्ली के सम्राट मुहम्मद शाह ने सआदत खान को अवध प्रान्त का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नवाब सुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाई। वाजिद अलीशाह के बाद फैजाबाद अंग्रेजों के अधीन हो गया।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फैजाबाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मोवीर अहमद उल्ला और अनाम नौरानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में भी जनपद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमर शहीद अशफाक उल्ला खाँ को फैजाबाद की पवित्र भूमि पर फांसी से लटकाया गया। भीरुन्द्र मजूमदार, कमल भाई, बाबा राम चन्द्र दाम, बसुधा मित्र आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। महान राजनीतिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक न्याय के प्रणेता आचार्य गेन्द्र देव और डा० राम मनोहर लोहिया की जन्म भूमि जनपद फैजाबाद रही है।

जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जन्म स्थली जनपद फैजाबाद थी। जैन धर्मावलम्बियों के लिए अयोध्या पवित्र स्थान है। कनक भवन (भगवान राम की जन्म स्थली), हनुमान गढ़ी, बाल्मीकि भवन, विरला मंदिर, नया घाट, सूर्यकुण्ड, भरतकुण्ड आदि जनपद के दर्शनीय स्थल हैं।

प्रशासनिक संरचना

जनपद फैजाबाद वर्तमान में 5 तहसीलों एवं 11 विकास खण्डों में विभाजित है। कर्दोली-नरसाल के विकास खण्ड भवई एवं कर्दोली 1997 में जनपद फैजाबाद में सम्मिलित हुए। जनपद में 130 न्याय पंचायत, 729 ग्राम पंचायत एवं 1272 राजस्वग्राम हैं जिनमें से 1239 राजस्वग्राम/गाँव आबाद एवं 33 राजस्वग्राम/गाँव गैर आबाद हैं। 5700 बस्तियाँ हैं, इसी प्रकार जनपद में 2 नगर पालिकाएँ तथा 4 टाउन एरिया हैं।

सामाजिक आर्थिक ढांचा — जनपद फैजाबाद के पिछड़ेपन का मूल कारण निम्नकृषि उत्पाद है। जनपद की अधिकांश भूमि गैर उत्पादकता के कारण आर्थिक स्तर को न्यून करती है।

भाबर एवंतमसा नदियों के गाझा क्षेत्र एवं अमानीगंज, रूतौली, हरिन्दीनगंज, मवई विकास खण्डों की भूमि अधिकांशतः अनुत्पादक होने के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी तथा महिलाओं को गाँव में निम्न स्तर प्रदत्त करता है। मुस्लिम वर्ग में अत्यधिक आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन बालक एवं बालिका में लैंगिक विभेद ही मुस्लिम वर्ग के पिछड़ेपनका मुख्य कारण है। अतः शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण ही जिले का समग्र विकास संभव नहीं हुआ है। जनपद में मुख्यतः गेहूँ, चावल, गन्ना तथा आलू की पैदावार होती है।

परिवहन एवं संचार सुविधाएँ — फैजाबाद जनपद में परिवहन एवं रेल दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जनपद मुख्यालय से इलाहाबाद, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर के लिए परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार जनपद मुख्यालय से लखनऊ, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर से आंग के लिए भी रेल सुविधा उपलब्ध है। जनपद में १२५ किलोमीटर दूरी की रेलवे लाइन बिछी हुई है। पक्की सड़कों की कुल लम्बाई ७०८ किमी० है, जोकि १००० की जनसंख्या पर ४८ किमी० की स्थिति में सुविधा उपलब्ध है। जनपद के समस्त विकास खण्ड मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुए हैं। फैजाबाद में ३७१ डाकघर में से ५० शहरी क्षेत्र में तथा ३२१ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। फैजाबाद में ३५ टेलीग्राफ कार्यालय हैं और पोस्टांशाला तथा एक्सटेंडिड ऑफिस सुविधाओं में जनपद के विभिन्न क्षेत्र आच्छादित हैं।

जनसंख्या एवं साक्षरता —

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1617170 है जिसमें से 850147 पुरुष एवं 766992 महिलाएँ हैं। जनपद का पुरुष/महिला अनुपात 1000 : 900 है। ग्रामीण जनसंख्या 1410933 एवं शहरी जनसंख्या 206237 है।

प्रशासनिक इकाईयां

| प्रशासनिक वितरण | संख्या |
|------------------------|--------|
| तहसील | ५ |
| विकास खण्ड | ११ |
| न्याय पंचायत | १३० |
| ग्राम पंचायत | ७२९ |
| नगर पालिका | २ |
| टाऊन एरिया | ४ |
| कैन्टोनमेन्ट बोर्ड | १ |
| राजस्य ग्राम - १. आबाद | १२३३ |
| २. गैर आबाद | ३९ |
| बस्तियों की संख्या | ५७०० |

स्रोत - आर्थिक समीक्षा २०००-०१ अर्थ एवं संख्याधिकारी, फंजावाद।

जनपद का प्रशासन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, तीन अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के नियंत्रण में रहता है। खण्ड विकास अधिकारी के पास विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओंको क्रियान्वित कराने का उत्तरदायित्व रहता है।

आधारभूत सुविधाएं -

विद्युत सुविधा - लगभग 90 प्रतिशत गांव विद्युत सुविधा से युक्त है। 355 हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण हो चुका है। विद्युत का अधिकतम उपयोग उद्योग, कृषि एवं शैक्षिक क्षेत्रों में किया जाता है।

पेयजल - जनपद के सभी गांवों में पेयजल की सुविधा है।

अनुसूचित जाति जनसंख्या 341457 है जिनमें से 177814 पुरुष एवं 163643 महिलाएँ हैं। १९९१ की जनगणना में २.३८ प्रतिशत की वृद्धि दर के आधार पर उक्त सारणी बनायी गयी है, जिसके अनुसार जनपद फँजाबाद की कुल जनसंख्या २०४९९१८ है, जिसमें पुरुष जनसंख्या १०७७६८४ तथा महिला जनसंख्या ९७२२३४ है।

सारणी १.२

जनसंख्या का विवरण

| क्र.सं. | विकास खण्ड का नाम | १९९१ की कुल जनसंख्या | | | २००१ की अनुमानित कुल जनसंख्या | | |
|---------|-------------------|----------------------|--------|---------|-------------------------------|--------|---------|
| | | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग |
| 1 | शोतागल | 74559 | 69084 | 143643 | 94511 | 87570 | 182081 |
| 2 | मसौधा | 73091 | 64402 | 137493 | 92650 | 81636 | 174286 |
| 3 | पुरा बाजार | 66543 | 60589 | 127132 | 84350 | 76803 | 161153 |
| 4 | मया | 65499 | 61370 | 126869 | 83026 | 77792 | 160818 |
| 5 | अमानीगंज | 66426 | 59636 | 126062 | 84201 | 75594 | 159795 |
| 6 | मिल्कीपुर | 66435 | 62091 | 128526 | 84213 | 78706 | 162919 |
| 7 | हरिगटनगंज | 57018 | 52133 | 109151 | 72276 | 66083 | 138359 |
| 8 | बीकापुर | 63753 | 59699 | 123452 | 80813 | 75674 | 156487 |
| 9 | तारून | 75478 | 70350 | 145828 | 95676 | 89175 | 184851 |
| 10 | खुदोली | 73302 | 65964 | 139266 | 92918 | 83615 | 176533 |
| 11 | मवई | 54288 | 49223 | 103511 | 68815 | 62395 | 131210 |
| | योग | 736392 | 674541 | 1410935 | 933449 | 855043 | 1788492 |
| | शहरी | 113786 | 92451 | 206237 | 144235 | 117119 | 261426 |
| | महायोग | 850178 | 766992 | 1617170 | 1077684 | 972234 | 2049918 |

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण इस प्रकार है—

सारणी १.३

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण

| क्र.सं. | विकास खण्ड | १९९१ की कुल जनसंख्या | | | २००१ की अनुमानित कुल जनसंख्या | | |
|---------|------------|----------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|
| | | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग |
| 1 | सोहावल | 20031 | 18697 | 38728 | 25391 | 23700 | 49091 |
| 2 | भसौधा | 18434 | 16576 | 35010 | 23367 | 21011 | 44378 |
| 3 | पूरा बाजार | 15569 | 14610 | 30179 | 19735 | 18519 | 38254 |
| 4 | भया | 16088 | 15405 | 31493 | 20393 | 1907 | 39930 |
| 4 | अमानागंज | 19376 | 17517 | 36893 | 24561 | 22204 | 46765 |
| 5 | मिलकीपुर | 16847 | 15878 | 32725 | 21355 | 20127 | 41482 |
| 6 | हरिगटनगंज | 13151 | 12431 | 25582 | 16670 | 15757 | 32427 |
| 7 | बीनगपुर | 11942 | 11306 | 23248 | 15138 | 14331 | 29469 |
| 8 | नाम्न | 15044 | 13988 | 29032 | 19070 | 17731 | 36680 |
| 9 | रूदौली | 19530 | 17302 | 36832 | 24756 | 21932 | 46888 |
| 10 | मवई | 11802 | 9933 | 21735 | 14960 | 12591 | 27551 |
| | योग | 177814 | 163643 | 341457 | 225396 | 207430 | 432826 |

स्रोत — जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका १९९६।

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की पहुँच के विस्तार, नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापरक शिक्षा, सूचना तथा शैक्षिक प्रबन्धन आदि के विकास को दृष्टिगत रखते हुए जनपद फैजाबाद को अप्रैल २००० से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III से आच्छादित किया गया है। इसके अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण, अतिरिक्त कक्षाकक्ष का निर्माण, पेयजल हेतु हैंडपंप की स्थापना, भवनों की मरम्मत तथा शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों तथा शिक्षकों के शैक्षिक सपोर्ट तथा शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना में ६-११ आयुवर्ग के सभी वर्ग के बच्चों का गत-प्रतिशत नामांकन ठहराव व गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु शिक्षकों के शिक्षा कौशल के विकास के लिए सेवार्त शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समन्वयक बी.आर.सी. एवं समन्वयक, एन.पी. आर.सी.के. गुणवत्ता सम्बर्द्धन एवं शैक्षिक अनुसमर्थन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सामुदायिक सहभागिता के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया गया है। विद्यालयों में मानव अभिभावक संघ एवं शिक्षक अभिभावक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण, ग्रोम कालीन शिविरों आदि के माध्यम से बालिका शिक्षा की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। अक्षम बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प, कृत्रिम अंग वितरण, सेवान्त अध्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए भाषा एवं गणित में पुनर्बोधोन्मादक प्रशिक्षण प्रदान किये गये। इन तमाम प्रयासों एवं प्रत्याकल्पों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अतएव कक्षा १-८ तक की प्रारम्भिक शिक्षा के गार्नजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जायेगा।

जनपद फैजाबाद की साक्षरता दर कम है, जैसा कि साक्षरता के संबंध में राष्ट्रीय साक्षरता की निम्न सारणियों में देखा जा सकता है—

वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशतके सापेक्ष जनपद फँजाबाद की साक्षरता दर ४९.३३ प्रतिशत है। इसी प्रकार राज्य की ग्रामीण साक्षरतादर के सापेक्ष जनपद की ग्रामीण साक्षरता दर कम है, जबकि शहरी साक्षरता दर अपेक्षाकृत अधिक है। वर्ष १९९१ एवं २००१ की जनगणना की तुलनात्मक सारणी निम्नवत है—

सारणी २.१

साक्षरता दर प्रतिशत में

| क्रमांक | | वर्ष १९९१ | वर्ष २००१ | साक्षरतादर में सापेक्षिक वृद्धि |
|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1 | कुल साक्षरता | 30.38 | 49.33 | 18.95 |
| 2 | ग्रामीण साक्षरता | 27.74 | 44.49 | 16.75 |
| 3 | नगरीय साक्षरता | 66.00 | 65.56 | -0.44 |
| 4 | कुल पुरुष साक्षरता | 42.76 | 58.32 | 15.56 |
| 5 | कुल महिला साक्षरता | 16.63 | 35.65 | 19.02 |
| 6 | ग्रामीण पुरुष | 40.78 | 56.11 | 15.33 |
| 7 | ग्रामीण महिला | 13.46 | 32.32 | 18.86 |
| 8 | शहरी पुरुष | 75.80 | 71.70 | -4.10 |
| 9 | शहरी महिला | 53.60 | 58.35 | 4.75 |

स्रोत — वर्ष १९९१ की जनसंख्या तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र है।

जनपद फँजाबाद की साक्षरता दर का तुलनात्मक अध्ययन देश व प्रदेश की तुलना के आधार पर निम्नवत है—

सारणी २.२

तुलनात्मक साक्षरता (प्रतिशत में)

| वर्ष | पुरुष | | | महिला | | |
|------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| | भारत | उ०प्र० | फँजाबाद | भारत | उ०प्र० | फँजाबाद |
| 2001 | 75.85 | 70.23 | 58.32 | 54.16 | 42.98 | 35.65 |

राष्ट्रीय जनगणना से प्राप्त संख्या के आधार पर जनपद में कुल ११ विकास खण्ड हैं, जि
समें स्थित न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नवत है—

सारणी २.३

| क्रम सं० | ब्लॉक का नाम | न्याय पंचायतों की सं | ग्राम पंचायतों की सं० |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|
| १ | मसौधा | 15 | 71 |
| २ | मया | 16 | 71 |
| ३ | पूरा | 14 | 61 |
| ४ | सोहावल | 12 | 53 |
| ५ | रूदौली | 10 | 90 |
| ६ | मवई | 8 | 47 |
| ७ | अमानीगंज | 11 | 69 |
| ८ | मिल्कीपुर | 10 | 69 |
| ९ | हरिगंटीनगंज | 9 | 55 |
| १० | बीकापुर | 11 | 59 |
| ११ | तारून | 14 | 84 |
| १२ | योग | 130 | 729 |

स्रोत — सांख्यिकी पत्रिका के आधार पर ।

जनपद के चार विकास खण्डों रूदौली मवई मिल्कीपुर एवं अमानीगंज की साक्षरता दर जनपद की औसत साक्षरता दर से कम है। दो विकास खण्ड रूदौली एवं मवई की पुरुष साक्षरता दर जनपद की औसत साक्षरता दर से कम है। ग्रामीण महिलाओं में विकासखण्ड रूदौली, मवई, मिल्कीपुर, हरिगंटीनगंज एवं अमानीगंज की महिला साक्षरता दर जनपद की औसत साक्षरता दर से कम है। उल्लेखनीय है कि जनपद फैजाबाद में १५४९ जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय तथा ८०३५ जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है।

| क्रमांक | विकासखण्ड का नाम | साक्षरता प्रतिशत | | |
|---------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | पुरुष | महिला | योग |
| 1 | बीकापुर | 54.90 | 17.40 | 36.80 |
| 2 | तारून | 52.70 | 18.00 | 35.90 |
| 3 | मसोधा | 59.40 | 23.50 | 42.70 |
| 4 | हरिन्दीनगंज | 48.80 | 12.30 | 31.40 |
| 5 | मिलकीपुर | 46.60 | 12.10 | 29.90 |
| 6 | अमानीगंज | 44.20 | 11.60 | 29.00 |
| 7 | मया | 56.20 | 21.40 | 37.30 |
| 8 | पूरा | 51.10 | 20.50 | 36.60 |
| 9 | सोहवाल | 53.30 | 18.90 | 36.80 |
| 10 | रूदौली | 37.20 | 8.90 | 24.10 |
| 11 | मवई | 34.20 | 8.50 | 22.50 |
| 12 | ग्रामीण योग | 40.78 | 13.36 | 27.14 |
| 13 | शहरी योग | 75.80 | 53.60 | 66.00 |
| | महा योग | 44.08 | 16.75 | 30.38 |

प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर नामांकन — जनपद के पण्डित विद्यालयों में छात्रों के नामांकन की स्थिति शैक्षिक वर्ष २००३-०४ में निम्नवत रही है—

संलग्न सारिणी—२.५ एवं सारिणी—२.६

छात्र नामांकन प्राथमिक विद्यालय

जनपद-फैजाबाद

| क्रम सं० | ब्लाक का नाम | ०६-११ वय वर्ग की कुल संख्या | | | परिषदीय विद्यालयों में नामांकन | | | नान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन | | | अमान्य विद्यालयों में नामांकन | | |
|----------|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|-------------------------------|--------|-----|
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| १ | पूरा | 14401 | 13417 | 27818 | 9701 | 10376 | 20077 | 4684 | 3023 | 7707 | | | |
| २ | मया | 12086 | 12490 | 24576 | 8210 | 8921 | 17131 | 3835 | 3511 | 7346 | | | |
| ३ | मसौधा | 14265 | 14553 | 28818 | 10407 | 11768 | 22175 | 3851 | 2768 | 6619 | | | |
| ४ | सोहावल | 14699 | 13957 | 28656 | 9772 | 10490 | 20262 | 4696 | 3264 | 7960 | | | |
| ५ | मिल्कीपुर | 13817 | 13741 | 27558 | 9443 | 10219 | 19662 | 4360 | 3507 | 7867 | | | |
| ६ | अमानीगंज | 14220 | 13134 | 27354 | 9237 | 9524 | 18761 | 4814 | 3472 | 8286 | | | |
| ७ | हरिगटनगंज | 15135 | 13475 | 28610 | 7672 | 8703 | 16375 | 7103 | 4489 | 11592 | | | |
| ८ | बीकापुर | 14746 | 14208 | 28954 | 9334 | 10260 | 19594 | 4784 | 3380 | 8164 | | | |
| ९ | तारून | 17680 | 15483 | 33163 | 11275 | 12087 | 23362 | 6399 | 3337 | 9736 | | | |
| १० | मवई | 15211 | 12015 | 27226 | 8354 | 7759 | 16113 | 6135 | 3549 | 9684 | | | |
| ११ | रूदौली | 19944 | 17064 | 37008 | 14360 | 12773 | 27133 | 4917 | 3617 | 8534 | | | |
| १२ | नगर क्षेत्र | 9073 | 8099 | 17172 | 3360 | 3657 | 7017 | 5666 | 4399 | 10065 | | | |
| | | 175277 | 161636 | 336913 | 111125 | 116537 | 227662 | 61244 | 42316 | 103560 | | | |

छात्र नामांकन उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद-फैजाबाद

| क्रम सं० | ब्लॉक का नाम | ११-१४ आयुवर्ग में बच्चों की संख्या | | | परिषदीय विद्यालयों में नामांकन | | | मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन | | | विद्यालय न जाने वाले बच्चे | | |
|----------|--------------|------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------|-------|--|--------|-------|----------------------------|--------|------|
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| १ | पूरा | 7205 | 5142 | 12347 | 2665 | 2432 | 5097 | 4418 | 2697 | 7115 | 122 | 13 | 135 |
| २ | मया | 6158 | 6120 | 12278 | 2223 | 2137 | 4360 | 3912 | 3958 | 7870 | 23 | 25 | 48 |
| ३ | मसौधा | 6315 | 5938 | 12253 | 2727 | 2717 | 5444 | 3564 | 3197 | 6761 | 24 | 24 | 48 |
| ४ | सोहावल | 7360 | 5237 | 12597 | 2297 | 2524 | 4821 | 4947 | 2542 | 7489 | 116 | 171 | 287 |
| ५ | मिल्कीपुर | 6711 | 5961 | 12672 | 1683 | 1732 | 3415 | 4975 | 4004 | 8979 | 53 | 225 | 278 |
| ६ | अमानीगंज | 6515 | 5228 | 11743 | 1463 | 1423 | 2886 | 4602 | 3733 | 8335 | 450 | 72 | 522 |
| ७ | हरिगटनगंज | 7982 | 6292 | 14274 | 1904 | 1800 | 3704 | 5824 | 4108 | 9932 | 254 | 384 | 638 |
| ८ | बीकापुर | 5637 | 6025 | 11662 | 2786 | 2682 | 5468 | 2829 | 3296 | 6125 | 22 | 47 | 69 |
| ९ | तारून | 8438 | 7776 | 16214 | 2598 | 2559 | 5157 | 5769 | 5083 | 10852 | 71 | 134 | 205 |
| १० | मवई | 6393 | 5702 | 12095 | 3287 | 2121 | 5408 | 2763 | 3120 | 5883 | 343 | 461 | 804 |
| ११ | रूदौली | 7964 | 6588 | 14552 | 2599 | 1728 | 4327 | 4983 | 4224 | 9207 | 382 | 636 | 1018 |
| १२ | नगर क्षेत्र | 4105 | 4430 | 8535 | 962 | 1182 | 2144 | 3064 | 3152 | 6216 | 79 | 96 | 175 |
| | | 80783 | 70439 | 151222 | 27194 | 25037 | 52231 | 51650 | 43114 | 94764 | 1939 | 2288 | 4227 |

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता — जनपद में २ विश्वविद्यालय, ७ महाविद्यालय, ५६ इण्टरमीडिएट कालेज, ३७ हाई स्कूल, ५२९ पूर्व मा० विद्यालय एवं १६१० प्राथमिक विद्यालय हैं। जनपद के दूरस्थ विकास खण्ड अमानीगंज में स्थित नरेन्द्र देव कृषि विश्व विद्यालय देश में कृषि संबंधी शोधों एवं कृषि प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अयोध्या-फ़ैजाबाद में स्थित संस्कृत पाठशालाओं की भारतीय सांस्कृतिक परम्परा को आगे बढ़ाने में महती भूमिका है। शैक्षिक संस्थाओंका विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

सारणी २.७

शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

| क्रं सं० | विवरण | परिषदीय | | | मान्यता प्राप्त | महायोग | गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय |
|----------|---------------------------------------|---------|------|------|-----------------|--------|------------------------------|
| | | ग्रामीण | शहरी | योग | | | |
| 1 | प्राथमिक | 1113 | 39 | 1152 | 284 | 1436 | 258 |
| 2 | पू.मा.वि. | 362 | 9 | 371 | 218 | 529 | 38 |
| 3 | हाई स्कूल (राजकीय) अशासकीय | 28 | 9 | 37 | | | |
| 4 | इण्टरमीडिएट कालेज (राज./अशा.) | 40 | 16 | 56 | | | |
| 5 | डिग्री कालेज | 3 | 4 | 7 | | | |
| 6 | विश्वविद्यालय | 1 | 1 | 2 | | | |
| 7 | केन्द्रीय विद्यालय | - | 1 | 1 | | | |
| 8 | नवोदय विद्यालय | 1 | - | 1 | | | |
| 9 | संस्कृत पाठशाला | 11 | 20 | 31 | | | |
| 10 | मकतब मदरसे | 26 | 10 | 36 | | | |
| 11 | गुक, बधिर विद्यालय | - | 5 | 5 | | | |
| 12 | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। | - | 1 | 1 | | | |
| 13 | तकनीकी (आई. टी. आई.) | - | 1 | 1 | | | |

स्रोत — जनपद की सांख्यिकी पत्रिका के अनुसार।

परिषदीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में स्थित कुल परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का विकास खण्ड वार विवरण संलग्न तालिका में है —

सारणी—२.८ एवं सारणी—२.९

प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद-फैजाबाद

| क्रम सं० | ब्लाक का नाम | परिषदीय शासकीय | | | मान्यता प्राप्त | | |
|----------|--------------|----------------|-------|------|-----------------|-------|-----|
| | | ग्रामीण | नगरीय | योग | ग्रामीण | नगरीय | योग |
| १ | पूरा | १० | ० | १० | ३१ | ० | ३१ |
| २ | मया | १०१ | ० | १०१ | ३३ | ० | ३३ |
| ३ | मसौधा | १०० | ० | १०० | १८ | ० | १८ |
| ४ | सोहावल | १०१ | ० | १०१ | १७ | ० | १७ |
| ५ | मिल्कीपुर | १० | ० | १० | १७ | ० | १७ |
| ६ | अमानीगंज | १०८ | ० | १०८ | २१ | ० | २१ |
| ७ | हरिगटनगंज | ८८ | ० | ८८ | १८ | ० | १८ |
| ८ | बीकापुर | १०५ | ० | १०५ | ३१ | ० | ३१ |
| ९ | तारून | ११३ | ० | ११३ | २३ | ० | २३ |
| १० | मयई | ७८ | ० | ७८ | ६ | ० | ६ |
| ११ | रूदौली | १३५ | ० | १३५ | १६ | ० | १६ |
| १२ | नगर क्षेत्र | ३९ | ० | ३९ | ५३ | ० | ५३ |
| | | ११५६ | ० | ११५६ | २८४ | ० | २८४ |

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद-फैजाबाद

| क्रम सं० | ब्लॉक का नाम | परिषदीय शासकीय | | | मान्यता प्राप्त | | |
|----------|--------------|----------------|-------|-----|-----------------|-------|-----|
| | | ग्रामीण | नगरीय | योग | ग्रामीण | नगरीय | योग |
| १ | पूरा | ३० | ० | ३० | १२ | ० | १२ |
| २ | भया | २४ | ० | २४ | २५ | ० | २५ |
| ३ | मसौधा | ३१ | ० | ३१ | १५ | ० | १५ |
| ४ | सोहावल | ३० | ० | ३० | १८ | ० | १८ |
| ५ | मिल्कीपुर | २४ | ० | २४ | २७ | ० | २७ |
| ६ | अमानीगंज | २५ | ० | २५ | २६ | ० | २६ |
| ७ | हरिगटनगंज | १४ | ० | १४ | १७ | ० | १७ |
| ८ | बीकापुर | २७ | ० | २७ | १६ | ० | १६ |
| ९ | तारून | २४ | ० | २४ | १६ | ० | १६ |
| १० | भवाई | २१ | ० | २१ | ५ | ० | ५ |
| ११ | रूदौली | २४ | ० | २४ | ११ | ० | ११ |
| १२ | नगर क्षेत्र | ९ | ० | ९ | ३० | ० | ३० |
| | | ३१६ | ० | ३१६ | २१८ | ० | २१८ |

सारणी २.१०

विद्यालयों की उपलब्धता —

| विवरण | १ किमी. से कम दूरी पर विद्यालय | १ किमी. से अधिक १.५ किमी. से कम दूरी पर वि० | १.५ किमी. से अधिक | प्रस्तावित प्रा० वि० / विद्या केंद्र |
|--|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| ऐसे ग्रामों की सं० जिनकी आबादी ३०० से अधिक है। | 1909 | 1241 | 0 | 0 |
| ऐसे बस्तियों की सं० जिनकी आबादी ३०० से कम है। | 1274 | 1276 | 0 | 0 |

सारणी २.११

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्रा० वि० की उपलब्धता—

| विवरण | ३ किमी. से कम दूरी पर उच्च प्रा० वि० | ३ किमी. से अधिक दूरी पर उच्च प्रा० वि० | प्रस्तावित उ० प्रा० वि० / ए.आई.ई. |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| ऐसे ग्रामों की सं० जिनकी आबादी ८०० से अधिक है। | 3392 | 0 | 0 |
| ऐसे बस्तियों की सं० जिनकी आबादी ८०० से कम है। | 2280 | 28 | 28 |

शिक्षकों की उपलब्धता — जनपद में परिषदीय प्रा० विद्यालयों उ० प्रा० विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद कार्यरत संख्या, रिक्त पद एवं शिक्षामित्रों की संख्या निम्नांकित है —

सारणी २.१२

| | सृजित पद | कार्यरत | रिक्त | शिक्षामित्रों की सं० |
|-------------------|----------|---------|-------|----------------------|
| प्राथमिक विद्यालय | 3255 | 2378 | 877 | 2268 |
| उ० प्रा० विद्यालय | 698 | 651 | 47 | - |

जनपद में 1152 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण, हैंडपंपों की स्थापना, भवनों की मरम्मत, शौचालयों के निर्माण के द्वारा भौतिक सुविधाओं को विद्यालयों में उपलब्ध कराया जा रहा है।

सारणी २.१३

जनपद के १०९३ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का विवरण निम्नवत है—

| क्रं सं० | विवरण | विद्यालय संख्या | कुल का प्रतिशत |
|----------|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | भवनहीन | 3 | 0.25 |
| 2 | एककक्षीय विद्यालय | 16 | 1.37 |
| 3 | दो कक्षीय विद्यालय | 870 | 75.25 |
| 4 | तीन कक्षीय वि० | 224 | 19.39 |
| 5 | चार कक्षीय वि० | 29 | 2.51 |
| 6 | चार कक्ष से अधिक | 14 | 1.22 |
| | कुल विद्यालय | 1156 | 100.00 |

11

जनपद में 311 परिषदीय पूर्व मा० विद्यालय स्थित हैं। इनमें भौतिक सुविधाओं की भारी कमी है। जिसमें से 95 विद्यालयों में ही चहारदीवारी, 183 में शौचालय तथा 152 में हैंडपम्प स्थापित हैं। दो विद्यालय तीन कक्षीय, 189 विद्यालय चार कक्षीय तथा 22 विद्यालय चार से अधिक कक्षों के हैं। विभिन्न विद्यालयों में छात्रों के वितरण को देखते हुए अनिश्चित कक्षाकक्षा की आवश्यकता सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत है।

सारणी २.१४

उच्च प्राथमिक स्तर

| क्रमांक | विवरण | विद्यालयों की संख्या | कुल का प्रतिशत |
|---------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1 | भवनहीन | - | |
| 2 | एककक्षीय विद्यालय | - | |
| 3 | दो कक्षीय विद्यालय | - | |
| 4 | तीन कक्षीय वि० | 00 | 00.00 |
| 5 | चार कक्षीय वि० | 270 | 87.00 |
| 6 | चार कक्ष से अधिक | 34 | 10.94 |
| | योग | 311 | 100.00 |

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय।

| क्रमांक | विवरण | विद्यालय की संख्या |
|---------|---------------------------|--------------------|
| 1 | शांन्नालय विहीन विद्यालय | 10 |
| 2 | हैंडपंप विहीन विद्यालय | 21 |
| 3 | चहारदिवारी विहीन विद्यालय | 78 |

प्राथमिक तथा पूर्व मा० स्तर पर जनपट में अवस्थित 1154 प्राथमिक एवं 311 पूर्व मा० विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की भारी कमी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन विद्यालयों की स्थापना, जर्जर विद्यालयों, अतिरिक्त कक्षा, चहार दीवारी, शांन्नालय के निर्माण के माध्यम से प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर भौतिक कमियों को दूर किया जायेगा। वर्ष २००२-०३ के अवशेष तथा वर्ष २००३-०४ के सम्मिलित लक्ष्य के आधार पर भौतिक सुविधाओं की मांग का विवरण निम्नवत है-

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (मांग) तथा पूर्ति

| क्रमांक | आइटम/सुविधा का नाम | भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता | |
|---------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| | | प्राथमिक स्तर | उ० प्रा० स्तर |
| | | ३ | १ |
| १ | विद्यालय पुनर्निर्माण | ६० | ३ |
| २ | अतिरिक्त कक्षा-कक्ष | ३१६ | ० |
| ३ | शांन्नालय | ३८० | ० |

स्रोत:- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इंडीकेटरर्स - हाउस होल्ड सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष २००३-०४ में छात्र नामांकन व जी.ई.आर. और एन.ई. आर. की स्थिति निम्नवत है-

जी.ई.आर. एवं एन.ई.आर. प्राथमिक स्तर

जनपद-फैजाबाद

| क्रम सं० | ब्लॉक का नाम | कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक(जी.ई.आर.) | | | शुद्ध नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) | | |
|----------|--------------|---------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------|-------|
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| १ | पूरा | 99.88 | 99.86 | 99.87 | 95.52 | 95.21 | 95.38 |
| २ | मया | 99.66 | 99.51 | 99.59 | 95.13 | 95.06 | 95.1 |
| ३ | भरौंवा | 99.95 | 99.81 | 99.91 | 94.98 | 94.72 | 94.85 |
| ४ | गोदावल | 98.42 | 98.54 | 98.48 | 94.46 | 94.66 | 94.57 |
| ५ | मिन्नापूर | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 95.81 | 95.22 | 95.55 |
| ६ | अमानागज | 98.82 | 98.94 | 98.87 | 93.85 | 93.59 | 93.72 |
| ७ | हरिन्दनगंज | 97.62 | 97.89 | 97.75 | 93.37 | 93.16 | 93.26 |
| ८ | बागपूर | 95.74 | 96.00 | 95.86 | 91.94 | 91.54 | 91.76 |
| ९ | वाल्म | 99.96 | 99.60 | 99.8 | 95.11 | 94.92 | 95.53 |
| १० | मगई | 95.25 | 94.11 | 94.75 | 91.39 | 91.09 | 91.23 |
| ११ | खर्दोली | 96.65 | 96.05 | 96.37 | 92.63 | 92.36 | 92.5 |
| १२ | नगर क्षेत्र | 99.48 | 99.46 | 99.47 | 94.87 | 94.77 | 94.81 |
| | योग | 98.34 | 98.27 | 98.29 | 94.09 | 93.85 | 94.03 |

2017
सारणी - 2.10

C.B.R. + M.B.R. + P.S.

प्राथमिक-विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद-फैजाबाद

| क्रम सं० | ब्लॉक का नाम | कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक(जी.इ.आर.) | | | शुद्ध नामांकन अनुपात (जी.इ.आर.) | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------|--------|
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| १ | पूरा | 98.3 | 99.74 | 98.9 | 94.15 | 94.82 | 94.51 |
| २ | मया | 99.62 | 99.59 | 99.63 | 95.44 | 95.38 | 95.86 |
| ३ | मसौधा | 99.61 | 99.59 | 99.6 | 95.63 | 95.56 | 95.6 |
| ४ | सोहावल | 98.42 | 96.76 | 97.72 | 94.12 | 94.07 | 94.09 |
| ५ | मिल्कीपुर | 99.21 | 96.22 | 97.8 | 95.69 | 95.52 | 95.59 |
| ६ | अमानीगंज | 93.09 | 98.62 | 95.55 | 90.11 | 94.7 | 92.41 |
| ७ | हरिधनगंज | 96.81 | 93.89 | 95.53 | 92.91 | 90.01 | 91.48 |
| ८ | बीकापुर | 99.6 | 99.21 | 99.4 | 94.77 | 94.63 | 94.7 |
| ९ | तारून | 99.15 | 98.27 | 98.73 | 94.39 | 94.23 | 94.31 |
| १० | भदई | 94.63 | 91.91 | 93.35 | 91.67 | 89.24 | 90.47 |
| ११ | रूदोली | 95.2 | 90.34 | 93 | 92.1 | 87.38 | 89.63 |
| १२ | नगर क्षेत्र | 97.74 | 98.09 | 97.94 | 93.84 | 94.21 | 94.04 |
| | | 97.58 | 96.76 | 97.2 | 93.78 | 93.28 | 93.58. |

प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण—

सारणी २.१९

| | 1997-98 | 2003-04 | प्रतिशत वृद्धि (वार्षिक) |
|--------------------------|---------|---------|--------------------------|
| प्रा० विद्यालय (परिपटीय) | 1010 | 1156 | 2.89 |
| प्रा० अध्यापक (परिपटीय) | 2387 | 3255 | 7.27 |

स्रोत:— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

इस प्रकार विद्यालयों की संख्या में २.८९ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, तथा अध्यापकों की संख्या में ७.२७ की वार्षिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार योजनान्तर्गत शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में सफल प्रयास हुए हैं।

ड्राप आउट दर तथा लक्ष्य —

सारणी २.२०

| वर्ष | कुल | बालक | बालिका |
|-----------|-------|------|--------|
| 1999-2000 | 56.64 | 52 | 63 |
| 2003-2000 | 23.00 | 16 | 28 |

विद्यालय स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर एकत्र किये गये आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत दो वर्षों में ड्रापआउट ५६.६४ प्रतिशत से घटकर २३.०० प्रतिशत रह गई है। बालक—बालिका ड्राप आउट दर में अन्तर में भी विद्यमान है। इस दिशा में डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ड्राप आउट दर को शून्य करने का प्रयास किया जायेगा।

प्राथमिकस्तर पर रिपीटीशन दर—

सारणी २.२१

| वर्ष | रिपीटीशन दर | ५ कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या |
|-----------|-------------|---|
| 2001-2002 | 2.59 | 6.22 |
| 2002-2003 | 1.96 | 5.73 |
| 2003-2004 | 1.69 | 5.18 |

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष २००१-०२ में रिपीटीशन दर २.५९ डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत ठहराव, नामांकन तथा गुणवत्ता सम्बर्द्धन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप २००२-०३ में रिपीटीशन दर घटकर १.६९ हो गई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त में कमी के लिए प्रयास किया जायेगा।

सारणी २.२१

शिक्षण प्रणाली (२००२-०३)

| क्र. सं० | विवरण | स्थिति |
|----------|-------------------------------------|--------|
| 1 | अध्यापक छात्र अनुपात | 1:41 |
| 2 | एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत | 7.05 |
| 3 | छात्र कक्षानुपात | 87.26 |

स्रोत:— ई.एम.आई.एस के आँकड़े।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं तथा परिपटीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भी की जा रही है। शासन द्वारा विशिष्ट बी०टी०सी० के अन्तर्गत विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत १५९५ शिक्षामित्रों के पद सृजन के फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों एवं अध्यापक छात्र अनुपात में कमी आयी है। साथ ही नामांकन व ठहराव में वृद्धि के कारण वर्तमान में छात्र अध्यापक अनुपात १:४१ तथा एकल विद्यालयों का प्रतिशत ७.०५ है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ६०० लक्ष्य के सापेक्ष ५०० अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से छात्र कक्षा अनुपात में सुधार हुआ है। वर्तमान में यह ८७.२६ है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पैराटीचर्स की नियुक्ति एवं परिपटीय अध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजन के द्वारा निर्धारित मानक १:४० पर लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष २००३-०४ से वर्ष २००६-०७ की अवधि में प्राथमिक स्तर पर २१० शिक्षक/शिक्षा मित्र एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर ८९३ शिक्षक/शिक्षा मित्र की माँग की गई है। छात्र कक्षा अनुपात निर्धारित मानक १:४० पर लाने हेतु प्राथमिक स्तर पर लगभग ३४२९ एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर ४२२ अतिरिक्त कक्षाकक्षाओं का निर्माण करना होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में सापक्ष वृद्धि

आपरेशन ब्लैक बोर्ड एवं सर्व शिक्षा के अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता एवं असेवित क्षेत्रों एवं नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना से नामांकन में क्रमिक वृद्धि हो रही है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है -

| वर्ष | बालक | बालिका | योग |
|---------|-------|--------|--------|
| २००१-०२ | ५३८७० | ३६०८० | ८९९५० |
| २००२-०३ | ५६९१२ | ४६५२९ | १०३४४१ |
| २००३-०४ | ८१५१० | ६५४८५ | १४६९९५ |

स्रोत - कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद।

उच्च प्राथमिक में कक्षावार नामांकन वृद्धि

| वर्ष | कक्षा ६ | कक्षा ७ | कक्षा ८ | योग |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| २००१-०२ | ३४६२० | २९५८३ | २५७४७ | ८९९५० |
| २००२-०३ | ३९६९६ | ३३६३९ | ३०१०६ | १०३४४१ |
| २००३-०४ | ५८७९८ | ५१४४८ | ३६७४९ | १४६९९५ |

वर्ष २००१-०२ से २००३-०४ की अवधि में कक्षा ५ उत्तीर्ण छात्रों के कक्षा ६ में नामांकन की दर में लगातार वृद्धि हुई है जो निम्न सारणी में स्पष्ट है -

ट्राजिसन रेट २००२-०३

| वर्ष | कक्षा ५ | कक्षा ६ | ट्राजिसन रेट |
|---------|---------|---------|--------------|
| २००१-०२ | ३८९७८ | ३६३४८ | ९१.७१ |
| २००२-०३ | ४१७८४ | ३९६९६ | ९४.७८ |
| २००३-०४ | ४५९१३ | ४४१८२ | ९६.२३ |

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि —

| वर्ष | २००२-०३ | २००३-०४ | वृद्धि (प्रतिशत में) |
|---------------|---------|---------|----------------------|
| उच्च प्रा०वि० | १७३ | ३११ | ७९.७६ |

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात —

| | वर्ष २००१-०२ | वर्ष २००२-०३ |
|-----------------|--------------|--------------|
| ग्रामीण क्षेत्र | ३.३४:१ | ३.१८:१ |
| नगर क्षेत्र | २.३८:१ | २.३८:१ |

योजना निर्माण प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान, राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने सम्बन्धी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष २००७ तक ६-१४ वय वर्ग के देश के सभी बच्चों को उपयोगी तथा गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है ताकि भारतीय संविधान में उल्लिखित कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालय पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित केंद्रित परक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम द्वारा शिक्षा का सार्वजनीकरण करते हुए समाज में व्याप्त असमानता यथा—लिंगभेद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद आदि को दूर करते हुए समाज में समरसता एवं भाईचारा की भावना को विकसित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में ऐसे प्रयासों की संकल्पना की गई है जिससे सामुदायिक महभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर से निचले स्तर तक 'कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण' सुनिश्चित हो सके। संविधान की मूल भावना के अनुरूप विकेन्द्रीकरण को साकार रूप देने के लिए प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाते हुए पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्त्व दिया गया है। इसका प्रयोजन यह है कि प्रत्येक बस्ती/मजरे तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के ६-१४ वय वर्ग के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाए। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों/ग्राम के उत्साही एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों को इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करते हुए ग्राम शिक्षा योजना एवं स्कूल मानचित्रण किया जाय।

डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत जनपद में परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र पूर्ण कराने का कार्य हो चुका है। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन ग्राम पंचायतवार करके 'ग्राम शिक्षा योजना' पंजियाँ तैयार की हो गई है। इनके आंकड़े जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं। वार्षिक कार्ययोजना ०३-०४ में इनके आंकड़ों का समावेश किया गया है। सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नांकित सूचनाएँ एकत्रित की गई —

१. ६-११ वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
२. विद्यालय परिपदीय/राजकीय(मान्य/अमान्य) तथा विद्याकेन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
३. शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चे एवं विद्यालय व विद्याकेन्द्र आदि में न जाने के कारण।
४. यदि बस्ती/मजरे में विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र/विद्या केन्द्र नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय/विद्या केन्द्र खोलने की आवश्यकता है ?
५. यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्राम वासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं ?
६. क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है ?
७. यदि नहीं तो इनके सुधार के लिये ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं ?
८. क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती १ : ४० के अनुपात में है ? यदि नहीं तो कितने अध्यापकों की आवश्यकता है ?
९. क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं ?
१०. शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन पूरा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्रामवासियों के सहयोग से किये गए —

१. परिवार सर्वेक्षण।
२. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्रण।
३. सूचनाओं का विश्लेषण।
४. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी —

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्प्राही युवक युवतियों, शिक्षकों/शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गाँव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गाँव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गाँव की सम्पूर्ण स्थिति की दर्शाया जायेगा। ग्राम सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्राम वासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना करायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नांकित सूचनायें एकत्र की गई —

१. बस्ती की पूरी जनसंख्या।
२. विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या।
३. स्त्री-पुरुष की जनसंख्या।
४. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
५. बाळ श्रमिकों के विषय में जानकारी।
६. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी।
७. बालिका शिक्षा की स्थिति ।

उपर्युक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों के विचार विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों बस्तियों के विवरण को संगठित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के लिये प्रत्येक घर पर जाकर सूचनाएँ एकत्र की गई, ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनाएँ उपलब्ध हो सकें। इन सभी सूचनाओं को ग्राम स्तर पर रखा गया तथा आँकड़े विकास खण्ड स्तर पर संकलित किये गये ताकि उनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके।

हाउस होल्ड सर्वे :

जनपद में माह मई २००३ में जनपद के समस्त अभ्यापकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे का कार्य सम्पादित कराया गया। इस हेतु जनपद के समस्त परिवारों के ०-१४ वय वर्ग के स्कूल जाने वाले एवं न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण किया गया। विद्यालय न जाने के कारणों की भी पहचान की गई। परिवार सर्वेक्षण पत्रों को भरने के उपरान्त इनका संकलन मजरे वार, ग्राम पंचायतवार, न्याय पंचायतवार किया गया। मजरेवार संकलित पत्रों की डाटा इन्ट्री कम्प्यूटर पर की गई। संकलित पत्रों में विद्यालय जाने वाले, विद्यालय न जाने वाले तथा कुल बच्चों की संख्या, विद्यालय न जाने के कारण, विकलांग बच्चों की संख्या, विकलांगता के प्रकार का विवरण मजरेवार एवं आतिवार भरा गया। विकास खण्डवार हाउस होल्ड सर्वे २००३ — एक संकलन की १ से ११ एवं ११ से १४ वय वर्ग की सारिणी संलग्न है।

संकेत प्रपत्र: ३

जिले का नाम: फ़ैजाबाद

परिवार सर्वेक्षण - संकलन प्रपत्र सार वर्ष २००३-०४

| जाति | कुल बच्चों की संख्या | | | | स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या | | | | स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या | | | | | | विकलांग बच्चों की संख्या | | | |
|-------------|----------------------|-------|--------|-------|----------------------------------|-------|--------|-------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|-------|--------|-------|
| | बालक | | बालिका | | बालक | | बालिका | | बालक | | | बालिका | | | बालक | | बालिका | |
| | ६-११ | ११-१४ | ६-११ | ११-१४ | ६-११ | ११-१४ | ६-११ | ११-१४ | ५+ से ६+ | ७ से १०+ | ११ से १४ | ५+ से ६+ | ७ से १०+ | ११ से १४ | ६-११ | ११-१४ | ६-११ | ११-१४ |
| सामान्य | 32852 | 16861 | 28518 | 14473 | 30311 | 16395 | 26275 | 13928 | 2079 | 462 | 466 | 1785 | 458 | 545 | 185 | 87 | 95 | 50 |
| अनुजाति | 46214 | 20217 | 39961 | 15801 | 41203 | 18799 | 35379 | 14085 | 3469 | 1542 | 1418 | 3031 | 1551 | 1716 | 354 | 173 | 218 | 87 |
| अनुजनजाति | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पिछड़ी जाति | 73643 | 33110 | 62984 | 26821 | 66298 | 31080 | 55855 | 24419 | 5334 | 2011 | 2030 | 4672 | 2457 | 2402 | 477 | 226 | 270 | 150 |
| अल्पसंख्यक | 28404 | 13184 | 24337 | 10755 | 25632 | 12158 | 22036 | 9592 | 1782 | 990 | 1026 | 1359 | 942 | 1163 | 244 | 104 | 104 | 60 |
| योग | 181113 | 83372 | 155800 | 67850 | 163444 | 78432 | 139545 | 62024 | 12664 | 5005 | 4940 | 10847 | 5408 | 5826 | 1260 | 590 | 687 | 347 |

* विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

* विकलांग बच्चों के कारण

| कारण | ५ + से ६ + | | ७ से १० + | | ११-१४ | |
|----------------------------------|------------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका |
| १. अपने घर के कामों में लगे रहना | 987 | 1150 | 1456 | 1593 | 1547 | 1867 |
| २. मजदूरी में लगे रहना | 129 | 100 | 189 | 196 | 815 | 434 |
| ३. भाई बहनों की देख भाल | 1123 | 1033 | 924 | 2057 | 460 | 1926 |
| ४. विद्यालय दूर होने के कारण | 750 | 368 | 485 | 355 | 192 | 1203 |
| ५. अन्य | 9675 | 8196 | 1951 | 1207 | 1926 | 396 |

| कारण | बालक | | बालिका | |
|--------------------|------|-------|--------|-------|
| | ६-११ | ११-१४ | ६-११ | ११-१४ |
| १. दृष्टि | 188 | 37 | 49 | 29 |
| २. सुनना | 178 | 32 | 34 | 19 |
| ३. बोलना | 197 | 44 | 47 | 27 |
| ४. अधिमान क्षमता | 175 | 35 | 43 | 26 |
| ५. मानसिक मन्दता | 113 | 59 | 55 | 39 |
| ६. शारीरिक अक्षमता | 278 | 230 | 292 | 126 |
| ७. अन्य | 131 | 151 | 165 | 81 |

* विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले/विकलांग बच्चों की संख्या भरी जायेगी ।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गई जहाँ पर मानक के अनुरूप नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। ऐसे स्थलों पर नवीन विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गई, जिसमें शिक्षा गारण्टी योजना एवं नवाचार शिक्षा योजना के केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं।

स्कूल चलो अभियान

उत्तर प्रदेश शासन के दिशानिर्देशों के क्रम में 6-14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिये स्कूल चलो अभियान आयोजित किया गया। अभियान के प्रथम चरण में स्वयंसेवी संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावक, समुदाय, प्रशासनिक तन्त्र की सहायता से नुक्कड़ नाटक, रैली, प्रभात फेरी आदि के द्वारा व्यापक स्तर पर जन सम्पर्क करते हुए वातावरण सृजन किया गया। जनपद स्तर पर दिनांक 11 जुलाई 2003 को माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री राम अचल राजभर द्वारा रैली का शुभारम्भ किया गया। रैली में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, सहायक शिक्षा निदेशक एवं समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। रैली के उपरान्त गोप्टी का आयोजन हुआ। अभियान के द्वितीय चरण में चिन्हित बच्चों को नामांकन कराया गया अवशेष के लिये कार्ययोजना/क्रियान्वयन के द्वारा बच्चों के नामांकन का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान की समाप्ति पर जनपद की स्थिति निम्न मागणी से स्पष्ट है।

सारणी ३.२

(६-१४ वय वर्ग की स्थिति)

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन — वर्ष २००३

| क्रम सं० | विवरण | बालक | बालिका | योग |
|----------|---------|-------|--------|-------|
| १ | चिन्हित | २२७७९ | २२०८१ | ४४८६० |
| २ | पंजीकृत | १७८९२ | १६०१० | ३३९०२ |
| ३ | अवशेष | ६८४७ | ५०७१ | ११९१८ |

स्रोत — कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

सारणी ३.३

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन—

(वर्ष २००३ व २००४)

| क्रमांक | वर्ष | चिन्हित | नामांकित | | |
|---------|---------|---------|----------|--------|--------|
| | | | बालक | बालिका | योग |
| १ | २००२-०३ | ५३०८८ | २४५९० | २३९९८ | ४८५८८ |
| २ | २००३-०४ | ५४५९२० | २६८६२ | २६०९० | ५२९७१२ |

गर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकेंद्रिकृत नियोजन की प्रणाली अपनाई गई जिसमें बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्यवाही की गई ।

फँजाबाद जिले में सर्व शिक्षा अभियान की प्रासपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये —

१. नियोजन टीम का गठन :

फँजाबाद जनपद में सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रासपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु श्री राजा भानु प्रताप सिंह, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, फँजाबाद की अध्यक्षता में एक कोर टीम का गठन किया गया जिसमें अन्य सहयोगी सदस्य निम्नवत रहे —

सारणी ३.४

| क्रम सं० | नाम | पद |
|----------|--------------------------|---|
| १ | श्री राज कमल गेहरोत्रा | महा०वित्त एवं लेखाधिकारी, फँजाबाद। |
| २ | श्रीमती गगना सिंह | जिला समन्वयक, फँजाबाद। |
| ३ | श्री संतोष कुमार मिश्रा | जिला समन्वयक, फँजाबाद। |
| ४ | श्री अनिल कुमार मिश्रा | जिला समन्वयक, फँजाबाद। |
| ५ | श्री सतीश कुमार त्रिपाठी | जिला समन्वयक, फँजाबाद। |
| ६ | श्री जानेन्द्र सिंह | जिला समन्वयक, फँजाबाद। |
| ७ | श्री प्रलय मुखर्जी | कम्प्यूटर आपरेटर, डी.पी.ई.पी., फँजाबाद। |

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, फँजाबाद की अध्यक्षता में शिक्षाविद, जिलास्तरीय अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना निर्माण हेतु विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों, समुदाय एवं स्वयं सेवा संस्थाओं के सहयोग से शिक्षा के भावजनोकरण के मार्ग में आने वाली समस्याओं का चिन्हांकित किया जाये एवं उसके अनुरूप वार्षिक कार्य योजना बनाया जाये। साथ ही साथ निचले स्तर पर नियोजन हेतु बस्तियों, ग्रामों में बैठकें की जाये व ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं समुदाय के जागरूक व्यक्तियों एवं शिक्षाविदों से सम्पर्क किया जाए तथा उनका सक्रिय सहयोग लिया जाए। इसी क्रम में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर निम्न विवरण के अनुरूप बैठकें/कार्यशालाएँ आयोजित की गई —

नियोजन प्रक्रिया में सहभागितायुक्त कार्यवाही का विवरण (ग्रामस्तर)

सारणी ३.५

| क्र. सं. | जनपद/ ब्लॉकस्तर | दिनांक | स्थान | प्रतिभागीगण | वैठक/विचारविमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण |
|----------|--------------------|------------|-------------------------------|---|--|
| २ | फँजावाद | २०.०१.२००३ | बी.एस.ए. कार्यालय | समस्त सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, समन्वयक बी.आर.सी. | १. निचले स्तर की समस्याओं का चिन्नीकरण तथा योजना निर्माण में सहायक आंकड़ों का संकलन। |
| ३ | बीकापुर | २१.०१.२००३ | चौर बाजार | अधिकारी-० महिला प्रधान-८ बहुउद्देशीयकर्मी-४ अध्यापक-१० अभिभावक-१५ | १. समाज में बालिकाओं/महिलाओं को बराबरी देने की आवश्यकता। २. बालिकाओं का विद्यालय में अधिक नामांकन। ३. अध्यापकों की कमी। |
| ५ | भोहावल | २२.०७.२००३ | मंगलमी (ग्राम पंचायत स्तर) | अधिकारी-६ प्रधान-८ अभिभावक-२८ अध्यापक-१५ अन्य - १० | १. पिछड़ी जातियों व अनु०जातियों में शिक्षा पर विशेष बल। २. पिछड़ी जाति के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दिले जाने पर बल। ३. शिक्षा का गिरता स्तर। ४. बालिका शिक्षा। |
| ६ | रूदौली | २२.०७.२००३ | हलीमनगर | अधिकारी-५ प्रधान-८ अध्यापक-१५ अभिभावक-२६ अन्य-१३ | १. अल्प संख्यकों की शिक्षा में कमी। २. समाजिक सुदृष्टियों व शिक्षा। ३. अध्यापक की उपस्थिति व उनका कार्य। ४. परीक्षा फल। |

| | | | | | |
|----|-----------|------------|-----------------------|--|---|
| 3 | भरई | 23.03.2003 | मकदूमपुर पंचायत स्तर) | अधिकारी-3 प्रधान-6 अध्यापक-22 अभिभावक-23 अन्य-6 | 1. विद्यालय का शैक्षिक वातावरण 2. अध्यापकों की म्यानीय गजनीति में रूचि । 3. अध्यापकों में शिक्षा देने के अलावा अन्य कार्य न किया जाना 4. विभागीय ऑकड़े कम माँगे जाए |
| 4 | मिल्कीपुर | 2.06.2003 | इनायत नगर | अधिकारी-4 प्रधान-6 अध्यापक-34 अभिभावक-14 अन्य-4 | 1. महिलाओं को बराबरी का दर्जा कें में दिया जाए । 2. बालिकाओं का शिक्षा पर जोर 3. शिशु स्वास्थ्य व शिक्षा । 4. खेल-कूद और विद्यालय । 5. गुणवत्तापरक शिक्षा 6. कार्यानुभव परक शिक्षा |
| 9 | अमानीगंज | 22.06.2003 | खण्डासा | अधिकारी-8 प्रधान-9 अध्यापक-24 अभिभावक-26 अन्य-10 | 1. शिक्षा की आवश्यकता व उसका महत्व । 2. क्या अधिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है 3. प्रामों की शिक्षा स्तर पर सुधार 4. गुणवत्ता परक शिक्षा |
| 10 | ताम्न | 2.9.2003 | ताम्न | अधिकारी-4 प्रधान-13 बहुउद्देशीयकर्मा-4 महिलाए-24 अध्यापक-14 | 1. शिक्षा का गिरता स्तर । 2. अध्यापकों की कमी । 3. समाजिक कृरीतियों व उममें शिक्षा का योगदान । |

| | | | | | |
|----|------------|----------|-----------|--|--|
| | | | | अभिभावक-१७ अन्य-५ | ८.बालको का स्वास्थ्य । ५.भुमन्तु लोगो की शिक्षा व्यवस्था |
| ११ | मया बाजार | ३.९.२००३ | गोशार्डगज | अधिकारी-४ प्रधान-६ महिलाए-१५ सभापति-३ अभिभावक-१८ अन्य-० | १.पिछड़ी जातियों में शिक्षा का विस्तार कम क्यों है उपाय । २.स्थानीय स्तर पर विभिन्न विरोध संगठनोंओ सम्बन्धी शिक्षा यथा तैगकी, कुम्हारी, लोहारी आदि । ३.पिछड़ी जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति । ४.महिला शिक्षा । ५.जनसंख्या को शिक्षा द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाए । |
| १२ | पूरा बाजार | ४.९.२००३ | पूराबाजार | अधिकारी-५ प्रधान-९ अभिभावक-२५ अन्य-५ | १.शिक्षा में टी०वी०, मिनेमा आदि की भूमिका । २.शिक्षा सुधार । ३.सामाजिक कुरीतियाँ एवं शिक्षा ४.नवीन शिक्षा योजनाए और शिक्षा ५.मानव बुद्धि, अन्ध एवं बधिर बालको की शिक्षा व्यवस्था । ६.स्कूल न जाने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था । |
| १३ | मसौधा | ४.९.२००३ | पलियानोवा | अधिकारी-५ प्रधान-५ छात्र प्रमुख-१ पी डी सी. - ३ अभिभावक-१५ शिक्षा प्रेमी-६ | १.मलिन बस्तियों में अधिक गरीबी में रहने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था । २.क्या बच्चों/छात्रों को शुल्क जरूरी है ३.खाद्यान्न (मिड-डे-मील) योजना और बच्चे । |

| | | | | | |
|----|----------|----------|--------------------|--|---|
| | | | | | <p>८. गणवेश और शिक्षा ।</p> <p>९. व्यायाम और विद्यार्थी ।</p> |
| १४ | भैंजाबाद | ५.१.२००३ | बी.ए.ए. का यालय | सम्पन्न सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक, नगर शिक्षाधिकारी, समन्वयक, सह समन्वयक, बी.आर.सी. | १. कार्ययोजना के भौतिक एवं शैक्षिक पक्षों की समीक्षा तथा कार्ययोजना में समाहित समुदाय बस्तियों, ग्राम, न्याय पंचायत स्त आदि की समस्याओं के समावेश एवं तदनु रूप निर्मित योजना के मंताप व्यक्त किया गया । |

पुनः बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने दिनांक ३.९.२००३ को सर्वाशिक्षा अभियान की समीक्षा के सम्बन्ध में जिला परियोजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में योजना के भौतिक/शैक्षिक लक्ष्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई । उहराव, पहुँच, गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में बनाई गई योजना के प्रति समिति द्वारा मंताप व्यक्त किया गया ।

२. ब्लॉक स्तर पर विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बैठकें की गई । बैठक में सर्व शिक्षा अभियान को आरम्भ करने से पूर्व समुदाय की शिक्षा के प्रति क्या सोच है उनकी किस प्रकार की शिक्षा की अपेक्षा है तथा वह इसमें किस प्रकार की सहयोग कर सकते हैं आदि विषयों पर समुदाय से चर्चा की गई। एफ०जी०डी० से क्षेत्र विशेष की समस्याओं को चिन्हित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान का पर्याप्तित्व प्लान तैयार करते समय उसका ध्यान रखा गया। समाज के कुछ व्यक्ति होते हैं जो इस तरह के कामों पर बड़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिनका कार्यक्रम चलने पर 'सम्पर्क व्यक्ति' (कान्टैक्ट परसन) सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सहयोग ले सकते हैं। संदर्भ व्यक्तियों की पहचान, स्वयंसेवी संस्थाओं की पहचान, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की सोच उनकी सहयोग आदि की जानकारी, यह एफ०जी०डी० से ही हो सकी। यह कार्य एक अन्द्री वार्षिक कार्य योजना में सहायक सिद्ध हुआ ।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले में एफ०जी०डी० टीम का गठन किया गया। उसमें वे अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने प्लान बनाने के लिये मीमेट, इलाहाबाद के

तत्वाधान में आयोजित कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त डी०पी०ई०पी० के जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी०आर०सी०, एन०पी०आर० सी०, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों, ग्रयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, तगाग विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों से सहयोग मिला। एफ०जी०डी० के निष्कर्षों से प्लान की आवश्यकता आधारित (नीडवेस्ट) प्लान बनाने में सहायता मिली ।

पुर्व परियोजना गतिविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रधान, पंचायत सदस्य, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको तक यह संदेश एन०पी०आर०सी० के द्वारा दिया गया । ग्राम शिक्षा समितियों को अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय के सहभागिता पर निर्भर करता है । इसकी योजना एफ०जी०डी० के जरिये समाज की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन 'ग्रास रूट लेवल प्लानिंग ' के आधार पर निर्मित की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के हर तबके के सहयोग से होगा । विशेष कर ग्राम पंचायतों को इसके नियोजन/प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे । अनुश्रवण और मूल्यांकन सम्बन्धी भी उनकी भागीदारी होगी स्वयं सेवी संस्थाओं की सशक्त भागीदारी होगी ताकि वास्तविक अर्थों में यह जनता का अभियान बन सके ।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सी/विभागों से समन्वय व सहयोग -

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है -

(अ) समेकित बाल विकास/कार्यक्रम अधिकारी से समन्वय- —डी०पी०ई०पी० योजना के तहत १०० केंद्रों का प्रस्ताव है जिसमें प्रथम चरण में जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वय बालिका शिक्षा, स्वास्थ्यकर्मी, एन०जी०ओ० आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है। आई०सी०टी०एस० के साथ समन्वय निम्न प्रकार स्थापित किया जायेगा -

१. ऑगनबाड़ी केंद्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जायेगा ।
२. ऑगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उसके निकट की जाती है ।
३. ऑगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है ।
४. केंद्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है ।
५. केंद्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है ।

(ब) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय/सम्पर्क — —

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिपटीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिससे चिन्हित रोगी छात्र—छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावक को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके । स्वास्थ्य कार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जायेगा । स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएँ ली जायेंगी । चिकित्सकों के आने जाने की व्यवस्था विभाग से की जायेगी ।

(स) समाज कल्याण विभाग से समन्वय — —

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने हेतु क्रमशः ३८० व ४८० रुपये प्रति छात्र की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

(द) ग्राम पंचायतों से समन्वय — —

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्रामपंचायतों के सहयोग से ग्रामपंचायत भूमि प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है तथा ग्राम शिक्षा समितियाँ अभ्यापकों की उपस्थिति आदि बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२ की धारा ११ के अन्तर्गत के अन्य कार्यों के साथ सम्पादित करेगी ।

(य) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय —

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में ८० प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र—छात्रा को तीन किलोग्राम प्रति छात्र की दर में पोषाहार योजना अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा ।

(र) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय —

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र—छात्राओं को उपकरण (ट्राय साइकिल, बैगसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जायेगा । बच्चों की चिन्तीकरण में सहयोग किया जाता है । शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये है कि विकलांगों के सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र—छात्राओं को प्राथमिकता दी जाए ।

(ल) उत्तर प्रदेश जल निगम/यू०पी० एगो से समन्वय —

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिये पंपजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जायेगी ।

(व) युवा कल्याण विभाग से समन्वय —

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके । नेहरू युवा केंद्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं । शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय के सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है ।

(स) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्प संख्यक विभाग से समन्वय —

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक बच्चों को ३००/प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जायेगी ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध है ।

(श) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय —

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु ४० प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष ६० प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके ।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपर्युक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा । उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा ।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

जनपद में विश्व बैंक द्वारा पोषित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)के उपरान्त अब भारत सरकार द्वारा संचालित कक्षा १-८ तक की प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिश्चित योजना के रूप में चलाया जायेगा तथा जून २००३ तक इसको डी.पी.ई.पी. के साथ-साथ ही संचालित रखा जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का अंशदान ८५:१५ दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अंशदान ७५:२५ तथा उसमें आगे की अवधि के लिये अंशदान ५०:५० रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा १ से ८ तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं -

१. वर्ष २००३ तक सभी बच्चों को विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैंक दृष्टिकूल शिविर आदि के माध्यम से शत-प्रतिशत नामांकन।
२. वर्ष २००७ तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा ५ तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
३. वर्ष २०१० तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा ८ तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
४. गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
५. बालक-बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लिये वर्ष २००७ तक प्राथमिक स्तर पर तथा २०१० तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन उद्घाटन व सम्पान्ति में अन्तर समाप्त करना।
६. वर्ष २०१० तक सार्वभौमिक उद्घाटन।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृद्ध लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये कुछ विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं -

१. नामांकन- शत प्रतिशत नामांकन के लिये वर्ष २००३ तक सभी बच्चों को विद्यालय मूल्यांकन ना, शिक्षा गारंटी केन्द्र तथा जहाँ १ किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय अवस्थित न हो, तथा इन केन्द्रों में ६-११ वर्ष के बच्चों का नामांकन करना।

वैकल्पिक स्कूल की व्यवस्था:— इसमें १-१४ वयवर्ग के बालकों का नामांकन कराया जाना, बैंक टू स्कूल शिविर— इसमें शिविर लगाकर जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक आकर्षक वातावरण में प्रशिक्षण देना जिससे वे विद्यालय में आयें। इन रणनीतियों के आधार पर वर्ष २००७ तक सगरत बच्चों द्वारा कक्षा ५ तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना। वर्ष २०१० तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा ८ तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना। गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदत्त करना जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में बालक, बालिका व समाज के विविध वर्गों में जो अंतर है, वर्ष २००७ तक प्राथमिक तथा वर्ष २०१० तक उच्च प्राथमिक विद्यालय से समाप्त करना है। वर्ष २०१० तक सार्वभौमिक ठहराव। उपरोक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिए भी माना गया है। उपरोक्त विस्तृत लक्ष्यों के साथ ही जनपद की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे के पृष्ठों पर वर्णित है।

नामांकन के लक्ष्य — बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा —

जनगणना २००१ से फैजाबाद जनपद की जनसंख्या के आँकड़े को आधार मानते हुए निम्न १० वर्गों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीमा/ नई दिल्ली के माइयूल में वर्णित कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ विधि से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि—दर २.३८ प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धि द्वारा २००२ से २०१० तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है। जनगणना २००१ की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मापते हुए वर्ष २००१ तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में ६-११ वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिए ६.२ प्रतिशत का अनुपात लिया गया। वर्ष २००१ की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/ नगरीय/ अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए विशिष्ट आँकड़े पर उपलब्ध होने पर इनका पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन को प्रक्षेपित करने हेतु वर्तमान जी.ई.आर. को आधार मानते हुए नीमा, नईदिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'नामांकन अनुपात विधि' से २००२ से २०१० तक का जी.ई.आर. प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिए प्रक्षेपित जी.ई.आर. तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर ६-११ के लिए वर्ष २००३ तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर ११-१४ के लिए वर्ष २००८ तक शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है चूँकि कुल नामांकन में कम आयु तथा अधिक आयु के बच्चे भी सम्मिलित होंगे। अतः सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य १०० प्रतिशत से अधिक रखा गया है। यह बात उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००३ के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष २००७ के पश्चात सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि कम होगी, क्योंकि जितने बच्चे ६-११ वर्ष व ११-१४ वर्ष में बढ़ेंगे, उतने ही लगभग नामांकन में भी बढ़ेंगे।

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की योजना में २००७ तक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है जो निम्न है -

| वर्ष | प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर |
|---------|-------------------------------|
| २००३-०४ | २३ |
| २००४-०५ | १० |
| २००५-०६ | २ |
| २००६-०७ | ० |

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक दो वर्ष पर प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट जात करने हेतु पृथक पृथक 'कोहार्ट स्टडी' कराई जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट

| वर्ष | उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर |
|---------|------------------------------------|
| २००३-०४ | २० |
| २००४-०५ | १६ |
| २००५-०६ | ८ |
| २००६-०७ | ० |

नांगराना के लक्ष्य :-

| वर्ष | परिवर्दीय प्राथमिक | परिवर्दीय उच्च प्राथमिक |
|---------|--------------------|-------------------------|
| २००४-०५ | २३१०५४ | ५५७८३ |
| ०५-०६ | २३४५९६ | ५९५७३ |
| ०६-०७ | २३७६९० | ६३६२७ |

समस्याएं एवं रणनीतियाँ

सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया पूर्णतया विवेकीकृत रूप में अपनाई गयी है और बरती आधरित कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्रामप्रधानों, अभिभावक आदि के साथ ग्रामपंचायत, न्यायपंचायत, विकासखण्ड तथा जनपदस्तर पर बैठकें कर ली गयी हैं। इन बैठकों में विचारविमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्याएँ व मुद्दे निम्नवत उभर कर आये हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आपनार्थी जाने वाली रणनीतियाँ इस प्रकार हैं—

| मुद्दे | रणनीतियाँ |
|--|---|
| १. पहुँच एवं नामांकन सम्बन्धी समस्याएँ | डीपीईपी योजनान्तर्गत जनपद में १२६ असेवित बस्तियों की पहचान की गयी, जहाँ गानक के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। मूलतः यह बस्तियाँ अनुरूचितजाति तथा अल्पसंख्यकबहुल क्षेत्रों में स्थित हैं। इस कारण यहाँ के बच्चे या तो पढ़ने नहीं जाते अथवा उनका नामांकन यदि दूरस्थ विद्यालयों में कराया भी जाता है तो वे अपनी शिक्षा या अपनी पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाते। इन असेवित बस्तियों में से २५ बस्तियों में विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। परिवार सर्वेक्षण के आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल ३०० से अधिक आब्रादी वाले १२५ ⁶³ गाँवों का चिन्हीकरण किया गया है, जहाँ नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। जनपद में १३९ नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। |
| २. ३०० से कम आबादी वाली बस्तियों में १.५ किमी के अन्दर शैक्षिक सुविधा नहीं | इन बस्तियों में १८३ विद्यालय (इंजीएन) स्थापित किये जायेंगे। |
| ३. कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष सुविधाओं का अभाव | ईट-भट्टों पर काम करने वाले बच्चे, घुमन्तू आबादी के बच्चे, उद्योगों में लगे बच्चे आदि शिक्षा से वंचित हैं, इनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु जनपद फेजावाद में कुल १३ टिग्न कोर्स, शिबिरो का आयोजन किया जायेगा। |

| | |
|--|--|
| <p>सामाजिक सम्बन्धी</p> <p>१. समुदाय में बच्चों के नियमित पठन-पाठन के प्रति जागरूकता का अभाव</p> | <p>ग्रामशिक्षा समितियों को सक्रिय करते हुए मासिक बैठकों का आयोजन कराया जायेगा। विद्यालय द्वारा शैलियों का आयोजन, माताशिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ का अभिप्रेरण, महिला उत्प्रेरक समूह का गठन किया जायेगा। जनजागृति तथा सामुदायिक सहभागिता द्वारा पठन-पाठन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।</p> |
| <p>२. समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित हैं</p> | <p>आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को बच्चों से कार्य न लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा। शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए उनके बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जायेगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप सभाजोपयोगी उत्पादक कार्य— सिलाई, बुनाई, चित्रकारी, खिलौना निर्माण, मिट्टी का कार्य इत्यादि की शिक्षा पर बल दिया जायेगा।</p> |
| <p>३. बच्चों का धरेलू कार्य में व्यस्त होना</p> | <p>अभिभावकों तथा ग्रामाणजनों में जागरूकता लाते हुए बच्चों से धरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय के लिए समय देने के प्रति प्रेरित किया जायेगा, विद्यालयों में प्रवेश हेतु वातावरण का सुनिश्चित किया जायेगा।</p> |
| <p>४. छात्र को दी जाने वाली सुविधाओं/ प्रोत्साहनों की कमी</p> | <p>विद्यालय में छात्र सामाजिक बंधन, उनके उद्वेग को बनाये रखने तथा अभिभावकों को आर्थिक मदद की दृष्टि से दिया जाने वाला खूबसूरत पोषाहार, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा। इसे इस प्रकार कराया जायेगा कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति तथा उद्वेग सुनिश्चित करने में सहाय्य मिल सके।</p> |
| <p>उद्वेग सम्बन्धी</p> <p>१. जनसहयोग एवं समर्पण की कमी</p> | <p>सामाजिक रूढ़ियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जनसहयोग प्राप्त करके बच्चों का उद्वेग सुनिश्चित किया जायेगा।</p> |
| <p>२. विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वातावरण में आकर्षण का अभाव</p> | <p>विद्यालय को वागवानी, साजसज्जा से सुजंजित करते हुए जनसहयोग प्राप्त करके आकर्षक बनाया जायेगा तथा विद्यालय में बच्चों को खेलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु वातावरण निर्माण की व्यवस्था की जायेगी।</p> |
| <p>३. सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा का अभाव</p> | <p>चहारदीवारीविहीन ७५३ प्राथमिक विद्यालय तथा ७८ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराते हुए विद्यालय के लिए आवश्यक वागवानी की व्यवस्था की जायेगी।</p> |
| <p>४. पेयजल शौचालय का अभाव</p> | <p>पेयजल सुविधाविहीन ३४ प्राथमिक तथा २१ उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा शौचालयविहीन ४३१ प्राथमिक तथा ३० उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः हैण्डपम्प तथा शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के विद्यालय में उद्वेग को बढ़ाया जायेगा।</p> |

| | |
|--|---|
| ५. उपर्युक्त भवन कक्षाव्यवस्था, साजसज्जा तथा शिक्षकों की कर्मी | प्राथमिकस्तर पर २६३७ कक्षाकक्षा (२३५५) ११७६ शिक्षकों की कर्मी, ११७६ शिक्षामित्रों द्वारा शिक्षकों की कर्मी को दूर किया जायेगा। सभी विद्यालयों में पर्याप्त साजसज्जा की व्यवस्था करते हुए टहराव की समस्या दूर की जायेगी। |
| ६. शिक्षकों में कर्मी के प्रति अभिप्रेरणा की कर्मी तथा द्युश्रेणी शिक्षण के कौशल का न होना | शिक्षकों में नियमित बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कर्तव्यबोध करते हुए शिक्षा के प्रति समर्पणभाव जागृत किया जायेगा तथा अभिप्रेरित किया जायेगा कि शिक्षणोत्तर क्रियाकलापों में अत्यधिक व्यस्तता, नियुक्त स्थान के वजाय धरेलू कर्मी में उनकी अत्यधिक रुचि को समाप्त करते हुए बालकों के प्रति उनकी दायित्वबोध बढ़ाकर टहराव समस्या को शून्य किया जायेगा। |
| गुणवत्ता सम्बन्धी १. नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कर्मी | नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान को आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा, गणित, विज्ञान विषयों में प्राथमिकस्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जायेगा। |
| २. विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण का अभाव | सामाजिक रीतिरिवाज, स्थानीय परिस्थितियों तथा विद्यालय में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में उनके अनुरूप ढालने की क्षमता का विकास विशेष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। |
| ३. निरीक्षण अधिकारियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का न होना | नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी, रीतिरिवाज अभिमान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के विज्ञानचयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को ढालने के साथ-साथ शिक्षकों की गुणवत्तासम्बन्धन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने की दृष्टि से निरीक्षकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा। |
| ४. समुदाय में पठन-पाठन प्रक्रिया के समुचित ज्ञान की कर्मी | शिक्षा में सामाजिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही आम शिक्षा समिति के सदस्यों, माता शिक्षक तथा अभिभावक शिक्षक एरोसियेशन के सदस्यों को शिक्षा के गुणवत्ता संबंधी कार्यक्रमों से भी परिचित कराया जायेगा। |
| ५. शिक्षकों में सहायक शिक्षणसामग्री के निर्माण एवं उपयोग कौशल का अपर्याप्त होना | पाठों के अनुरूप सहायक शिक्षणसामग्री का निर्माण सम्बन्धित कक्षाध्यापक द्वारा कराया जायेगा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा ताकि छात्रों में विषयवस्तु को समझने में आसानी हो, साथ ही कक्षा शिक्षण रुचिकर हो सके। इस हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान दिया जायेगा। |
| ६. शिक्षकों का गैर-शैक्षिक कर्मी में व्यस्त होना | विद्यालयस्तर से लेकर विकासखण्डस्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, भवननिर्माण, पोषाहारवितरण तथा अन्यान्य गैरविभागीय कर्मी के निस्तारण में शिक्षकों की व्यस्तता को कम किया जायेगा तथा उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों के हितों में व्यतीत हो, ऐसा विज्ञानचयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय-प्रवन्धन की क्षमता विकसित की जायेगी। |

| | |
|---|---|
| <p>संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी 9.न्यायपंचायत एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमताएँ होना, विद्यालयों को सतत रूप से अकादमिक सपोर्ट न मिल पाना</p> | <p>न्यायपंचायत तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्रों का मुख्य दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता एवं दक्षता विकास हेतु निर्धारित किया जायेगा। न्यायपंचायत एवं निवासखण्ड स्तर पर सूचना संकलन में दिताये जा रहे समय के अपन्याय को घम किया जायेगा तथा उन्हें शिक्षण कार्य में अभिरूचि उत्पन्न करने, विद्यालय प्रबन्धन के प्रति यक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा। ब्लॉक संसाधन केन्द्रों तथा न्यायपंचायत संसाधन केन्द्रों को शैक्षिक पर्यवेक्षण व अकादमिक सपोर्ट देने के लिए क्षमतावान बनाया जायेगा ताकि विद्यालय व शिक्षकों को नियमित रूप से मार्गदर्शन व अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके।</p> |
| <p>2.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कक्षाकक्षा परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना</p> | <p>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे शिक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षाकक्षा की स्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। विद्यालयों में अत्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की कमी की स्थिति में बहुकक्षा शिक्षण की विधा से परिचित कराया जायगा।</p> |
| <p>3.प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य की कमी</p> | <p>प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ, प्रगति तथा निर्गमन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन सम्बन्धी शोध कार्य की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी तथा सुआये गये तरीकों का उपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।</p> |
| <p>4.विद्यालय सांख्यिकी तथा इन्डिकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग</p> | <p>ईएमआईएस को सुदृढ़ बनाया जायेगा और नियमित रूप से संकलित कर विश्लेषण कराकर प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना निर्माण में किया जायेगा।</p> |

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(१) प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक भवनों की आवश्यकता—

मानवजीवन को सार्थक एवं समृद्धिशाली बनाने में शिक्षा की अहं भूमिका है। प्राथमिक शिक्षा सफलतम मानवजीवन की आधारशिला है। विद्यालय भवन, प्राथमिक शिक्षाको जन-जन तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जनपद में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार २३३ ऐसी असेवित बस्तियां चिन्हित की गईं, जहां पर मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हो सकती थी, परन्तु संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण उक्त समस्त असेवितबस्तियों में विद्यालय नहीं खोले जा सके। सन् २००० से जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०।।।) के कार्यान्वयन के उपरान्त २५ असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय संचालित कर दिये गये हैं तथा परियोजना अवधि की समाप्ति तक कुल १०१ और नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना डी.पी.ई.पी.।।। द्वारा सुनिश्चित कर ली जायेगी। जनपद में कराये गये सर्वेक्षण के सापेक्ष डी.पी.ई.पी.।।। द्वारा संचालित कुल १२६ प्रा० विद्यालयों के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवशेष असेवित क्षेत्रों में कुल ६३ प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जायेंगे, जिससे कि प्रत्येक गांव के ६-११ वय वर्ग के समस्त बच्चों की पहुँच सुगमता से प्राथमिक विद्यालयों में सुनिश्चित कराते हुए उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, ताकि शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

| सकें। | २००२-०३ | ०३-०४ | ०४-०५ | ०५-०६ | ०६-०७ | कुल |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | - | ६३ | - | - | - | ६३ |

(२) उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय—की स्थापना —

किसी भी देश के सर्वांगीण विकास का मूल मंत्र " शिक्षा " है। विभिन्न देशों की सरकारें समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अभियानों के माध्यम से शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करती रही हैं। " सर्व शिक्षा अभियान " के तहत एक ओर जहां प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक छात्र-छात्रा तक सुगमता से पहुंचाने का कार्य किया जाना है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण अंचल के छात्र-छात्राओं को अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जनपद में वर्तमान में कुल २३३ उच्च प्रा० विद्यालयों की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल १२७ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सारणी ६.१ के अनुसार वर्षवार की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत पूर्व मा० विद्यालयों की स्थापना—

सारणी ६.१

| 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | योग |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 22 | 105 | - | - | - | - | - | - | 127 |

इन १२७ विद्यालयों की स्थापना के पश्चात जनसामान्य के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुगमता से उपलब्ध हो जायेगी एवं असेवित बच्चियां स्वतः सेवित हो जायेंगी। उक्त में २० पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना वर्ष २००२-०३ में की जा चुकी है एवं वर्ष २००३-०४ में १०५ विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

(३) शिक्षकों की व्यवस्था - शिक्षा रूपी नौव के सफल संचालन हेतु कुशल प्रशिक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्र०अ० एवं एक स०अ० की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या के अनुपात में बढ़ायी जायेगी। शिक्षा व्यवस्था की संरचना में प्राथमिक शिक्षा मेरूटण्ड के समान है। छात्रों के मजबूत शैक्षिक आधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्र०अ० एवं प्रत्येक कक्षा हेतु एक स०अ० की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में १ प्र०अ० एवं ४ स०अ० सहित कुल ५ अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है। ४ अध्यापकों में से १ विज्ञान, १ गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु एक महिला अध्यापिका की व्यवस्था की जायेगी।

(४) विद्यालय साज-सज्जा - विद्यालय के शैक्षिक वातावरण के गुजन में विद्यालयों साज-सज्जा की अहम भूमिका है। प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित भनगशि उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें टाटपट्टी, श्यामपट्ट, कुर्सी मेज, अध्यापकों के लिए आलमारी, विभिन्न प्रकार की पंजिकायें, पंजिकाओं के रखरखाव के लिए सटूक, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें और अन्य सामग्री की व्यवस्था, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज सज्जा हेतु काष्ठोपकरण की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था आदि ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की सफाई एवं गार्ड—पुतार्ड के लिए समय समय पर निर्धारित भनगशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(५) पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी - नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इंडिया मार्का ॥ हैड पम्प लगाये जायेंगे, जिससे कि छात्रों को विद्यालय प्रांगण से बाहर पानी पीने के लिए अन्यत्र न जाना पड़े।

बालक व बालिकाओं की सुरक्षा व स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में पृथक पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित और सुरक्षित करने के उद्देश्य में प्रत्येक विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। चहारदीवारी के निर्माण से विद्यालय में बागवानी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अपने हाथों लगाये गये पौधे को बढ़ता देखकर छात्र में एक प्रकार की सृजनात्मक कौशल का विकास होगा। विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधों से विद्यालय प्रांगण को मनोहारी बनाया जा सकेगा तथा लगाये गये पौधों की लकड़ियों से विद्यालय में एक प्रकार की आय का सृजन किया जा सकेगा।

(६) निर्माण कार्यदायी संस्था - सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति म्वयं की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है। इससे एकओर जहां निर्माण कार्य में ग्राम समुदाय का सहयोग प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर अपनेपन की भावना से प्रेरित होकर शिक्षा समिति के सदस्य निष्ठा, लगन, एवं ईमानदारी से कार्य को अंजाम देंगे।

(७) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं लागत में कमी लाने की व्यवस्था - सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनाई गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में यदि आवश्यक भूमि, भवन, हैड पम्प, शौचालय आदि तथा संभव उपलब्ध हैं तो सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उ० प्रा० विद्यालयों की स्थापना, वर्तमान प्रा० वि० का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे कि प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैड पम्प, शौचालय, चहारदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैडपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकती है।

(८) शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण - नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के आधार पर की जायेगी। गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त मात्रा में शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है। बस्ती में बालक व बालिकाओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में आवश्यक भौतिक सुविधाओं के आकलन

हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों की स्थापना, तथा भौतिक सुविधाओं की पूर्ति हेतु प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा।

(९) विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण — विद्यालय भवन, शौचालय, हैंडपम्प, चहार दीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिविल विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों का अनुश्रवण विकासखण्ड स्तर पर संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी किया जायेगा। निर्माण कार्य संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण विभिन्न ग्राम शिक्षा समितियों, महा० बे०शि०अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, संबंधित अभियंताओं को दिया जायेगा। इस प्रकार तकनीकी प्रशिक्षण के उपरान्त निर्माण कार्य मानक के अनुरूप कराये जायेंगे।

शिक्षा पहुँच का विस्तार—

शिक्षा गारंटी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा

संविधान के अनुच्छेद ४५ में ६ से १४ वयवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है। शिक्षा की पहुँच का विस्तार करने हेतु नवीन विद्यालयों की स्थापना, विद्याकेन्द्रों की स्थापना एवं उन समस्त बच्चों को औपचारिक शिक्षा में जोड़ने हेतु केंद्र/ शिविर आयोजित किया जाना, जो विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जाते, आदि समस्त संकल्पनायें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चों, बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों, पूरे समय स्कूल में न रहने वाले बच्चों तथा कामकाजी बालक व बालिकाओं के लिए संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप का रिव्यू व मूल्यांकन भारत सरकार के योजना आयोग के 'प्रोग्राम मूल्यांकन आर्गनाइजेशन' द्वारा किया गया। जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अनौपचारिक शिक्षा योजना के स्वरूप एवं उसके कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ हैं तथा इससे उपलब्धि बहुत कम है।

अतएव भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को पुनरीक्षित करके इसके स्थान पर शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के रूप में चलाये जाने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा गारंटी योजना

इस योजना के अन्तर्गत ६ से ११ वयवर्ग के बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में विशेष प्रयास करके पंजीकृत कराया जायेगा। ऐसी असेवित बस्तियाँ, ग्राम/मजरे/मुहल्ले जो विद्यालय से एक किमी० की परिधि के बाहर हैं तथा ६-११ वयवर्ग के कम से कम ३० बच्चे उपलब्ध हों, इन बच्चों को कक्षा १ से २ तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकतानुसार विद्याकेन्द्रों की स्थापना की जायेगी। कक्षा -२ की पढ़ाई के बाद इन बच्चों को अगली कक्षा में औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाते हुए इनके लिए शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन केंद्रों का संचालन 'स्टेट सोसायटी उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज लखनऊ' द्वारा किया जायेगा। प्रतिकेन्द्र एक 'आचार्य जी' की व्यवस्था की जायेगी।

जनपद फैजाबाद में सूक्ष्म नियोजन के आधार पर विकास खण्डवार ६-११ वयवर्ग के तथा ११-१४ वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है -

सारिणी-२.८

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थिति (२००३ की स्थिति)

| क्रम सं० | विकास खण्ड का नाम | ६ से ११ वय वर्ग | | | ११ से १४ वय वर्ग | | |
|----------|-------------------|-----------------|--------|------|------------------|--------|------|
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| १ | मसौधा | ७ | १७ | २४ | १२२ | १३ | १३५ |
| २ | बीकापुर | ६२८ | ५६८ | ११९६ | २३ | २५ | ४८ |
| ३ | तारून | ६ | ५९ | ६५ | २४ | २४ | ४८ |
| ४ | पूरा | १६ | १८ | ३४ | ११६ | १७१ | २८७ |
| ५ | सोहावल | २३१ | २०३ | ४३४ | ५३ | २२५ | २७८ |
| ६ | मया | ८१ | ५८ | १९ | ४५० | ७२ | ५२२ |
| ७ | हैरिगटनगंज | ३६० | २८३ | ६४३ | २५४ | ३८४ | ६३८ |
| ८ | दिल्कीपुर | १४ | १५ | २९ | २० | ८७ | ६९ |
| ९ | अमानीगंज | १६९ | १३८ | ३०७ | ७१ | १३४ | २०५ |
| १० | मवई | ७२२ | ७०७ | १४२९ | ३४३ | ८६१ | ८०४ |
| ११ | रूदौली | ६६७ | ६७४ | १३४१ | ३८२ | ६३६ | १०१८ |
| १२ | नगर क्षेत्र | ८७ | ८३ | १७० | ७९ | ९६ | १७५ |
| | योग | २९०८ | २७८३ | ५६९१ | १९३९ | २२८८ | ४२२७ |

हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर जनपद फैजाबाद में कुल 44690 बच्चे विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत् है--

| कारण | बालक | बालिका | योग | स्कूल चलो अभियान के बाद अवशेष आनामांकित बच्चों |
|----------------------------------|-------|--------|-------|--|
| 1. अपने घर के कामों में लगे रहना | 3990 | 4610 | 8600 | 3028 |
| 2. मजदूरी में लगे रहना | 1133 | 730 | 1863 | 525 |
| 3. भाई-बहनों की देखभाल करना | 2507 | 5016 | 7523 | 2691 |
| 4. विद्यालय दूर होने के कारण | 1427 | 1926 | 3353 | 3254 |
| 5. अन्य | 13552 | 9799 | 23351 | 400 |
| योग | | | 44690 | 9918 |

स्रोत : परिवार सर्वेक्षण जून 2002

जनपद में माह जुलाई में स्कूल चलो अभियान संचालित करके 34772 बच्चों का नामांकन कराया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है--

| चिन्हित | नामांकित | अवशेष |
|---------|----------|-------|
| 44690 | 34772 | 9918 |

अवशेष 9918 बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु निम्न क्रियाकलापों किये जायेंगे।

1. घर के कार्य में लगे रहना: घर के कार्य में लगे बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प संचालित किये जायेंगे।

| कैम्प | संख्या | बच्चों |
|-------------|--------|--------|
| ब्रिज कैम्प | 75 | 3028 |

यह कोर्स इन बच्चों के आवश्यकताओं को देखते हुये उनके घरों के पास तथा इनकी सुविधाओं के अनुसार समय निर्धारित करके इन्हीं के ग्राम निवासी अनुदेशक द्वारा संचालित किये जायेंगे।

2. मजदूरी में लगे रहना : कुछ बच्चे मजदूरी कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं आ पाते। ऐसी समस्या 11 से 14 आयु वर्ग के बीच अधिक पाई गयी है। इन बच्चों के लिये उच्च प्राथमिक स्तर पर ए0आई0ई0 केन्द्र खोले जा रहे हैं। जिससे यह बच्चे शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

| कोर्स | संख्या | बच्चों |
|-------------|--------|--------|
| ए0आई0ई0 | 22 | 465 |
| ब्रिज कैम्प | 1 | 60 |
| योग | | 525 |

भाई बहनों की देखभाल: छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगे होने के 2691 बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु इनके छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए विशेष रूप से इसीसीई केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है।

| कोर्स | संख्या | बच्चों |
|-----------|--------|--------|
| इसीसीई | 100 | 1691 |
| समर कैम्प | 24 | 1000 |

4. विद्यालय दूर होने के कारण: जनपद में कुल 3254 बच्चों विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए असेवित क्षेत्रों में जहां मानक के अनुसार विद्यालय खोले जा सकते हैं। वहां विद्यालय खोले जा रहे हैं तथा अन्य स्थानों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। डीपीईपी के अन्तर्गत जनपद में संचालित 100 विद्या केन्द्र/शिक्षा केन्द्र में अतिरिक्त 100 बच्चों का नामांकन किया जायेगा।

| विद्यालय | संख्या | बच्चों |
|------------------------|--------|--------|
| प्राथमिक विद्यालय | 63 | 1554 |
| उच्च प्राथमिक विद्यालय | 105 | 1620 |
| EGS/AS | 100 | 100 |
| | योग | 3254 |

5. अन्य अवशेष 400 बच्चों का नामांकन अभियान चलाकर ग्राम शिक्षा समिति की प्रभावी बैठक माता शिक्षक संघ की बैठक, महिला प्रेरक समूह की बैठक अभिभावक सम्पर्क एवं सर्वे शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्य 3 आवासीय ब्रिज कैम्प के माध्यम से करा लिया जायेगा।

| कोर्स | संख्या | बच्चों |
|------------------------------------|--------|--------|
| आवासीय ब्रिज कैम्प | 3 | 180 |
| अभिभावक सम्पर्क एवं अन्य कार्यक्रम | -- | 220 |

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए० आई० ई०) कार्यक्रम -

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य समूह 6 से 14 वय वर्ग के बच्चे है। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु सीमा 18 वर्ष है।

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण ड्रेप/मनोवैज्ञानिक टबाव के कारण- प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, कामकाजी तथा बाल-श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्म शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिजकोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतब/मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को औपचारिक विद्यालयों के समान गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी।

जनपद फैजाबाद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र द्वारा सूक्ष्म नियोजन का कार्य कराया गया है, जिसमें ग्रामशिक्षा समितियों के प्रशिक्षित उत्साही नागरिकों एवं शिक्षकों द्वारा ग्राम का शैक्षिक मानचित्रण करते हुए प्राण आंकड़ों को न्याय पंचायत स्तर पर एकत्रित किया गया। न्याय पंचायत स्तर पर एकत्रित आंकड़ों को 'ग्रामक रिपोर्ट सेंटर' द्वारा विकास खण्ड के लिए सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र तैयार किया गया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित केन्द्र

| केन्द्र का प्रकार | स्वीकृत केन्द्र संख्या | 2003-04 में संचालित संख्या | नामांकित बच्चों की संख्या | | |
|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|------|
| | | | बालक | बालिका | योग |
| ई०जी०एस० | 40 | 40 | 190 | 722 | 1612 |
| वैकल्पिक केन्द्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मकतब | 40 | 40 | 764 | 791 | 1555 |

शिक्षा गारंटी योजना (ई० जी० एस०) तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना का स्वरूप -

शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र तथा वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों का स्वरूप औपचारिक विद्यालयों की भांति होगा। केन्द्रों का संचालन ग्राम शिक्षा समितियों की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जा सकता है, जो पहुँच की दृष्टि से उपयुक्त हो। ई०जी०एस०/ए०आई०ई० केन्द्र प्रतिदिन ४ घंटे संचालित किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को नहीं रखा जायेगा।

अनुदेशक चयन -

अनुदेशक यथा सम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहाँ पर ई०जी०एस०/ए० आई०ई० केन्द्र स्थापित किया जाना है। उस ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गाँव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु १८ वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्रामशिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्रामशिक्षा समिति द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, सभासद संबन्धित वार्ड, नगरक्षेत्र का वरिष्ठतम— प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा संबन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु १८ वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समिति को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति संबन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु २१ वर्ष होनी चाहिए। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो वहाँ पर इण्टर मीडिएट महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के संबंध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा निर्धारित प्रपत्र पर की जायेगी।

अनुदेशकों का प्रशिक्षण -

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा। इनका प्रशिक्षण डायट प्रवक्ता/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस. डी. आई. तथा योग्य अध्यापक, संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रूप १५००/- प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशकों को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय न होगी।

अनुदेशक का मानदेय वितरण—

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि रू. १०००/- प्रति अनुदेशक की दर से संबन्धित ग्रामशिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की एक बार में छः माह की आग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोपजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। इस प्रकार की धनराशि कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

पर्यवेक्षण—

ई० जी० सी०/ ए० आई० ई० केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस. डी. आई./ ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर / संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में यह कार्य नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/ बी०आर०सी० प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की पाक्षिक बैठक आयोजित की जायेगी। समय-समय पर केन्द्रों का पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस० डी० आई० तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा। निकट प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करते रहे और ग्राम शिक्षा समिति तथा विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से प्रतिमाह अवगत कराते रहें।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री:—

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार-मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके केन्द्र पर अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, इस हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराई जायेगी। इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मट से किया जायेगा। इन वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्यसरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकें ही प्रयोग में लाई जायेगी।

छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन—

अनुदेशक द्वारा ई० जी० एस०/ ए० आई० ई० केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र

औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में, जिसके लिए वह योग्य है किसी भी समय प्रवेश पा सके। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नियुक्त अनुदेशक का दायित्व है कि वह इस दिशा में प्रयास करें कि अधिक से अधिक छात्र औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा भी मुख्यधारा से जुड़े, इसी आधार पर उनके कार्य का मूल्यांकन होगा।

अनुदेशक अभिभावकों को अध्ययनरत बच्चों में व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अवगत करायेंगे, साथ ही साथ इन केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चे जो कक्षा ५ हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी वार्षिक परीक्षा उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

केन्द्रों का प्रबन्धन ---

प्रतिवर्ष प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रति छात्र/छात्रा पर अधिकतम व्यय की धनराशि क्रमशः रू०८४५ .०० एवं रू० १२००.०० होंगी। इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाला ५ प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी शामिल है। किसी भी विकास खण्ड मगर पर अधिकतम व्यय रूप २.५० लाख है। केन्द्रों की संख्या के अनुसार विकास खण्ड बार प्रबन्धनलागत निम्नवत है -

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| ८० - १०० केन्द्रों के मध्य | : | २.५० लाख प्रति वर्ष |
| ५० - ८० केन्द्रों के मध्य | : | २.०० लाख प्रतिवर्ष |
| २५ - ५० केन्द्रों के मध्य | : | १.५० लाख प्रति वर्ष |
| २५ - केन्द्रों से कम | : | रू० १०० प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष |

११-१४ वयवर्ग के जनपद फैजाबाद के कुल ८२२७ बच्चे चिन्हित किये गये हैं जिनमें से १००० बच्चों को वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जायेगा। शेष बच्चों का नामांकन नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराने का प्रयास किया जायेगा। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु वर्षवार लक्ष्य निम्नवत है-

सारणी 7-2

| वर्ष | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | total |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| उ.प्रा. स्तर पर प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों की संख्या | 22 | 28 | 0 | 0 | 50 |

स्रोत - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय फैजाबाद

ब्रिजकोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर -

सड़क/प्लेटफार्म, मलिन बस्तियों, दुकानों, धुमन्तू बच्चों, नौकरीपेशा कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिक/ खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चें (जिनका वयवर्ग सामान्यतः ९-१४ का है, के लिए ब्रिजकोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर संचालित किये जायेंगे। इन ब्रिजकोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित रह रहे इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लाने का प्रयास किया जाना है।

कोर्स/शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार ३ माह से १८ माह तक की हो सकती है। प्रत्येक ब्रिजकोर्स एवं ग्रीष्मकालीन शिविर में न्यूनतम ५० बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने-पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिजकोर्स/शिविर के लिए एक केयर टेकर दो पैराटीचर, एक कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी।

उक्त मानकों एवं संकल्पनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ६-११ एवं ११-१४ आयुवर्ग के सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म नियोजन के आधार पर जनपद फ़ैजाबाद में ड्राप आउट बालकों, धुमन्तू आवातियों, ईटभट्टों पर काम करने वाले समूह का चिन्हांकन किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में इन चिन्हांकित

ड्राप आउट बालकों हेतु ग्रीष्म कालीन शिविरों की तथा धुमन्तू आवातियों, ईट भट्टों पर काम करने वाले बच्चों आदि के लिए ब्रिज कोर्स कैम्प की व्यवस्था विकास खण्ड वार निम्न विवरण के अनुसार की जायेंगी—

सारणी ७.३

| क्रमांक | विकास खण्ड का नाम | ब्रिजकोर्स कैम्प की सं० | शिविरों की सं० |
|---------|-------------------|-------------------------|----------------|
| १ | पूर | — | ६ |
| २ | मया | — | ४ |
| ३ | तारून | — | ९ |
| ४ | बीकापुर | — | ३ |
| ५ | मसोधा | — | १ |

| | | | |
|----|-------------|---|----|
| ६ | सोहावल | — | ७ |
| ७ | रूदौली | २ | १६ |
| ८ | मवई | ० | १४ |
| ९ | अमानीगंज | १ | १० |
| १० | मिल्कीपुर | १ | ७ |
| ११ | हरिन्टीनगंज | — | ५ |
| | योग | ५ | ७९ |

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय।

विकास खण्ड रूदौली, मवई, अमानीगंज, मिल्कीपुर में ईट भट्टों की संख्या सर्वाधिक है। तथा इनमें कार्यरत श्रमिक, दूसरे-राज्यों से आते हैं, जिससे इनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। घुमन्तू आवादी को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल ५ ब्रिज कॉर्से का लक्ष्य है।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दी जयी सूचनाओं एवं सर्वेक्षण के आधार पर विकास खण्डों में ड्रापआउट के विद्यालयों का चिन्हांकन किया गया है ड्रापआउट के बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु कुल ७९ समरकैम्प आयोजित करने की माँग है। यह कैम्प १० दिवसीय होंगे जिनमें प्रत्येक में प्रतिभागियों की संख्या ४० होगी।

ब्रिजकोर्स एवं समरकैम्प की स्थापना—

सारणी ७.४

| वर्ष | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| प्रस्तावित ब्रिजकोर्स केन्द्र सं० | २ | २ | १ |
| समरकैम्प सं० | ६५ | ४० | १५ |

ब्रिजकोर्स/शिविर का वित्तीय प्रबन्धन—

ब्रिजकोर्स/शिविर आवासीय होंगे। इनमें भोजन इत्यादि की व्यवस्था निःशुल्क की जायेगी। अधिकतम व्यय सीमा प्रति छात्र रूप ३०००/ है। आवासीय व्यवस्था, आकस्मिक व्यय की व्यवस्था छात्र/ छात्राओं के लिए निःशुल्क सामग्री आदि के लिए समुदाय से सहयोग लेने का प्रयास किया जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों ब्रिजकोर्स/शिविरों के प्रस्तावों की प्रस्तुति एवं उनका अनुमोदन:-

जनपद स्तर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य 'जिला शिक्षा परियोजना समिति' द्वारा किया जायेगा। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है—

| | |
|---|--------------|
| १. जिलाधिकारी | अध्यक्ष— |
| २. मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| ३. अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| ४. अनु०जाति/अनु०जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख | सदस्य |
| ५. दो महिला ब्लॉक प्रमुख | सदस्य |
| ६. महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| ७. जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद् | सदस्य |
| ८. शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य | सदस्य |
| ९. एक शिक्षक प्रतिनिधि | सदस्य |
| १०. जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |
| ११. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, | सदस्य |
| १२. जिलाकार्यक्रम अधिकारी | सदस्य |
| १३. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| १४. लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण/अधिशापी अभियन्ता | सदस्य |
| १५. समन्वयक महिला समाख्या | सदस्य |
| १६. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य / सचिव |

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेगी -

- (१) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।
- (२) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।
- (३) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा त्रिजकोर्स से संबन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।
- (४) राज्य स्तरीय समिति/ साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।
- (५) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संचालित करते हुए वार्षिक कार्ययोजक वजार प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।
- (६) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने हुए कार्यक्रमों को संचालित करेगी।
- (७) समिति जनपद से विकासखण्ड स्तर/ ग्रामस्तर पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेगी।
- (८) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशलाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।
- (९) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा। इसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेशन कराया जायेगा।

ग्रामशिक्षा समितियों की भूमिका —

प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए.आई.ई.) के लिए ग्राम शिक्षा समिति के निम्न लिखित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं—

१. ६-१४ वयवर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों का माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उनका चिन्हांकन करना।
२. कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।

३. अनुदेशकों का चयन करना ।
४. केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
५. केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार के निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
६. अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्रों का दायित्व सौंपना।
७. अनुदेशकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों का प्रबन्धन तथा निरीक्षण करना।
८. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
९. नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान करना।

विकाराखण्ड स्तरीय समिति की भूमिका —

- (१) ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।
- (२) ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग करना तथा उपलब्ध माइक्रोप्लानिंग का अध्ययन एवं समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।
- (३) न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र की सहायता से केन्द्रों /शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/ अनुश्रवण की व्यवस्था करना।
- (४) जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध संदर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

कार्यक्रम संचालन की रणनीति —

जनपद —फैजाबाद में सर्वेक्षण—माइक्रोप्लानिंग के आधार पर निम्न ई०जी०एस० केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है—

सारणी ७.५

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | प्रस्तावित ईजीएस केन्द्रों की संख्या |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| १ | पूरा | २ |
| २ | मया | ३ |
| ३ | तारून | ० |
| ४ | बीकापुर | ० |
| ५ | मसौधा | ० |
| ६ | साहावल | १० |
| ७ | रूदौली | १८ |
| ८ | गवई | १६ |
| ९ | मिल्कीपुर | २ |
| १० | अमानीगंज | ५ |
| ११ | हरिंगटनगंज | ० |
| | योग | ६२ |

ई०जी०एस० केन्द्रों की स्थापना

सारणी ७.६

| वर्ष | २०००-०१ | २००१-०२ | २००२-०३ | २००३-०४ | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ |
|--------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|---------|
| प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या | २५ विद्याकेन्द्र डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित | २५ विद्याकेन्द्र डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित | ५० विद्याकेन्द्र डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित | ५० विद्याकेन्द्र डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित | ३० | ३० | ० |

मकतब/मदरसों का सुदृदीकरण —

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/ब्लॉक संसाधन केन्द्र समन्वयकों, न्यायपंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयको द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर जनपद फ़ैजाबाद में विकास खण्डवार अमान्य मकतब/मदरसों की संख्या प्राप्त हुई है। जिनमें पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सुदृदीकरण की योजना है।

सारणी ७.७

| विकास खण्ड का नाम | अमान्य मकतब/मदरसों की सं० |
|-------------------|---------------------------|
| पूरा | १ |
| मया | ३ |
| नागून | १ |
| बीकापुर | १ |
| मसोधा | १ |
| सोहावल | ४ |
| रूदौली | १० |
| मवई | १० |
| अमानीगंज | ३ |
| गिल्लीपुर | ० |
| हार्गन्टीनगंज | ० |
| योग | ४० |

मकतब/मदरसों की स्थापना —

सारणी ७.८

| वर्ष | २०००-०१ | २००१-०२ | २००२-०३ | २००३-०४ | २००४-०५ | २००५-०६ |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| मकतब/मदरसों की सं० | ५ (डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत) | ४५ (डी.पी.ई. पी. के अन्तर्गत) | ५० (डी.पी.ई. पी. के अन्तर्गत) | ५० (डी.पी.ई. पी. के अन्तर्गत) | २० | २० |

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में सबसे बड़ी बाधा ठहराव में वृद्धि न होना है। ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। वर्ष २०००-०१ जनपट में प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर २३ प्रतिशत है।

विविध स्तर पर किये गये परिचर्चा के दौरान ड्राप आउट होने के निम्न कारण सामने उभर कर आये:—

- (१) विद्यालय परिवेश — विद्यालय में अध्यापकों की कमी, अध्यापकों का शिक्षणेत्तर कार्यों में लगाया जाना, विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं टाटपट्टी, कुर्सी, मेज, शौचालय का न होना, कक्षा कक्ष की कमी, विद्यालय का जर्जर होना, विद्यालय में चहारदिवारी का अभाव, महिला अध्यापकों का न होना, अध्यापकों द्वारा लैंगिक भेदभाव किया जाना।
- (२) बालिका शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता का अभाव — अभिभावकों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवदनशील न होना, सामाजिक कारणों से अभिभावकों द्वारा बालिकाओं को दूरस्थ विद्यालय में न भेजना, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, बालिकाओं को घरेलू कार्यों में लगाये रहना।
- (३) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का शिक्षा के प्रति लगाव न होना — आर्थिक कारणों से समाज के कमजोर वर्ग यथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभिभावक छात्रों को पंजीकरण के उपरान्त घरेलू एवं जीविकोपार्जन के कार्यों में लगाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चा अनवरत रूप से विद्यालय में बना नहीं रह पाता तथा ड्राप आउट को बढ़ावा मिलता है।
- (४) धार्मिक कारणों से अल्पसंख्यक वर्ग के अभिभावकों द्वारा बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से न जोड़ पाना — विभिन्न प्रकार के अभियानों के माध्यम से यद्यपि अल्प संख्यक समुदाय के बच्चों का प्रवेश विद्यालय में हो जाता है, परन्तु धार्मिक शिक्षा के प्रति अभिभावकों का रुझान अधिक होने के कारण इस वर्ग के छात्र गकतव व गदरगों में चले जाते हैं, जिससे ड्राप आउट को बढ़ावा मिलता है।
- (५) विशेष आवश्यकता से ग्रसित बच्चों का विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रवेश हो जाता है लेकिन विकलांग बच्चे अन्य बच्चों के साथ अपना समायोजन न कर पाने एवं अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान न दे पाने के कारण बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, जिससे ड्रापआउट बढ़ जाता है।

वर्ष 2005-06 में⁰⁵..... प्राथमिक एवं⁰⁵..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है।

| वर्ष | प्रस्तावित लक्ष्य | |
|---------|-------------------|---|
| 2004-05 | 200 | |
| 2005-06 | 200 | 1 |
| 2006-07 | 80 | |
| योग | 480 | |

कुल लक्ष्य 480 का है।

सर्वशिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि अर्थात् ड्रापआउट को कम करने के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे—

विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाने के लिये जो कार्य किये जायेंगे उनका विवरण निम्नवत् है —

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता —

निम्नलिखित मागणी वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (मांग) तथा डी०पी०ई०पी० सर्व शिक्षा अभियान में नक़्त की जा रही पूर्ति को दर्शाती है।

सारणी ८.१

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता (मांग) तथा पूर्ति

| क्रमांक | आइटम/सुविधा का नाम | भौतिक सुख सुविधा की आवश्यकता | |
|---------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| | | प्राथमिक स्तर | उ० प्रा० स्तर |
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | विद्यालय पुनर्निर्माण | ६० | ७ |
| २ | अतिरिक्त कक्षा—कक्ष | ७९६ | ० |
| ३ | शान्तालय | ३८० | ० |

स्रोत:— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता —

जनगणना के परिपटीय प्रा० विद्यालय में नामांकन वृद्धि के सापेक्ष अतिरिक्त भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। नामांकन वृद्धि के आधार पर कुल ३२३३ अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं की जबकि सभी प्रा० वि० को तीन कक्षीय करने के आधार पर कुल ७९६ अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं की आवश्यकता होगी। वर्षवार आवश्यकताओं का विवरण निम्न प्रकार है —

सारणी—८.२

| वर्षा सं० | वर्ष | परिपटीय कुल नामांकन वृद्धि | २०११ टर में कक्षाकक्ष | वर्तमान कक्षाकक्ष | नवीन विद्यालय के कक्ष | योग (४+५) | आवश्यक कक्षा कक्ष | |
|-----------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | नामांकन के आधार पर | ३ कक्षीय के आधार पर |
| १ | २००३-०४ | २२७६६२ | ५६९१ | २४८३ | १२६ | २६०९ | — | — |
| २ | २००४-०५ | २३१०५४ | ५७७६ | २६०९ | — | २६०९ | ३१६७ | ४०० |
| ३ | २००५-०६ | २३४४९६ | ५८६२ | ५७७६ | — | ५७७६ | ८६ | ३९६ |
| ४ | २००६-०७ | २३७६९० | ५९४२ | ५८६२ | — | ५८६२ | ८० | — |

सन २००१ की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

आंकड़े प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता —

जनपट के परिषदीय पूर्व मा०विद्यालय में नामांकन वृद्धि के सापेक्ष अतिरिक्त भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी । नामांकन वृद्धि के आधार पर कुल ३१४ अतिरिक्त कक्षा कक्षों की जबकि सभी प्रा०वि० को ८ कक्षीय करने के आधार पर कुल अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता नहीं है। वर्षवार आवश्यकताओं का विवरण निम्न प्रकार है —

सारिणी—८.३

| क्र. सं. | वर्ष | पाठ्यक्रम कुल नामांकित बच्चे | २००१ टर से कक्षाकक्ष | वर्तमान कक्षाकक्ष | नवीन विद्यालय के कक्ष | योग (८+५) | आवश्यक कक्षा कक्ष | |
|----------|---------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | नामांकन के आधार पर | ८ कक्षीय के आधार पर |
| १ | २००३-०४ | ५२२३१ | १३०६ | ८५७ | ४२० | १२७७ | — | — |
| २ | २००४-०५ | ५५७८३ | १४२४ | १२७७ | — | १२७७ | १४७ | — |
| ३ | २००५-०६ | ५९५७३ | १४८९ | १४२४ | — | १४२४ | ६५ | — |
| ४ | २००६-०७ | ६३६२७ | १५९१ | १४८९ | — | १४८९ | १०२ | — |

(ग) शौचालय, पुनर्निर्माण योग्य विद्यालय का निर्माण—

प्राथमिक तथा पूर्व प्रा० स्तर पर शौचालय, तथा पुनर्निर्माण का कार्य निम्न विवरणानुसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराया जायेगा—

सारिणी ८.४

| आइटम का नाम | निर्माण वर्ष | | | योग |
|--------------------|--------------|---------|---------|-----|
| | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ | |
| प्राथमिक स्तर | ३५ | ३५ | १० | ८० |
| १. पुनर्निर्माण | | | | ४ |
| २. शौचालय | २०० | १०० | ८० | ३८० |
| उच्च प्राथमिक स्तर | | | | |
| १. पुनर्निर्माण | ४ | ३ | | ७ |
| २. शौचालय | — | — | — | — |

स्रोत:— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

(घ) विकास अनुदान — जनपट के प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रति वर्ष रू० २०००/- विद्यालय भवन के रखरखाव हेतु आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय किया जायेगा।

(ड) शिक्षकों की व्यवस्था — सारणी ८.७ एवं ८.८ क्रमशः प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता दर्शा रही है—

प्राथमिक स्तर

सारणी ८.५

| क्रम क्र. | वर्ष | कुल परिषदीय नामांकित बच्चे | वर्तमान शिक्षक | वर्तमान शिक्षामित्र | योग | ४०:१ दर से शिक्षक | आवश्यक शिक्षक | |
|--------------|---------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | अध्यापक | शिक्षामित्र |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १ | २००३-०४ | २२७६६२ | ३२५५ | २२६८ | ५५२३ | ५६९१ | ८६ | - |
| २ | २००४-०५ | २३१०५४ | ३३९९ | २३५२ | ५६७१ | ५७७६ | ८३ | 126 |
| ३ | २००५-०६ | २३४४९६ | ३३८२ | २३९४ | ५७७६ | ५८६० | ८३ | ८३ |
| ४ | २००६-०७ | २३७६९० | ३४२५ | २४३७ | ५८६० | ५९४० | ८० | ८० |

उच्च प्राथमिक स्तर

सारणी-८.६

| क्रम क्र. | वर्ष | कुल परिषदीय नामांकित बच्चे | वर्तमान शिक्षक | वर्तमान शिक्षामित्र | योग | ४०:१ दर से शिक्षक | आवश्यक शिक्षक | |
|--------------|---------|-------------------------------|-------------------|------------------------|------|----------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | अध्यापक | शिक्षामित्र |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १ | २००३-०४ | ५२२३१ | ६९८ | - | ६९८ | १३०६ | ३०६ | ३०६ |
| २ | २००४-०५ | ५५७८३ | १००० | ३०४ | १३०४ | १३९५ | ६६ | ६५ |
| ३ | २००५-०६ | ५९५७३ | १०४६ | ३६९ | १३९५ | १४८९ | ६३ | ६३ |
| ४ | २००६-०७ | ६३६२७ | १०९३ | ३९६ | १४८९ | १५९१ | ५१ | ५१ |

२. बालिका शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता का अभाव —

प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने कहा है कि भारतीय महाद्वीप में महिलाओं की स्थिति में काफी भिन्नता है और यह निर्भर करती है पारिवारिक संरचना, संस्कृति, वर्ग, जाति, मूल्यों और सम्पत्ति अधिकारों पर। यदि मध्यम वर्गीय शिक्षित महिलायें, जो शहरों में रहती हैं, यदि उन्हें देखा जाए तो भारतीय महिला की स्थिति में सुधार आया है। लेकिन गाँव एवं कस्बों में आज भी उच्च जाति की महिलायें घर की चहारदीवारी में अभी भी सीमित हैं और आर्थिक उत्पादन में सीमित हैं। उनकी जिम्मेदारियाँ सिर्फ घर तक ही सीमित हैं। इसी प्रकार निम्न जाति की महिलाएँ कई प्रकार के

शोषण से उत्पीड़ित है। ग्रामीण महिलाये घर में एवं बाहर दोनों काम करती हैं। बाहर के लिए मजदूरी मिलती है, जबकि घर के कार्यों को निष्पादित करने पर उन्हें आभार भी नहीं मिलता। भारतीय संविधान में लिये गये मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव, धर्मजाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा की बात करता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत ६-१४ वयवर्ग के बच्चों की शिक्षा का प्राविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। यहां तक कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान मौलिक अधिकारों के रूप में प्राविधानित किया गया है। संविधानजनित एवं सामाजिक विभेद के कारण ही यदि ३०२० में साक्षरता दर की समीक्षा की जाय तो पुरुषों का राष्ट्रीय साक्षरता दर ७०.२३ प्रतिशत तथा महिलाओं का साक्षरता दर ४२.९८ प्रतिशत ही है। इस प्रकार २७.२४ प्रतिशत पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अन्तर स्पष्ट होता है। उपरोक्त का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि इस स्थिति में एक राष्ट्र का समग्र विकास कैसे संभव है, जहाँलाभय आधे वयस्क मानव संसाधनों को विकास की प्रक्रिया से अलग रखा गया है।

बालिकाओं की शिक्षा में अवरोधक तत्व — बालिकाओं की शिक्षा में अवरोधक तत्व निम्नवत हैं—

(१) शिक्षित न होने के कारण अभिभावक बालिका को घर में चहार दिवारी के भीतर रहकर काम करने वाली बालिका के रूप में देखते हैं। यह स्थिति मात्र के उच्च वर्ग के अन्दर भी सन्निहित है।

(२) नैतिक अवमूल्यन के कारण बालिका को भय व अभिभावक दूरी पर अवस्थित विद्यालय में भेजने से हिचकते हैं।

(३) लैंगिक विभेद के कारण पक्षपाती तथा पूर्वाग्रही अध्यापकों को एवं अभिभावकों द्वारा अर्जित संस्कारों तथा मन मस्तिष्क में अंकित विचारों के कारण स्वतः ही विभेद पूर्ण व्यवहार किया जाता है।

(४) बालिका की शिक्षा एवं कार्यों को अर्थ की उपादेयता से नहीं जोड़ा जाता है, इसके कारण भी बालिका शिक्षा में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है।

(५) समाज के कमजोर वर्ग की महिलायें अपनी बन्धियों को छोटे भाई बहनों के देखभाल के लिए घर पर रोक लेती हैं, जिसके कारण बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं उद्धार नहीं हो पाता है।

(६) शैक्षिक सुविधाओं के अभाव के कारण तथा स्कूल के वातावरण के कारण नामांकन व उद्धार नहीं हो पाता है।

(७) बालिकाओं को शिक्षा के लिए न तो शिक्षक अभिप्रेरित करता है और न तो अभिभावक।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन अवरोधक तत्वों को दूर करने हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगे—

१. विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा बालिकाओं की शिक्षा हेतु समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करना, जिसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना। इसके लिए माडल क्लस्टर डेवलपमेंट एप्रोच पद्धति अपनायी जायेगी।

माडल क्लस्टर डेवलपमेंट एप्रोच—

माडल क्लस्टर के चयन का आधार वह न्यायपंचायत होती है जहाँ पर बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव न्यून हो, अल्पसंख्यक एवं अनुसूचितजातिवाहुल्य क्षेत्र हो। चयनित माडल क्लस्टर में सर्वप्रथम एक कोर टीम का गठन किया जाता है जिसमें संबन्धित न्यायपंचायत के समस्त ग्रामप्रधान, सम्भ्रान्त नागरिक, सेवानिवृत्त अध्यापक, समाजसेवी, महिला, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक वर्ग को प्रभावित करने वाले व्यक्ति आदि रखे जाते हैं। कोर टीम १३-१५ सदस्यीय होती है। कोर टीम की बैठक में चिन्हित माडल क्लस्टर में वहाँ की समस्याएँ तथा उनके समाधान हेतु किये जाने वाले प्रयास पर चर्चा की जाती है। माडल क्लस्टर में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरकसमूह, माता शिक्षक संघ का गठन एवं प्रशिक्षण, मीना कैम्पेन तथा संशोधन फिल्म का प्रदर्शन, माँ-बेटी मेला, बाल मेला, शिक्षकों का जेण्डर-संवेदीकरण प्रशिक्षण, ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन आदि गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। डीपीईपी के तहत १५ माडल क्लस्टर का चयन किया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ७५ माडल क्लस्टर का चयन निम्न विवरण के अनुसार वर्षवार कराया जायेगा।

सारणी ८.७

माडल क्लस्टर का वर्षवार चयन

| आइटम/ सुविधा का नाम | चयन वर्ष | | | योग |
|---------------------|----------|---------|---------|-----|
| | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ | |
| माडलक्लस्टर की चयन | ७ | ७ | ६ | २० |

(क) महिला प्रेरक दल — ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। यह दल ही स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों के विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव हेतु प्रयास करेंगे।

(ख) माता शिक्षक संघ — ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, उस गाँव की १० से १२ सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे। डीपीईपी के अन्तर्गत चयनित १५ माडल क्लस्टर में माता-शिक्षक संघ के प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत माता-शिक्षक संघों का प्रशिक्षण निम्न विवरण के अनुसार १२७० विद्यालयों में कराया जायेगा।

सारणी ८.८

माता शिक्षक संघ का वर्षवार प्रशिक्षण

| आइटम / मूविभा का नाम | चयन वर्ष | | | योग |
|------------------------------|----------|---------|---------|------|
| | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ | |
| माता शिक्षक संघ का प्रशिक्षण | ५०० | ४०० | ३७० | १२७० |

स्रोत:— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

(ग) ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन — बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी, जिसमें स्कूल के बच्चे अध्यापक एवं अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नांगे लगाकर बच्चों को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा। बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिये हरा, पीला व लाल तारा निशान प्रति माह उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। तारांकन का आधार निम्नवत होगा —

माह में ८० प्रतिशत या उगरे अधिक उपस्थिति पर — हरा निशान

माह में ४० प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति पर — पीला निशान

माह में ४० प्रतिशत या उससे कम उपस्थिति पर — लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति के आधार पर मिले निशानों के आधार पर अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रति माह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूह की बैठकों में चर्चा की जायेगी जिससे उपस्थिति नियमित रूप से सुनिश्चित हो सके।

(घ) शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :- शिक्षकों का दृष्टिकोण बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक करने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कराया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण तीन दिवसीय होगा तथा डायट के सहयोग से ब्याक संसाधन केंद्र पर आयोजित होगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जैविकीय विभेद को छोड़कर सामाजिक विभेदों पर प्रहार करने हेतु उनके मन मस्तिष्क में पूर्वाग्रहों को दूर करना होगा।

(ङ) 'मीना अभियान एवं संशोधन' फिल्म का प्रदर्शन — 'मीना' बालिकाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जा रही समस्याओं से संबंधित एवं यूनीसेफ द्वारा विकसित एक कार्टून फिल्म है। फिल्म मीना नामक बालिका पर तैयार की गई है। इसमें मीना विभिन्न समस्याओं से कैसे घिरी है एवं किस तरह उन समस्याओं को हल करते हुए शिक्षा ग्रहण कर रही है और समाज में व्याप्त विभिन्न स्तरों पर लैंगिक विभेद पर प्रहार करते हुए बालिकाओं की दशा में सुधार करने के साथ दिशा देने का प्रयास इस फिल्म में किया गया है। इस फिल्म में बालक और बालिका के भोजन में भी विभेद किया गया है, अर्थात् बालकको पौष्टिक खाद्यान्न ज्यादा, जबकि कम कार्य करते हुए दर्शाया गया है और बालिका को ज्यादा काम एवं कम भोजन दिया गया है। जब दोनों के कार्यों की तुलना स्वयं बालिका द्वारा अपने माता पिता के समक्ष की गई, तो विषमता का अहसास उन्हें स्वयं भी हुआ, इस फिल्म के प्रदर्शन से जन समुदाय में चेतना जागृत हो रही है, तथा भ्रमण से प्राप्त विभेद की स्थिति कम हो रही है।

संशोधन नामक फिल्म महिलाओं की जनतंत्र में पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत उनकी भागीदारी को कम होते हुए दर्शाया गया है। यह फिल्म भी लिंगभेद पर एक प्रहार है। जिससे अभिप्रेरित होकर महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं।

इन फिल्मों के प्रदर्शन से समाज में सामुदायिक सहभागिता एवं सामुदायिक क्रियाशीलता बढ़ रही है, इनका प्रदर्शन सर्व शिक्षा अभियान में उन न्यायपंचायतों/बस्तियों में कराया जायेगा, जहाँ पर महिला साक्षरता प्रतिशत न्यून है।

(च). माँ-बेटी मेला एवं महिलाओं की संसद — महिलाओं की शिक्षा के विषय में सम्पूर्ण समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। मूलतः महिलाओं में जागृति लाना अतिआवश्यक है। इस उद्देश्य को प्राप्त हेतु माँ-बेटी मेला जन चेतना लाने के लिए एक सामाजिक किल्ते बंदी है। यह मेला गांव में आयोजित किया जायेगा, जिसमें गांव की समस्त महिलाओं को आमंत्रित किया जायेगा और उन्हें संशोधन एवं मीना फिल्म दिखाकर अभिप्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही बालिका शिक्षा की महत्ता के विषय में चर्चा कराई जायेगी तथा समाज में व्याप्त लिंग विभेद की स्थिति से अवगत करते हुए उन्हें बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा।

महिला संसद का मुख्य उद्देश्य भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करना है। इसमें बालिकाओं की शिक्षा के विषय में माताओं को जागरूक करना, शिक्षक-अभिभावक के बीच अन्तर्सम्बंध स्थापित करते हुए उन्हें क्रियाशील बनाना, बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करना एवं निदान का उपाय करना है।

(२) बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु सत्र के मध्य एवं सत्रान्तमें अभिभावक सम्मेलन, कोहोर्ट स्टडी, ग्रीष्म कालीन शिविर, (बेटी हो स्कूल में) कला जन्था अभियान, शिशु शिक्षा केंद्र, बालकेंद्र, किशोरी केंद्र, किशोरी संघ, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र, प्रहर पाठशाला आदि कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

(क) सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन — शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक आयोजित कर दोनों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाली उनकी उपलब्धि स्तर में अवगत कराते हेतु नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया जायेगा तथा अन्य को प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही शिक्षा सत्र के अन्त में समावेश का आयोजन किया जायेगा जिसमें गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर उनके समक्ष ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत किया जायेगा जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं।

(ख) कोहोर्ट स्टडी— अधिकतम शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पाँच सालों में विद्यालय छोड़ा है इन बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर: — ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम ८ बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिह्नित की जायेंगी उन स्थानों पर १० दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनर्विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा। डीपीईपी के तहत वर्ष २००१-०२ से ५२ ग्रीष्मकालीन शिविर चलाये गये थे। गर्वीशिक्षा अभियान के तहत कुल २६३ ग्रीष्मकालीन शिविर निम्नविवरण के अनुसार वर्षवार संचालित किये जायेंगे।

सारणी ८.१

ग्रीष्मकालीन शिविरों का वर्षवार विवरण

| आइटम/ सुविधा का नाम | चयन वर्ष | | | योग |
|--------------------------------|----------|---------|---------|-----|
| | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ | |
| ग्रीष्मकालीन शिविरों की संख्या | २५ | २८ | २५ | ७८ |

(ग) कला जत्था अभियान — (बेटी हो स्कूल में)

सामूदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है । बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिये बेटी हो स्कूल में, पढ़ ले मुन्ना, पढ़ ले गुनिया—कला जत्था अभियान चलाया जायेगा । जिसकी प्रस्तुति स्थानीय कलाकारों के माध्यम से गाँव—गाँव में की जायेगी । यह अभियान उन गाँवों/न्याय पंचायतों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत ३०० कला जत्था अभियान चलाये जायेंगे जिनका वर्षवार विवरण निम्नवत है—

सारणी ८.१०

प्रस्तावित कलाजत्था अभियानों का वर्षवार विवरण

| आइटम/सुविधा का नाम | चयन वर्ष | | | योग |
|-----------------------------|----------|---------|---------|-----|
| | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ | |
| कलाजत्था अभियानों की संख्या | १०० | १०० | १०० | ३०० |

स्रोत:— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

(घ) शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना— शिशु शिक्षा केन्द्रों को संचालित करने का उद्देश्य मजदूर वर्गों की/कामकाजी महिलाओं की मदद करना है क्योंकि ये महिलायें प्रायः अपनी बच्चियों को छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिये घर पर रोक लेती हैं, जिससे इन बालिकाओं की शिक्षा बाधित होती है और बालिकायें शाला त्याग कर जाती हैं ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित आगनबाड़ी केन्द्रों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ते हुये उसका अधिकाधिक पृष्ठपोषण करते हुये इतना प्रभावशाली बनाया जायेगा जिससे आकर्षित होकर अभिभावक अपने ३-६ वय वर्ग के बच्चों को केन्द्र में पंजीकृत कराये जिसके फलस्वरूप बालिकाओं का प्राथमिक विद्यालयों में अधिकाधिक नामांकन तथा ठहराव हो एवं शिशुओं का मानसिक, शारीरिक भावनात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक अर्थात् समग्र विकास हो सके तथा बालक बालिका शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाए ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र संचालन करनेवाली कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं का १०दिवसीय प्रशिक्षण डायट द्वारा कराया जायेगा जिसमें केन्द्र संचालन की शिशुशिक्षा आधारित, गतिविधियों को मूलतः प्रार्थना, वार्तालाप, स्वच्छता की जाँच आदि से सम्बन्धित होगी के बारे में बताया जायेगा । इन

केन्द्रों के संचालन का समय विद्यालय समयानुसार ही किया जायेगा तथा केन्द्र विद्यालय परिसर में अथवा निकट के आँगनवाड़ी केन्द्र में संचालित किये जायेंगे। इस बड़े हुए समय एवं कार्य के निष्पादन हेतु शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को क्रमशः २५० एवं १२५ रूपयें प्रति माह अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। केन्द्र को सुदृढ़ एवं आकर्षक बनाने के लिये प्रति केन्द्र रूपये ६५००/- प्रथम वर्ष में अनावर्तक व्यय के लिये दिया जायेगा जिसका उद्देश्य खिलौनों के माध्यम से शिशुओं को नई चीजों से परिचित कराना है। पुनः रूपये १५००/- प्रति वर्ष प्रति केन्द्र आवर्तक व्यय के रूप में दिया जायेगा, जिसका उद्देश्य दी गई सामग्री की मरम्मत एवं आवश्यक खर्च में प्रयुक्त किया जाना है।

इन केन्द्रों के चयन का आधार ऐसा विकास खण्ड जहाँ महिला साक्षरता दर अन्य विकास खण्डों के सापेक्ष न्यून है तथा शालात्याग दर अधिक अर्थात् शैक्षिक पिछड़ापन अधिक है। डीपीईसी के तहत ५१ शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ३०० शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जिनका वर्षवार विवरण निम्नवत है—

सारणी ८.११

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का वर्षवार विवरण

| आइटम/सुविधा ना नाम | चयन वर्ष | | | योग |
|---------------------------------|----------|---------|---------|-----|
| | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ | |
| शिशु शिक्षा केन्द्रों की संख्या | १०० | १०० | १०० | ३०० |

स्रोत:— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

शिशु शिक्षा केन्द्रों का स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालन — जिन विकास खण्डों में महिला शाला विकास विभाग द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर इन केन्द्रों का व्यवस्थापन, संचालन एवं प्रबंधन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए जनमत से अनुभवों एवं रुझानों का स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्ताव प्रेष विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों का परीक्षण सर्वप्रथम डेप्युटी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा। जिसमें कुछ निश्चित मापदंड जैसे संस्थाओं का पंजीकरण हेतु कम से कम तीन वर्ष का समय तथा शिशु शिक्षा एवं महिला विकास के क्षेत्र में किये गये कार्य आदि के आधार पर चिन्हित होने पर पुनः फील्ड एग्जल्ट कमेटी द्वारा किया जायेगा, किये गये कार्यों की वर्गीयता के आधार पर स्वयंसेवी संगठन का चयन होगा, चयनित स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्ताव का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा। डीपीईसी के तहत १५ केन्द्र स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाये जा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान के तहत ७५ केन्द्रों का संचालन इनके माध्यम से किया जायेगा जिनका वर्षवार विवरण निम्नवत है—

शिशु शिक्षा केन्द्रों का स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालन

| आइटम/सुविधाका नाम | चयन वर्ष | | | योग |
|------------------------------|----------|---------|---------|-----|
| | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | |
| शिशु शिक्षा केन्द्रों की सं० | 25 | 25 | 25 | 75 |

स्रोत:— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

(ड) बाल केन्द्र — संघ की महिलाओं ने जब अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझा तो ऐसे स्थानों पर जहाँ औपचारिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन स्थानों पर बाल केन्द्रों की संकल्पना की गई। इसी को आधार मानते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिये बाल केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

(च) किशोरी केन्द्र — बाल केन्द्र बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, किन्तु ऐसी किशोरियां, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के पश्चात विद्यालय छोड़ दिया है, उनको संपूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। संघ की महिला समुदाय एवं किशोरियों से आपसी विचार विमर्श के पश्चात इस समस्या की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किशोरी केन्द्रों की स्थापना की गयी। किशोरी केन्द्र में किशोरियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण होगा।

(छ) किशोरी संघ — किशोरी संघ का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ, यह एक ऐसा संघ है जो विविध प्रकार की शिक्षा संपादन करने के उद्देश्यों को लेकर चलता है। जैसे— स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मानव के विषय में सामान्य जानकारी, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण की जानकारी, किशोरियों को भी जायेगी, जिससे जीवन के विविध आयामों में किशोरी परिचित हो सके तथा अपने जीवन में उन्हें सही ढंग से अपना सके।

(ज) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र — प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने हेतु उन बालिकाओं को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में नामांकित किया जायेगा, जो अपरिहार्य कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती हैं। ब्रिजकोर्स एवं ग्रीष्म कालीन सत्र चलाये जायेंगे, जिसमें विद्यालय में बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा।

(झ) बालशाला — बालशाला का लक्ष्य छोटे-छोटे बच्चों तथा ११ वर्षीय भाई एवं बहनों पर है। बड़े बच्चों के दल को प्राथमिक शिक्षा और ३-६ वर्ष के बच्चों को स्कूल में उत्साही पैकेज प्रदान किया जायेगा, जिन बालिकाओं पर अपने छोटेभाई बहनों के देखरेख का दायित्व है, वे इसी कारण स्कूल में बाहर रहती हैं। इस अभियान द्वारा दोनों आयुवर्ग के बच्चों को एक साथ जोड़ा जायेगा।

(ज) प्रहर पाठशाला — प्रहर पाठशाला एक रणनीति है जोकि मुख्यतः १+ बालिकाओं के लिए है जिन्होंने विद्यालय में जाना आरम्भ नहीं किया है या जो स्कूल छोड़ चुके हैं। ९-१४ वयवर्ग के बच्चों के लिए १.५ बालिकाओं के साथ १ प्रहर पाठशाला को आरम्भ किया जा सकता है।

(३) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों से सामुदायिक सहभागिता के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिचित कराया जायेगा तथा विभिन्न विभागों से सहयोग, समन्वय एवं सामुदायिक सहभागिता के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

६-१४ आयुवर्ग बच्चों की शिक्षा में सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। समुदाय के सहयोग के बगैर ६-१४ आयुवर्ग के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव कराना संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक है। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर में नगर शिक्षा समिति गठित की गई। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने संबंधी अधिकार शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य—

वातावरण सृजन — नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों, समाजसेवक, गणमान्य नागरिकों के साथ, व्यापक विचार विमर्श कर प्राप्त मुद्दों को समाहित करते हुए योजना को मूर्त रूप दिया गया, विचार विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा के महत्त्व के संबंध में विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गई।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण — प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित की जाती है, जिसमें विद्यालय के प्र.अ.सचिव, ग्राम पंचायत के प्रधान अध्यक्ष तथा तीन अभिभावक, जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। सदस्य होने वाली ग्राम शिक्षा समिति का मुख्य भारों विद्यालय संचालन, व्यवस्थापन एवं प्रबन्धन में सहयोग करना है। इनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इनका संदर्भ प्रशिक्षण, पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्विधानत्मक प्रशिक्षण एवं पाँच वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण एवं उन्हें भी दो वर्ष पर पुनर्विधानत्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा। डीपीईपी के अन्तर्गत जनपद की समस्त ७०९ ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। सर्वशिक्षा के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार नवगठित ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यों एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण का विवरण

| आइटम/सुविधा का नाम | प्रशिक्षण वर्ष | | | योग |
|---|----------------|---------|---------|------|
| | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६.०७ | |
| ग्रामशिक्षा समिति का प्रशिक्षण | ७२९ | ० | ७२९ | १४५८ |
| ग्राम शिक्षा समिति का लिंग मंवेदिकरण का प्रशिक्षण | ० | ७२९ | ० | ७२९ |

स्रोत:— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

विद्यालयों की स्थिति सुधारने में समुदाय की भूमिका — सूक्ष्म नियोजन के उपरान्त ग्राम पंचायत में शिक्षा संबंधी जो समस्याएँ चिन्हित की जायेगी, उनका निराकरण करने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नहीं है, अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्रामवासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी तथा बच्चों को खेलने के लिये मैदान उपलब्ध कराया जायेगा एवं ग्रामवासियों को इस बात से अवगत कराया जायेगा कि बिना खेल के बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय की भूमिका — आकर्षक पर्यावरण हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका की व्यवस्था छात्रों एवं समुदाय के सहयोग से कराया जायेगा।

साज सज्जा में सहयोग — विद्यालय में फर्नीचर, टाटपट्टी, श्यामपट्ट, चाक, शैशिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार, अनुभवी एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिये समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कापी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। विद्यालय के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढीकरण में सक्रियता — अतिरिक्त कक्षाकक्ष निर्माण, भवन निर्माण, चहारदीवारी निर्माण, मिट्टी भराव, विद्यालय प्रांगण की भूमि ऊँची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी।

विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोग — वातावरण एवं परिवेश आकर्षक बनाने में बच्चे के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था कराई जायेगी, जिससे बच्चे अलग से आकर्षक

एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने जो अपराध भावना से दूर और स्वयं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें।

राष्ट्रीय एवं अन्य पर्वों पर चेतना जागृति — राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनसहयोग से कराया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा। प्रतिरोधिता आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोग — समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में अध्यापकों की कमी की स्थिति में शिक्षण कार्य बाधित न होने दें तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग — गांव के शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण के दौरान इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे अपने विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहें और नियमित रूप से अनुश्रवण भी करें तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्धन हेतु अपना मकागतमक सहयोग प्रदान करें।

ग्राम शिक्षा समितियों को पुरस्कार—

जनपद में प्रतिवर्ष प्रतिविकासखण्ड दो ऐसी ग्राम शिक्षा समितियों को पुरस्कृत किया जायेगा जिन्होंने गत शैक्षिक सत्र में विद्यालय संचालन, प्रबन्धन आदि में अच्छा कार्य किया है।

शिक्षामित्रों को पुरस्कार—

उत्तम शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षामित्रों को भी पुरस्कृत किया जायेगा। इस अभियान के तहत प्रतिवर्ष प्रति विकासखण्ड २ शिक्षामित्रों का चयन करके पुरस्कृत किया जायेगा जिन्होंने शिक्षण कार्य एवं विद्यालय संचालन में उत्कृष्ट कार्य किया है।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता — अभिभावकों शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय बच्चों की शिक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करने तथा शिक्षानुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के विभिन्न कार्यक्रम यथा स्कूल चलो अभियान, नारा लेखन, गोष्ठी, परिचर्चा, रैली आदि का आयोजन किया जायेगा। इन कार्यक्रमों से जनपद में अच्छे स्वयं सेवी संगठनों का चिन्तीकरण कर इन संगठनों को जोड़ा जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण ग्राम स्तरीय सूक्ष्मनियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में भी स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।

४. धार्मिक कारणों से अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शिक्षा की मुख्य धारा से न जुड़ पाना —अल्पसंख्यक समुदाय की अधिकांश बालिकायें स्कूल से बाहर हैं। इनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मकतब/मदरसों को सशक्त किया जायेगा। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन पर ही आधारित है। इसके कारण बालिकाएं औपचारिक स्कूलों से बाहर हैं। मकतब/ मदरसों को सुदृढ़ करने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना एवं साथ ही साथ औपचारिक पाठ्यक्रम को भी मकतब/मदरसों में प्रारम्भ करना है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण —

सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से शिक्षा की मुख्य धारा में न जुड़े हुये अनुसूचित जाति के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष कार्ययोजना के द्वारा शिक्षित किया जायेगा। शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने वाले अनुसूचितजाति के बच्चों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है

| वर्ग | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या | १२०० | १२०० | १२०० |

५. विशेष वर्ग की शिक्षा, समेकित शिक्षा — भारत की लगभग १० प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मुख्य धारा में न जोड़ा जाय। प्रायः अभिभावक एवं समाज की उपेक्षा के कारण विकलांग बालक हीन भावना के कारण विद्यालय में आना छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे विकलांगता के उपरान्त भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं एवं उनमें शिक्षा प्राप्त करने भावना होती है। लेकिन विकलांग शिक्षा के अभाव में अशिक्षित ही रह जाते हैं। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्रकार के विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है। विकलांगता मुख्य रूप से निम्न ५ प्रकार की होती है—

१. दृष्टि/नेत्र विकलांगता।
२. श्रवण संबंधी विकलांगता।
३. मांसिक मन्दता।
४. अधिगम मन्दता।
५. आश्रित विकार।

जहाँ तक विकलांगता का शरीर में पाये जाने का प्रश्न है, तो यह दो प्रकार का होता है।

१. जन्म से— यह विकलांगता जन्म से होती है।

२. जन्म के बाद से — यह विकलांगता जन्म लेने के बाद से किसी भी समय हो सकती है, कुछ मामलों में विकलांगता, वातावरण/रासायनिक प्रभाव से भी हो जाती है। जैसे भोपाल गैस कांड के बाद वहां वातावरण के रासायनिक प्रभाव से व समय-समय पर युद्ध तथा भारी बमबारी से ओजोन लेयर में छेद हो जाने के कारण विकलांगता बढ़ी है।

हाउस होल्ड सर्वे के द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है—

| क्रं सं० | विकलांगता का प्रकार | बालक | | बालिका | |
|----------|---------------------|------|-------|--------|-------|
| | | 6-11 | 11-14 | 6-11 | 11-14 |
| 1 | दृष्टि | 188 | 37 | 49 | 29 |
| 2 | श्रवण | 178 | 32 | 34 | 19 |
| 3 | बोलना | 197 | 44 | 47 | 27 |
| 4 | अधिगम क्षमता | 175 | 35 | 45 | 26 |
| 5 | मानसिक मन्दता | 113 | 59 | 55 | 39 |
| 6 | शारीरिक अक्षमता | 278 | 230 | 292 | 126 |
| 7 | अन्य | 131 | 151 | 165 | 81 |
| योग | | 1260 | 580 | 687 | 347 |

सारणी-८१५

इन्टीग्रेट किये गये बच्चों का विवरण (कक्षा वार)

२००३-०४

| क्रम सं० | ब्लॉक का नाम | आच्छादित स्कूल | कक्षा-१ | | कक्षा-२ | | कक्षा-३ | | कक्षा-४ | | कक्षा-५ | | योग | |
|----------|--------------|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | | | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका |
| १ | सोहावल | | 18 | 18 | 31 | 27 | 23 | 12 | 18 | 16 | 23 | 11 | 113 | 84 |
| २ | मया | | 21 | 18 | 23 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 114 | 105 |
| ३ | मसोध | | 20 | 14 | 13 | 12 | 21 | 18 | 21 | 14 | 13 | 12 | 88 | 70 |
| ४ | बीकापुर | | 13 | 19 | 14 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 | 9 | 3 | 60 | 61 |
| ५ | मवई | | 19 | 17 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 69 | 62 |
| ६ | तारुं | | 24 | 23 | 17 | 14 | 24 | 25 | 18 | 14 | 12 | 15 | 95 | 91 |
| ७ | मिल्कीपुर | | 24 | 23 | 27 | 24 | 26 | 20 | 24 | 21 | 24 | 19 | 125 | 107 |
| ८ | पूरा | | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 75 | 78 |
| ९ | कदौली | | 18 | 22 | 18 | 21 | 13 | 14 | 16 | 14 | 11 | 11 | 76 | 82 |
| १० | हरिगटनगंज | | 34 | 17 | 30 | 25 | 25 | 16 | 29 | 13 | 33 | 18 | 151 | 89 |
| ११ | अमानीगंज | | 19 | 18 | 18 | 10 | 24 | 12 | 14 | 14 | 19 | 20 | 94 | 74 |
| | योग | | 223 | 204 | 220 | 209 | 222 | 174 | 202 | 156 | 193 | 158 | 1060 | 903 |

इन्टीग्रेट किये गये बच्चों का विवरण (कक्षा वार)

२००३-०४

| क्रम सं० | ब्लाक का नाम | आच्छादित स्कूल | कक्षा-६ | | कक्षा-७ | | कक्षा-८ | | योग | |
|----------|--------------|----------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------|--------|
| | | | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका |
| १ | सोहावल | | ९ | १५ | ७ | ५ | ६ | ८ | २२ | २८ |
| २ | मया | | ११ | १४ | १२ | १३ | १० | ९ | ३३ | ३६ |
| ३ | मसोधा | | ४ | १६ | ३ | ५ | ३ | ५ | १० | २६ |
| ४ | बीकापुर | | ७ | ५ | ५ | ६ | ४ | ७ | १६ | १८ |
| ५ | मवई | | ८ | ४ | ६ | ६ | ४ | ४ | १८ | १४ |
| ६ | तारून | | १६ | १५ | ११ | १० | १९ | ११ | ४६ | ३६ |
| ७ | मित्कीपुर | | १३ | ११ | १० | १० | ११ | १२ | ३४ | ३३ |
| ८ | पूरा | | १३ | १४ | ११ | १२ | १४ | १४ | ३८ | ४० |
| ९ | रूदौली | | ५ | ७ | ४ | ३ | ४ | ५ | १३ | १५ |
| १० | हरिगढनगंज | | ९ | ८ | ११ | १५ | ९ | १३ | २९ | ३६ |
| ११ | अमानीगंज | | १९ | १७ | १५ | १३ | १३ | ११ | ४७ | ४१ |
| | योग | | ११४ | १२६ | ९५ | ९८ | ९७ | ९९ | ३०६ | ३२३ |

४५

इन्टीग्रेट किये गये बच्चों का विवरण (विकलांगता वार)

प्राथमिक विद्यालय

२००३-०४

| क्रम सं० | ब्लॉक का नाम | आच्छादित स्कूल | VI | | HI | | OH | | MR | | LD | | योग | |
|----------|--------------|----------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | | | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका |
| १ | सोहावल | | 11 | 9 | 3 | 14 | 90 | 46 | 9 | 15 | | | 113 | 84 |
| २ | मया | | 11 | 9 | 17 | 16 | 77 | 72 | 9 | 8 | | | 114 | 105 |
| ३ | मसोधा | | 13 | 11 | 14 | 9 | 52 | 42 | 9 | 8 | | | 88 | 70 |
| ४ | बीकापुर | | 7 | 4 | 9 | 9 | 37 | 42 | 7 | 6 | | | 60 | 61 |
| ५ | मवई | | 10 | 9 | 11 | 12 | 37 | 29 | 11 | 12 | | | 69 | 62 |
| ६ | तारून | | 13 | 9 | 19 | 16 | 47 | 52 | 17 | 14 | | | 96 | 91 |
| ७ | मिल्कीपुर | | 25 | 17 | 15 | 11 | 64 | 64 | 21 | 15 | | | 125 | 107 |
| ८ | पूरा | | 14 | 15 | 14 | 14 | 30 | 33 | 17 | 16 | | | 75 | 78 |
| ९ | रुदौली | | 6 | 6 | 6 | 10 | 57 | 62 | 7 | 4 | | | 76 | 82 |
| १० | हरिगटनगंज | | 22 | 14 | 18 | 13 | 91 | 49 | 20 | 13 | | | 151 | 89 |
| ११ | अमानीगंज | | 9 | 11 | 19 | 14 | 53 | 35 | 13 | 14 | | | 94 | 74 |
| | योग | | 141 | 114 | 145 | 138 | 635 | 526 | 140 | 125 | | | 1061 | 903 |

इन्टीग्रेट किये गये बच्चों का विवरण (विकलौंगता वार)

२००३-०४

| क्रम सं० | ब्लाक का नाम | आच्छादित स्कूल | VI | | HI | | OH | | MR | | LD | | योग | |
|----------|--------------|----------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | | | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका |
| १ | सोहावल | | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 22 | 0 | 1 | | | 28 | 29 |
| २ | मया | | 6 | 7 | 4 | 6 | 14 | 16 | 9 | 7 | | | 33 | 36 |
| ३ | मसोधा | | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 | | | 10 | 16 |
| ४ | बीकापुर | | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 | 2 | | | 16 | 18 |
| ५ | मवई | | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | | | 18 | 14 |
| ६ | तारुन | | 3 | 5 | 8 | 7 | 28 | 17 | 7 | 5 | | | 46 | 36 |
| ७ | मित्कीपुर | | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 14 | 8 | 7 | | | 34 | 33 |
| ८ | पूरा | | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | 22 | 9 | 9 | | | 38 | 40 |
| ९ | रुदौली | | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | | | 5 | 15 |
| १० | हरिगटनगंज | | 4 | 7 | 3 | 5 | 16 | 17 | 6 | 7 | | | 29 | 36 |
| ११ | अमानीगंज | | 7 | 6 | 10 | 10 | 29 | 22 | 5 | 3 | | | 51 | 41 |
| | योग | | 36 | 39 | 52 | 61 | 171 | 168 | 49 | 46 | | | 308 | 314 |

विकलांगता के कारण बालकों में शैक्षिक व बौद्धिक विकलांगता उत्पन्न हो सकती है। जो कि समाज में उपेक्षा मिलने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। उनके आत्म विश्वास में कमी के कारण आत्म निर्भरता में कमी आ जाती है। परिवार के साथ विद्यालय में ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। परिवार पर आर्थिक बोझ अधिक पड़ता है। अध्यापक पर भी कक्षा में ऐसे बच्चों को पढ़ाने में अधिक भार पड़ता है। ऐसे में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक को प्रशिक्षण व टी.एल.एम. की समुचित व्यवस्था की जायेगी। ऐसे बच्चों को हर समय अकेला नहीं छोड़ा जाता। समाज व समुदाय की भूमिका अग्रिम रूप से है कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें व विकलांगता के साथ ही इन्हे स्वीकारें। अक्षम बच्चों की शिक्षा के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं। अनेक शिक्षकों, बुद्धिजीवियों का विश्वास है कि अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता है, जबकि हम वास्तव में ऐसा प्रयास नहीं कर पा रहे हैं।

यदि परिवार एवं समाज इन बच्चों की शिक्षा के प्रति ध्यान दें तो विकलांग बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यदि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन व विद्यालय में सही ढरगव मिले तो ये कठिन से कठिन कार्य को करने में भी नहीं हिचकेंगे।

इसके लिये हमें सबसे पहले अपना, अपने परिवार का दृष्टिकोण बदलना होगा, इन बच्चों को सरकार से उचित व्यवस्था की ही नहीं वरन समुचित निर्देशन की भी आवश्यकता है।

जनपद फँजावाट में अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति द्वारा सभी प्रकार के विकलांगों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें व पुनर्वास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समय-समय पर शिविर द्वारा सहायता यंत्र व उपकरण वितरित किया जाता है। सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को शैक्षिक व व्यवसायिक रूप से योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा समुदाय का संवेदीकरण किया जा रहा है।

प्रशिक्षण — विकलांग बच्चों को शिक्षा देने से पहले हमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक है। जो १५ दिन का होता है। प्रत्येक विकास खण्ड में ४-४ मास्टर ट्रेनर बनाने होंगे, जो वाट में शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। स्वयं सेवी संगठनों में भी मास्टर ट्रेनर बनाने जा सकते हैं।

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण — रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, अमर ज्यांति रिहैविलेशन एंड रिसर्च सेंटर ककदुमा, विकासमार्ग दिल्ली, चेतना इंस्टीट्यूट सेंटर, सेक्टर सी, लखनऊ।

शैक्षिक सामग्री — जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री पहले ही प्राप्त हो गई है। सामग्री को सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराना है।

स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी — विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा हेतु तकनीकी सहायता लेते हुए ऐसी स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी ली जाती है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करते हों और निम्न पात्रता रखते हों—

१. सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व संस्था का पंजीकरण हो तथा नवीनीकरण हुआ हो।
२. संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता हो।
३. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।
४. संस्था विकलांगता जन अधिनियम १९९५ की धारा ५ के अधीन स्वीकृत हो।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता — विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता के अन्तर्गत सर्व शिक्षा में विकलांग बच्चों को सम्मिलित एवं प्रोत्साहन मिलता रहे। ऐसे में समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों के सर्वांगीण बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने हेतु सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी ख्यातिप्राप्त स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्क टाप अप्रैजल/फील्ड अप्रैजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की मध्यस्थता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा। जनपद में इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएँ निम्नलिखित हैं—

१. अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति,
तुलसी नगर, अयोध्या, फैजाबाद।
२. हरिजन कल्याण समिति,
ग्राम व पो० कलोरी लहोरी, फैजाबाद।
३. अवध संस्थान रामघाट,
अयोध्या, फैजाबाद।
४. जनकल्याण एवं नारी उत्थान समिति,
१०४, शहीब गंज, फैजाबाद।

५. नेशनल इंस्टीट्यूट फार सोसल वेलफेयर
पो० कठनीपुर, जिला फैजाबाद।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ परिवार एवं समाज की अपेक्षाओं के अनुभव सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न शिल्प कलाओं में प्रशिक्षित किया जायेगा।

वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम में बालिकाओं के भावी पारिवारिक जीवनोपयोगी क्रियाकलापों का अभाव है सिल्टाई—कढ़ाई, बनाई, पेन्टिंग, कुकिंग एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार टोकरीयों के निर्माण, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामानों की डेकोरेटिंग आदि प्रशिक्षण से निःसंदेह बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों की विद्यालयीय शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्न सामानों के अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बालिकाओं के कार्यानुभव कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा।

कार्यानुभव कार्यक्रम का वर्षवार विवरण

सारिणी—८.१६

| वर्ष | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ |
|---|---------|---------|---------|
| कार्यानुभव कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या | ५० | ७५ | ७५ |

स्रोत :- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा की मुख्य धाराओं में जोड़ने एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। निम्न तालिका में वर्षवार विवरण स्पष्ट है —

प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

| वर्ष | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ |
|------------------------|---------|---------|---------|
| लाभान्वित छात्र संख्या | — | १४७०२५ | १५०३३५ |

उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

| वर्ष | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ |
|------------------------|---------|---------|---------|
| लाभान्वित छात्र संख्या | — | ३३४४७ | ३८०६८ |

गुणवत्ता सम्बर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विभाजन

गुणवत्ता सम्बर्द्धन के आइने में जनपद फँजावाट जनपद फँजावाट में प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के लिए अप्रैल, २००० से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरम्भ हो चुका है। डी.पी.ई.पी. योजनाअर्थात् भौतिक संसाधनों के साथ-साथ अकादमिक पक्ष पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि प्राथमिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाया जा सके तथा गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन हेतु योजनावद्ध कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में जनपद में बीआरसी तथा एनपीआरसी समन्वयक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. तथा सह-समन्वयकों को उनके कार्यों तथा दायित्वों के समन्वय में प्रशिक्षण कराया जा चुका है। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण, आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उसके भौतिक तथा अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एनपीआरसी स्थल पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, गद्यावक शिक्षण—सामग्री के निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता तथा अनुश्रवण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यह महत्त्वपूर्ण किया जा रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आन्वयित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक पक्षों को पूर्णतः जोड़ा जा सके। परन्तु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग की अति आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र निम्नवत हैं—

१. उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा उम्रमें कार्यरत शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताएँ।
२. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टरकालेज के कक्षा ६-८ तथा १-५ के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता, कठिनाइयों के निराकरण हेतु उन बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक सहयोग, पर्यवेक्षण आदि की परिधि में अभी नहीं लाया जा सका है, वे इसमें बहुत दूर हैं।
३. मकतब, मदरसों में अध्ययनरत बच्चों तथा उनके शिक्षकों को अकादमिक सहयोग।

ग्राम शिक्षा समिति — संविधान के पैतालीसवें अनुच्छेद में उल्लिखित प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के लक्ष्य की प्राप्ति करने की दृष्टि से डीपीईपी के अन्तर्गत विद्यालय — प्रबन्ध तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। समिति का सदस्य सचिव, परिपटीय विद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति के तीन अभिभावक सदस्य होते हैं जो कि सहायक वैसक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित होते हैं। सदस्यों में एक महिला का होना आवश्यक होता है। ग्राम शिक्षा समिति का प्रमुख कार्य विद्यालय भवन निर्माण, मरम्मत, छात्रवृत्ति पोषाहार वितरण, अध्यापकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना होता है।

डीपीईपी में आच्छादित फेंजावाट जनपट में कुल ७२९ ग्राम शिक्षा समितियाँ हैं। समस्त ग्राम शिक्षा समितियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न करा लिया गया है। यह प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित होता है जिनमें निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण कराया जाता है—

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य व उत्तरदायित्व
 बालिका शिक्षा आवश्यक क्यों?
 सूक्ष्म नियोजन तथा स्कूल भौतिक

ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने हेतु उन्हें विद्यालय की समस्त गतिविधियों में आमन्त्रित किया जाता है। विद्यालयस्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों आदि को सूक्ष्म नियोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी निश्चय ही बढ़ी है। स्कूल के विद्यालयों पर स्थानीय स्तर में पर्यवेक्षण करने में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालयों में नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने में सहयोग मिलता है। यदि माता—पिता शिक्षित हैं तो बच्चों को गृहकार्य एवं दैनिक कार्यों में भरपूर सहयोग मिलता है। शिक्षित परिवारों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांश अभिभावक बहुत कम पढ़े—लिखे हैं तथा खेती का काम करते हैं, ऐसी स्थिति अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं।

जनपद के प्राथमिक शिक्षा का परिदृश्य ----

| | | | |
|----|---|---|------|
| १. | प्राथमिक विद्यालयों की संख्या | — | १०९३ |
| २. | उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या | — | २०६ |
| ३. | डीपीईपी योजनान्तर्गत संचालित ईसीसीई केन्द्रों की संख्या | — | ५१ |
| ४. | वैकल्पिक शिक्षाकेन्द्रों की संख्या | — | ५० |
| ५. | मकतब, मदरसों की संख्या | — | ५० |
| ६. | हाईस्कूलों की संख्या | — | ३३ |
| ७. | इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या | — | ५२ |
| ८. | स्नातक/ स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या | — | ८ |

शिक्षकों को सहयोग व समर्थन की व्यवस्था—

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने एवं पठन-पाठन की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अहम भूमिका है। वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एमओपी टी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें अध्यापकों द्वारा महसूस की कठिनाइयाँ निम्नवत् हैं—

- प्रशिक्षण का प्रभाव कक्षाशिक्षण में प्रभावी नहीं रहा।
- विकासखंड व न्यायपंचायतस्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यशाला/ गोष्ठियों के माध्यम से पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकी।
- अकादमिक सपोर्ट ग्रुप के द्वारा प्रभावी रूप में शैक्षिक अनुसमर्थन नहीं दिया जा सका।

इन्हीं अनुभवों के आधार पर डीपीईपी के अन्तर्गत पण्डित प्रार्थमिक विद्यालयों के समस्त संवारत अध्यापकों एवं शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण ब्लाक-संसाधन केन्द्र पर कराया गया। डायट/डीपीओ के अधिकारियों द्वारा इन प्रशिक्षणों का अनुश्रवण किया गया।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन डायट और बी.आर.सी. स्तर पर समन्वयक एवं सगर्भ व्यक्तियों द्वारा सतत रूप से दिया जा रहा है। प्रतिमाह एनपीआरसी/ बीआरसी समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है तथा शिक्षकों को शैक्षिक तथा विद्यालयीय परिवेश समन्वही समस्याओं का समाधान गोष्ठियों/ परिचर्चाओं के द्वारा किया जा रहा है। जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डायट मैन्टर द्वारा भी समय-समय पर विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं। शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों, निरीक्षक वर्ग, बीआरसी, एनपीआरसी समन्वयकों को ३ दिवसीय शैक्षिक अनुसमर्थन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अगस्त परिपटीय प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सर्वेक्षण एवं शैक्षिक अनुसंधान के लिए राज्य स्तरीय पैरामीटर के आधार पर विकसित किये गये ग्रेडिंग चार्ट के माध्यम से विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य प्रति माह किया जा रहा है। शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालय प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्टता की तरफ अग्रसर है। अगस्त २००३ की विकास खण्डवार ग्रेडिंग की स्थिति निम्नवत है -

विद्यालय ग्रेडिंग अक्टूबर २००३

| क्र.सं० | विकास खण्ड | स्कूलों की सं० | श्रेणी | | | |
|---------|-------------|----------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | ए० | बी० | सी० | डी० |
| १ | मसोधा | ९५ | ७ | ७९ | ६ | ३ |
| २ | पुग | ८५ | ३ | ४७ | २७ | २ |
| ३ | मया | ९५ | ५ | ६५ | १८ | ३ |
| ४ | सोहवल | ९७ | ८ | ६१ | १० | ३ |
| ५ | बीकापुर | १०० | १७ | ८३ | ८ | ० |
| ६ | नाखन | १०९ | ६ | ९३ | १० | ० |
| ७ | मिल्कीपुर | ८४ | २९ | ४९ | १० | ६ |
| ८ | अमानीगंज | १०३ | ३९ | ६४ | ७ | ५ |
| ९ | हरिन्टीनगंज | ८२ | २९ | ५१ | ८ | २ |
| १० | खतौली | १२६ | ८ | ८२ | ५ | ८ |
| ११ | मवई | ७८ | २५ | ५३ | ९ | ३ |
| १२ | नगरक्षेत्र | ३९ | १ | २५ | ११ | ३ |
| | योग | १०९३ | १७७ | ७५२ | १२९ | ३५ |

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ के पूर्व परिपटीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक संप्रति के अध्ययन के लिए वेस लाइन सर्वे १९९९-२००० कराया गया। सर्वे के आधार पर कक्षा २ व कक्षा ५ के छात्रों का भाषा व गणित में जाति व लिंगवार आंकड़ा निम्नवत है-

आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति—

सारणी ९.२अ

कक्षा—२ के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (लिंगवार)

| क्रमांक | स्तर | बालक | बालिका | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|------|--------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | १११ | १२५ | २३६ | २८.२ |
| २ | एम.एल.एल.स्तर | ८४ | ६२ | १४६ | १७.५ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ८५ | ८४ | १६९ | २०.२ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | १४० | १४३ | २८३ | ३४.१ |
| | योग | ४२२ | ४१४ | ८३६ | १०० |

स्रोत — डायट, फैजाबाद।

कक्षा—२ के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (जातिवार) सारणी ९.२ब

| क्रमांक | स्तर | अनु.जाति | पि.जाति | अन्य | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|----------|---------|------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | ११८ | ७२ | ४६ | २३६ | २८.२ |
| २ | एम.एल.एल.स्तर | ४८ | ६१ | ३७ | १४६ | १७.५ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ७४ | ५८ | ३७ | १६९ | २०.२ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | ९६ | ९९ | ९० | २८५ | ३४.१ |
| | योग | ३३६ | २९० | २१० | ८३६ | १०० |

स्रोत — डायट, फैजाबाद।

सारणी ९.२स

कक्षा—२ के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (क्षेत्रवार)

| क्रमांक | स्तर | ग्रामीण | शहरी | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|---------|------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | २०९ | २७ | २३६ | २८.२ |
| २ | एम.एल.एल.स्तर | ११९ | २७ | १४६ | १७.५ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | १८८ | २१ | १६९ | २०.२ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | २२८ | ६० | २८८ | ३४.१ |
| | योग | ७०४ | १३५ | ८३६ | १०० |

स्रोत — डायट, फैजाबाद।

कक्षा-२ के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (लिंगवार)

सारणी ९.२द

| क्रमांक | स्तर | बालक | बालिका | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|------|--------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | ७१ | ९० | १६१ | १९.७ |
| २ | एम.एल.एल. स्तर | ६९ | ८३ | १५२ | १८.७ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ७८ | ९५ | १६९ | २०.७ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | २०८ | १८६ | ३९४ | ४७.३ |
| | योग | ४२२ | ४१४ | ८३६ | १०० |

ग्राम — डायट, फैजाबाद।

कक्षा-२ के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (जातिवार) सारणी ९.२य

| क्रमांक | स्तर | अनु.जाति | पि.जाति | अन्य | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|----------|---------|------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | ८५ | ६३ | ३३ | १६१ | १९.८ |
| २ | एम.एल.एल. स्तर | ५३ | ६५ | ३४ | १५२ | १८.७ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ६८ | ७७ | ६४ | १६९ | २०.७ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | १३० | १७५ | ९९ | ३९४ | ४७.३ |
| | योग | ३३६ | २९० | २१० | ८३६ | १०० |

कक्षा-२ के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (क्षेत्रवार) सारणी ९.२र

| क्रमांक | स्तर | ग्रामीण | शहरी | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|---------|------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | १६६ | १५ | १६१ | १९.७ |
| २ | एम.एल.एल. स्तर | १३९ | १३ | १५२ | १८.७ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | १४१ | २८ | १६९ | २०.७ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | २७५ | ७९ | ३५४ | ४७.३ |
| | योग | ७०१ | १३५ | ८३६ | १०० |

ग्राम — डायट, फैजाबाद।

कक्षा-५ के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (लिंगवार)

सारणी ९.२ल

| क्रमांक | स्तर | बालक | बालिका | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|------|--------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | ११६ | १०३ | २१७ | ३१.० |
| २ | एम.एल.एल. स्तर | १४४ | १४० | २८४ | ४०.८ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ८६ | ६० | १४६ | २०.८ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | ३३ | १९ | ५२ | ७.४ |
| | योग | ३७९ | ३२६ | ७०५ | १०० |

सारणी ९.२व

कक्षा-५ के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (जातिवार)

| क्रमांक | स्तर | अनु.जाति | पि.जाति | अन्य | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|----------|---------|------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | ७३ | ८६ | ५८ | २१७ | ३१.० |
| २ | एम.एल.एल.स्तर | १८ | ११० | ८२ | २८० | ६०.८ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ३८ | ६५ | ३५ | १३८ | २०.८ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | १६ | १३ | २३ | ५२ | ७.८ |
| | योग | २२१ | २७८ | २०२ | ७०१ | १०० |

स्रोत - डायट, फैजाबाद।

सारणी ९.२श

कक्षा-५ के छात्रों की भाषा विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (क्षेत्रवार)

| क्रमांक | स्तर | ग्रामीण | शहरी | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|---------|------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | १८० | ३७ | २१७ | ३१.० |
| २ | एम.एल.एल.स्तर | २१५ | ६१ | २७६ | ६०.८ |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ११७ | २१ | १३८ | २०.८ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | ६२ | १० | ७२ | ७.८ |
| | योग | ५७४ | ११७ | ७१० | १०० |

स्रोत - डायट, फैजाबाद।

सारणी ९.२घ

कक्षा-५ के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (लिंगवार)

| क्रमांक | स्तर | बालक | बालिका | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|------|--------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | २३५ | २६५ | ५०० | ६८.० |
| २ | एम.एल.एल.स्तर | १५ | ५२ | ६७ | २१.० |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | २५ | ८ | ३३ | ८.७ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | २६ | १७ | ४३ | ६.१ |
| | योग | ३०१ | ३२६ | ६०९ | १०० |

स्रोत - डायट, फैजाबाद।

सारणी ९.२स

कक्षा—५ के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (जातिवार)

| क्रमांक | स्तर | अनु.जाति | पि.जाति | अन्य | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|----------|---------|------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | १५३ | १८९ | १३६ | ४७८ | ६८.२ |
| २ | एम.एल.एल.स्तर | ४७ | ५७ | ४३ | १४७ | २१.० |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ५ | २० | ८ | ३३ | ४.७ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | १६ | १२ | १५ | ४३ | ६.१ |
| | योग | २२१ | २७८ | २०२ | ७०१ | १०० |

स्रोत — डायट, फैजाबाद।

सारणी ९.२ह

कक्षा—५ के छात्रों की गणित विषय में शैक्षिक सम्प्राप्ति (क्षेत्रवार)

| क्रमांक | स्तर | ग्रामीण | शहरी | योग | प्रतिशत |
|---------|-----------------------|---------|------|-----|---------|
| १ | एम.एल.एल. नहीं | ३९६ | ८२ | ४७८ | ६८.२ |
| २ | एम.एल.एल.स्तर | ११३ | ३४ | १४७ | २१.० |
| ३ | प्रयास करने की दक्षता | ३२ | १ | ३३ | ४.७ |
| ४ | दक्षता ग्रहण | ४३ | ० | ४३ | ६.१ |
| | योग | ५८४ | ११७ | ७०१ | १०० |

स्रोत — डायट, फैजाबाद।

बेस लाइन सर्वे वर्ष २००० के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

| क्रम सं० | कक्षा | विषय | बालकों की संख्या | | | बालिकाओं की संख्या | | |
|----------|-------|------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|
| | | | एम.एल.एल. % | दक्षता % | एम.एल.एल. प्राप्त नहीं कर सकें % | एम.एल.एल. % | दक्षता % | एम.एल.एल. प्राप्त नहीं कर सकें % |
| १ | २ | भाषा | १९.९ | ५३.७ | २६.३ | १५.० | ५४.८ | ३०.२ |
| २ | २ | गणित | १६.४ | ६६.८ | १६.८ | २०.० | ५८.७ | २१.८ |
| ३ | ५ | भाषा | ३८.८ | ३१.१ | ३०.४ | ४५.६ | २८.८ | ३१.६ |
| ४ | ५ | गणित | २५.३ | १३.६ | ६१.१ | १६.० | ७.७ | ७६.८ |

मध्यावधि सर्वेक्षण रिपोर्ट — जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लागू होने के २ वर्षों के पश्चात गुणवत्ता संबंधन के आकलन हेतु मध्यावधि सर्वेक्षण किया गया। संलग्न तालिका में कक्षा २ एवं ५ में भाषा एवं गणित विषय में बालकों एवं बालिकाओं के एम.एल.एल. एवं दक्षता का प्रतिशत प्रदर्शित है।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वे वर्ष २००३ के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

| क्रम सं० | कक्षा | विषय | बालकों की संख्या | | | बालिकाओं की संख्या | | |
|----------|-------|------|------------------|----------|---------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------|
| | | | एम.एल.एल. % | दक्षता % | एम.एल.एल. प्राप्त नहीं कर सके % | एम.एल.एल. % | दक्षता % | एम.एल.एल. प्राप्त नहीं कर सके % |
| १ | २ | भाषा | १३.० | ७७.० | ९.८ | १५.९ | ७४.३ | ९.८ |
| २ | २ | गणित | ११.४२ | ८०.८२ | ७.७६ | १३.७८ | ७६.४७ | ९.८ |
| ३ | ५ | भाषा | ५२.५ | ३२.० | १५.५ | ४६.९ | ३३.४ | १९.८ |
| ४ | ५ | गणित | २५.१ | २६.२ | ४८.८ | २२.१ | २३.१ | ५४.८ |

शैक्षिक योग्यता —

प्राथमिक विद्यालयों में स०अ० के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा प्रशिक्षित (बी०टी०सी० अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है। निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं—

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

सारणी ९.३

| क्र. सं. | विवरण | प्राथमिक स्तर के शिक्षक | उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक |
|----------|---|-------------------------|------------------------------|
| १ | शिक्षकों की कुल संख्या | ३५०२ | ७५५ |
| २ | हाई स्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक | १८ | — |
| ३ | केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण | ५७६ | — |
| ४ | केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित) | ६४ | — |
| ५ | स्नातक (अप्रशिक्षित) | ५१ | — |

| | | | |
|---|----------------------------|------|-----|
| ६ | परास्नातक (अप्रशिक्षित) | १० | — |
| ७ | इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित | १६३५ | ४६१ |
| ८ | स्नातक एवं प्रशिक्षित | ९०९ | ३१० |
| ९ | परास्नातक एवं प्रशिक्षित | ९२ | २३ |

स्रोत — कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अधिकांश अध्यापक इण्टरमीडिएट व प्रशिक्षित हैं। इसलिए इस प्रकार के अध्यापकों को उ.प्रा. स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव—

सारणी ९.४

जनपद में शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्न प्रकार है—

| क्र.सं. | शिक्षण अनुभव | प्राथमिक वि० में अध्यापक सं० | उ.प्रा.वि० में अध्यापक सं० |
|---------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| १ | ५ वर्ष से कम | ४७७ | १२४ |
| २ | ५ वर्ष से १० वर्ष तक | ४१८ | ५१ |
| ३ | १० वर्ष से १५ वर्ष तक | ३०८ | ४१ |
| ४ | १५ वर्ष से २० वर्ष तक | ४४४ | ७४ |
| ५ | २० वर्ष से २५ वर्ष तक | ४५२ | ५४ |
| ६ | २५ वर्ष से ३० वर्ष तक | ६४२ | २१८ |
| ७ | ३० वर्ष से ३५ वर्ष तक | ३५९ | ११८ |
| ८ | ३५ वर्ष से अधिक | १५५ | १८ |
| | योग | ३२५५ | ६१८ |

स्रोत — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय।

उपरोक्त सारणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शायी गयी है। निरीक्षण के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि जो अध्यापक २० वर्षों से अधिक समय से शिक्षण कार्य

कर रहे हैं, वे परम्परागत शिक्षण विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके विपरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के अध्यापकों का प्रशिक्षण —

डीपीईपी योजनान्तर्गत प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से समय प्रवर्धन, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं उपयोग, अक्षम बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग, जेण्डर संवेदीकरण, सामुदायिक सहभागिता, रूचिपूर्ण कक्षा शिक्षण के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है। समन्वयक बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. को शैक्षिक अनुसमर्थन, विद्यालय पर्यवेक्षण, शिक्षक संदर्शिका के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जाय जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टरकालेजों में संचालित कक्षा ६-८ के शिक्षक प्रतिभाग कर सकें। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में विषयवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में तुलनात्मक वृद्धि की आवश्यकता है। इस आधार पर उच्च प्राथ० स्तर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत आयोजित किये जायेंगे — प्रथम वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषयवस्तु, शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो १० दिवसीय होगा।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डे के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला एनपीआरसी स्तर पर आयोजित होगी तथा प्रति ६ माह में १ बार आयोजन निश्चित होगा। एनपीआरसी स्तर पर ही एकदिवसीय मैटेरियल मेलों का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण-सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी क्रम में बीआरसी स्तर भी मैटेरियल मेलों का आयोजन किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में अध्यापकों को विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु विषयवस्तु, शिक्षणविधियों, शिक्षणसामग्री निर्माण एवं उपयोग सम्बन्धी १० दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी वर्ष अंग्रेजी विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषयवस्तु तथा शिक्षण-विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में पाठों की प्रस्तुति-पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु बताया जायेगा।

प्रशिक्षण के फालोअप के लिए डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डे के आधार पर प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी। एनपीआरसी स्तर पर आयोजित कार्यशाला प्रति छमाही होगी। इस के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु अध्यापकों के सहयोग से सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण करने हेतु बीआरसी स्तर पर दो तथा एनपीआरसी स्तर पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेंगी।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो आठ-दिवसीय होगा। इसी क्रम में भाषा शिक्षण हेतु सहायक शिक्षणसामग्री निर्माण के लिए दो-दिवसीय कार्यशाला बीआरसी स्तर पर आयोजित की जाएगी। भाषा शिक्षण के लिए पाठ-पुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जाएगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी अध्यापकों के अभिमुखीकरण के उपरान्त टेस्ट-आइटम बनाने हेतु दो-दिवसीय कार्यशाला एनपीआरसी स्तर पर तथा एकदिवसीय कार्यशाला बीआरसी स्तर पर आयोजित होगी।

अन्तिम वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्विभात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जो दस-दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के दौरान आगामी प्रशिक्षण के विषयवस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभव तथा फीड-बैक के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जाएगा।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकासखण्डस्तर पर संचालित किये जाएंगे।

इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिए कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाएंगे जिनका विवरण निम्नवत् है —

१. कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण — सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव तथा भारी संभाव्यता की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी जानकारी करायी जाये। इसके लिए प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकासखण्ड में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु अध्यापकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के अध्यापकों का एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् उच्च प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए माइयूल का विकास डायट तथा एससीई आरटी के सहयोग से किया जाएगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपने विद्यालय में बच्चों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करेंगे। पायलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट द्वारा किया जाएगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्षों में की जाएगी।

२. जेण्डर-संवेदीकरण प्रशिक्षण— कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में सम्वेदनशीलता लाने के लिए बीआरसी स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक अध्यापक कार्यशाला में प्रतिभाग करेगा। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लैंगिक असमानता को समाप्त करना है।

३. नेतृत्व प्रशिक्षण — सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व तथा समय-प्रबन्धन का प्रशिक्षण डायट द्वारा कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण दो-दिवसीय होगा। इस प्रशिक्षण हेतु माइयूल का विकास सी-मैट, इलाहाबाद तथा अन्य विभाग के सहयोग से डायट द्वारा किया जाएगा।

४. अन्य प्रशिक्षण — प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण निम्न है —

(क). शिक्षामित्र/ आचार्यजी प्रशिक्षण —

जनपद के ईजीएस केन्द्रों के आचार्यजी के लिए ३० दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट द्वारा कराया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षामित्रों के लिए भी कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्रों को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र एवं आचार्यजी के लिए १५ दिवसीय पुनर्बोधोन्मुख प्रशिक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

(ख) वैकल्पिक शिक्षा —

जनपद के प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिये १५ दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट द्वारा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुदेशकों का १० दिवसीय पुनर्बोधोन्मुख प्रशिक्षण भी आयोजित होगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास किया जा चुका है वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. समन्वयको द्वारा किया जायेगा। पर्यवेक्षण के क्षमता विकास हेतु समन्वयको का तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर कराया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रति दो वर्ष में एक बार होगा।

(ग) शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों एवं सहयिकाओं का प्रशिक्षण — — पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इनकी कार्यकर्त्रियों तथा सहयिकाओं का सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट द्वारा कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु विकसित माड्यूल ' किलकारो ' का उपयोग किया जायेगा। प्रशिक्षण में बच्चों में संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक अभिव्यक्ति आदि के विकास हेतु प्रशिक्षण होगा।

(घ) वी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण — डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इण्टर कालेज में संचालित कक्षा ६-८ के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है इस बात को ध्यान में रखते हुए वी.आर.सी. और एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की क्षमता में अभिवृत्ति की आवश्यकता है। इसके लिये वी.आर.सी. और एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित कर उपयोग किया गया। वी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. सेवारत अध्यापकों के लिये आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा समय-समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना ईसीसीई तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के लिये विकसित किये गये माड्यूल के आधार पर भी उनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे वी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. अपने अपने क्षेत्रों में अनुश्रवण और सहयोग कर सकें।

(ङ:)

ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्रशिक्षण — जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में एबीएसए तथा एसडीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। एबीएस

ए.एस.डी.आई के लिये अनुबोधोत्थमक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा । जिसके मुख्य बिन्दु निम्न है— —

अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियन्त्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, वी.आर.सी./ए.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई केन्द्रों, ई.जी.एस केन्द्रों आदि का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन।

(च)

ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण — स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर शतप्रतिशत बालिकाओं का नामांकन करने, ग्राम शिक्षा योजना बनाकर उसको कार्यान्वित करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जा रहे हैं। ए.एस.ए के अन्तर्गत नव चयनित ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष २००४-०५ में आयोजित किया जायेगा। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्रशिक्षित ग्राम शिक्षा समितियों का पुनर्बोधोत्थमक प्रशिक्षण ए.एस.ए. के अन्तर्गत वर्ष २००३-०४ में शुरू किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर सीमेट, ए.एस.सी.ई. आर.टी. के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा । ग्राम शिक्षा समितियों के लिये ३ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं समुदाय के जागरूक व्यक्तित्व भाग लेंगे। —

ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य, महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, माडल कल्सटर एग्रीच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों के और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, में कार्य करेंगे। इसी क्षेत्रों में डबलू.ए.जी., ए.पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के स्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आँकड़ों और स्कूल विकास योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास समुदाय के माध्यम से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने, विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति को जात कर उनको प्रवेश दिलाने का प्रयास किये जाते है । इस प्रकार विद्यालय के कार्यों में समुदाय की भागीदारी के माध्यम से बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

(छ)

ए.एस.ए परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण — सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डी.पी.ई.पी. अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित कराया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा जिसके अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्य योजना की रणनीतियों के सम्बन्ध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । आने वाले वर्षों में

आवश्यकतानुसार पुनर्बोधोत्थमक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। सभी प्रकार के प्रशिक्षणों, अनुभवों की विभिन्न स्तरों पर सहभागिता की जायेगी तथा उनका अभिलेखन भी किया जायेगा ।

डाइट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी सारणी द्वारा निम्नवत प्रदर्शित हैं —

सारणी ९.५

| क्रमांक | कार्यक्रम | प्रतिभागीगण | अवधि |
|---------|--|--|----------|
| १ | विजानिंग कार्यशाला | डाइट संकाय के सदस्य, डी.पी.ओ. म. टाफ. ए. वी. एम. ए., एम. डी. आई., वी. आर. सी.। | ८ |
| २ | शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | चुने हुए प्रशिक्षक | १० |
| ३ | शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण अ. आधारभूत प्रशिक्षण ब. रिफ्रेशर प्रशिक्षण | शिक्षा मित्र/आचार्यजी | ३० १५ |
| ४ | वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण अ. आधारभूत प्रशिक्षण ब. रिफ्रेशर प्रशिक्षण | अनुदेशक | ३० १५ |
| ५ | वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण | बीआरसी., एनपीआरसी., समन्वयक | ३ |
| ६ | ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण | ईसीसीई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा महायिकाओं का प्रशिक्षण | ३ |
| ७ | बीआरसी./एनपीआरसी. समन्वयकों का प्रशिक्षण | बीआरसी., एनपीआरसी., समन्वयक | ३ |
| ८ | मेनारन शिक्षक प्रशिक्षण | समस्त अध्यापक/अध्यापिका, प्रा० व उ० प्रा० स्तर | २० |
| ९ | बहुकक्षा शिक्षा आधारित प्रशिक्षण | प्राथमिक स्तर के शिक्षक | ३ |
| १० | टीएलएम. के उपयोग पर प्रशिक्षण | " " | ३ |
| ११ | समस्या/गुना प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षण | स. व. शि. अ. समन्वयक, एनपीआरसी. व बीआरसी. | ३ |
| १२ | शैक्षिक अनुसमर्थन हेतु प्रशिक्षण | " " | ३ |
| १३ | आंगनवाड़ी/ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण | आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व महायिका | १० |
| १४ | शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन | समस्त प्रा. व उ. प्रा. स्तर के अध्यापक/अध्यापिका | ५ |
| १५ | गणित, भाषा, विज्ञान एवं अंग्रेजी का प्रशिक्षण | समस्त उ. प्रा. स्तर के अध्यापक/अध्यापिका | २० |

| | | | |
|----|---|---|----|
| १६ | ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई का प्रशिक्षण | ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई | ५ |
| १७ | ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी.का प्रशिक्षण | बी.आर.जी.के सदस्य | ३ |
| १८ | कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण | डायट स्टाफ, उ.प्रा.विद्यालयोंके चयनित शिक्षक | ३० |
| १९ | संघा पूर्वागम प्रशिक्षण | नयनियुक्त महायक अध्यापक प्रा०वि० | १० |
| २० | नेतृत्व प्रशिक्षण | प्र०अ० पद पर प्रानन्त प्राप्त करने वाले शिक्षक | ५ |
| २१ | एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण | डायट स्टाफ, समन्वयक, बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. एवं समस्त अध्यापक | ५ |
| २२ | कार्यानुभव प्रशिक्षण | बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित उच्च प्रार्थमिक विद्यालय के शिक्षक | ५ |
| २३ | अकार्यात्मक सदस्य समूह की क्षमतागत विकास कार्यशाळा | बी.आर.जी.के सदस्य | ५ |
| २४ | श्रव्य दृष्टि माध्यम के उपयोग संबंधी कार्यशाळा | बी.आर.सी. समन्वयक एवं चयनित विद्यालयों के शिक्षक | ० |
| २५ | शिक्षक संदर्शिका के उपयोग संबंधी कार्यशाळा | समस्त प्र०अ० प्रा०विद्यालय | ० |
| २६ | संस्थागत विकास कार्यशाळा | डायट के सदस्य | ३ |

शिक्षण अवधि को बढ़ाना —प्रति माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया जा रहा है जिसका उपयोग अधिकांश

विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में २२० दिन कुल कार्य दिवस के लिये खुलता है। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में होता है तथा १६५ दिवस शिक्षण दिवस के लिये होते हैं।

सारणी ९.६

| क्रम संख्या | कार्य दिवस का विवरण | माध्यमिक स्तर | उच्च प्रा० स्तर |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| १ | कुल कार्य दिवस | २२० | २२० |
| २ | शिक्षण दिवस | १६५ | १६५ |
| ३ | परीक्षा | २० | २० |
| ४ | अन्य कार्य | १५ | १५ |
| ५ | नष्ट हो जाने वाले दिन | १० | १० |
| ६ | समुदाय से सम्पर्क | १० | १० |

स्रोत — डायट, फैजाबाद ।

विद्यालय समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय—

सारणी ९.७

| क्रम संख्या | विषय का नाम | प्राथमिक स्तर का समय | उच्च प्रा० स्तर का समय |
|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| १ | भाषा — १ हिन्दी | ४०मिनट— ५ | ४०मिनट— ६ |
| २ | भाषा — २ अंग्रजी | ६०मिनट— ३ | ६०मिनट— ६ |
| ३ | भाषा — ३ संस्कृत | ४०मिनट— ३ | ४०मिनट— ६ |
| ४ | विज्ञान | ६०मिनट— ६ | ६०मिनट— ६ |
| ५ | गीणत | ६०मिनट— ५ | ६०मिनट— ५ |
| ६ | सामाजिक | ४०मिनट— ४ | ४०मिनट— ६ |
| ७ | समाजोपयोगी कार्य | ४०मिनट— ५ | ४०मिनट— ३ |
| ८ | कला शिक्षण | ४०मिनट— ३ | ४०मिनट— ३ |
| ९ | शारीरिक शिक्षा/अन्य प्रशिक्षण | ६०मिनट— ६ | ६०मिनट— ३ |
| | योग | ४८ | ४८ |

पाठ्य सामग्री — डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई २००० के सत्र में लागू किया गया, जिनका उपयोग वर्ष २००५ तक जारी रहेगा। एस.सी.ई. आर.टी. उ०प्र० द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों का यथा संशोधन किये जाने पर तदनुसूचित पाठ्यपुस्तकों के वितरण की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक संदर्शिकाएँ जो डी.पी.ई.पी. III के अन्तर्गत विकसित थीं, उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गई है।

किशोरी बालिकाओं के लिए सामग्री — सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सर्वोत्तम कार्यक्रमों में उ० प्रा० स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएँ जीवनोपयोगी कौशलों का भरपूर एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिसके लिए शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका —

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना — डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा, गुणवत्ता सर्वोत्तम के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएँ विकसित की जायेगी। जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमूर्खीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों, जो क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, अनुश्रवण, सामग्री विकास, इ.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वहण किया जायेगा।

क्षमता विकास करना — जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक, उ० प्रा० शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी.ई.सी. प्रशिक्षण, ई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए संस्थागत क्षमता, विकास कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढीकरण— जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा—प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने के लिये अकादमिक संसाधन

समूह गठित किया गया है, जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त, बाह्य विशेषज्ञ, शिक्षा विद, योग्य शिक्षक, आदि हैं।

गुणवत्ता सुधार में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता — सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है, उनका सहयोग डायट की क्षमता के विकास, अकादमिक संदर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर बी.आर.सी. समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं का विकास करने में लिया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण — संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उ०प्रा०कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।

शिक्षण सामग्री का विकास करना — शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन.पी.आर.सी. द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रतिवर्ष रू० ५००/ अनुदान के रूप में दिया गया है, जिससे शिक्षक आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में व्यय करेंगे। इसके अतिरिक्त आपरेशन ब्लैकबोर्ड में प्राप्त विज्ञानकिट का उपयोग भी सुनिश्चित किया गया है। न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगाई जायेगी। पुनः जिला स्तर पर डायट में कार्य शाला आयोजित कराई जायेगी, जिससे अध्यापकों के अन्दर निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री — सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग पर आधारित कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर कार्यरत समस्त अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों तथा वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रति विद्यालय तीन अध्यापकों को टी०एल०एम० अनुदान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत है —

| वर्ष | २००३-०४ | २००४-०५ | २००५-०६ | २००६-०७ |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| प्राथमिक स्तर पर अध्यापक संख्या | — | ५६५१ | ५७७६ | ५८६२ |
| पूर्व माध्यमिक स्तर पर अध्यापक संख्या | — | १३७२ | १४६१ | १५५५ |

कार्यशाला गोष्ठियों का आयोजन — प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिये कार्यशालायें एवं गोष्ठियां डायट पर की जायेगी। वर्तमान में डी.पी.ई.पी. के अधीन न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। निम्नांकित विषय पर कार्यशालाएं, गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं—

१. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की विधाओं का शिक्षण में प्रभावी उपयोग।
२. शिक्षक संदर्शिकाओं एवं नवीन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग।
३. बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेरिंग।
४. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
५. विज्ञान शिक्षण हेतु अध्यापकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।
६. छात्र-छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
७. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा-कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन — जनपदीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्य क्रमों को प्रभावी बनाने हेतु शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अध्यापकों एवं समन्वयकों को एक्शन रिसर्च संबंधी प्रशिक्षण सीमैट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास-रूम आब्जर्वेशन स्टडी भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च — जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पंद्रहवीं कार्यशालायें आयोजित की जायेगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमैट, इलाहाबाद और एससीईआरटी, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बीआरसी, एनपीआरसी को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूति समस्याओं के निदान हेतु स्वयं अपनी कार्ययोजना बनायें और समाधान ढूँढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को एन.पी.आर.सी. से विद्यालय स्तर तक ले जाया जायेगा। शोध मुख्यतः शिक्षण प्रबन्धन, शिक्षण, प्रसाशन, शिक्षण में समुदाय की भूमिका, शैक्षिक सूचना प्रणाली आदि से संबंधित होंगे।

आंकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग — ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी

गिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इंडीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा, जिससे उनका उपयोग नियोजन और क्रियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली — छात्रों के मासिक, वार्षिक मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है उसका सुधार अपेक्षित है। कक्षा ५ की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर तथा ८ की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर होनी चाहिए, जिसके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है अन्तिम स्वरूप प्रदान कर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसका उपयोग किया जायेगा, जो जुलाई २००१ से आरम्भ है।

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका — अकादमिक सुपरविजन में डायट बीआरसी., एनपीआरसी तथा जिला समन्वयकों, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

डायट में एआरजी के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा तैयार किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण कार्यों का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से शैक्षिक कार्य का विकास किया जाता है। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त अब अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इन्टर कालेज में ६-८ कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। वैकल्पिक शिक्षा ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्र पहले से ही अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में थे।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की गुणवत्ता के विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायटस्तर पर किया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत चलाई गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जा सके। डायट के मेन्टरो के द्वारा विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य की सफलता के आधार पर श्रेणीकरण किया जाना है तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों के संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उनपर विशेष बल दिया जाता है।

बी०आर०सी० की भूमिका — ब्लॉक स्तर पर स्थापित यह संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करते हैं तथा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं—

१. प्रशिक्षणों का आयोजन, नियोजन, प्रबन्धन आदि।
२. अनुसमर्थन एवं गुणवत्ता संवर्धन।
३. कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन।
४. मैटेरियल मेलों, विज्ञान मेलों का आयोजन।
५. संदर्भ व्यक्तियों की पहिचान।
६. बाल अखवार एवं मासिक पत्रिका का प्रकाशन।
७. विद्यालय/न्याय पंचायत श्रेणीकरण
८. शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षा का सहयोग प्रदान करना।

एन०पी०आर०सी० की भूमिका —

१. वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।
२. अध्यापक का मासिक प्रशिक्षण आयोजन।
३. वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. आदि का भ्रमण।
४. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।
५. शैक्षिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली का संकलन।
६. विद्यालय का भ्रमण करके विद्यार्थी व शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि।
७. शोध एवं मूल्यांकन हेतु शिक्षकों का सहयोग।
८. स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का अनुश्रवण।
९. अभिभावक, शिक्षक तथा बच्चों के लिए ग्राम केन्द्र।

नवाचार कार्यक्रम — डायट द्वारा जनसमुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति है, के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसायी के बच्चों, ग्राम प्रधान, ब्लॉक संदर्भ समूह के सदस्य, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक, उ०प्रा०वि० के प्र०अ० के साथ विचारोपरान्त संज्ञान में आया कि जो बालक व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय नहीं जाते हैं या जिन्होंने प्रा० स्तर के बाद पढ़ाई बंद कर दिया है, उन्हें पुनः विद्यालय लाने के लिए कौशल विकास में दक्ष करने हेतु कार्यानुभव प्रशिक्षण का आयोजन किया जाय। ऐसे ही जो बालिकाएं विद्यालय नहीं जाती हैं, उनकी इच्छानुसार फैशनडिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, फूड प्रिजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण दिया जाय। बालिकाओं के लिए कार्यानुभव कार्यक्रम अत्यन्त सहायक होगा। स्वावलंबी शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करने का प्रयास किया जाय। कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ाना — ग्राम शि.स.के द्वारा समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम शिक्षासमिति की विद्यालयी क्रियाकलापों में अर्हति के कारण

बच्चों के सम्प्राप्ति के संबंध में समुदाय का कोई प्रभावी योगदान नहीं होता इसलिए समुदाय के लोगों को अधिक संख्या में बैठक में प्रतिभाग करने की आवश्यकता है। समय-समय पर अभिभावकों को इनकी उपलब्धि से अवगत कराया जाय, जिससे अच्छे कार्यकर्ताओं का विद्यालय शिक्षण में सहयोग मिल सकेगा तथा गुणवत्ता सम्बर्द्धन में समुदाय की भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण — डायट, फैजाबाद में सृजित एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नवत् है —

सारणी ९.९

| क्रमांक | पद | सृजित | कार्यरत | रिक्त |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| १ | प्राचार्य | १ | ० | १ |
| २ | उपप्राचार्य | १ | ० | १ |
| ३ | वरिष्ठ प्रवक्ता | ६ | २ | ४ |
| ४ | प्रवक्ता | १७ | १३ | ४ |
| ५ | कार्यानुभव शिक्षक | १ | १ | ० |
| ६ | तकनीकी सहायक | १ | १ | ० |
| ७ | सांख्यिकीकार | १ | १ | ० |
| ८ | प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्रा०वि० के शिक्षकों की संख्या | ८ | ० | ८ |
| | योग | ३२ | १८ | १४ |

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास संबंधी विवरण — संकाय के सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने की परमावश्यक है, जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन में तथा दैनिक कार्यों के सम्पादन में सुविधा हो सके।

१. कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाय।
२. टी.ओ.टी. प्रशिक्षण दिया जाय।
३. क्रियात्मक शोध संबंधी प्रशिक्षण दिया जाय।
४. समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाय।
५. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाय।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन व्यवस्था — सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विकासखण्ड/

न्याय पंचायत तथा ग्रामीण स्तरीय अभिकर्मियों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जनपद में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्यों के लिए दो बी.आर.सी. रूपये १००००/-की दर में तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक एन.पी.आर.सी. रू०७०००/- की दर से पुरस्कार प्राप्त करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड के दो ग्राम शिक्षा समितियों को रू० १५०००/- तथा रू०१००००/- की दर से पुरस्कृत किया जाएगा। रू० ५०००/- अच्छे पठन-पाठन हेतु शिक्षक को भी दिया जाएगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता — शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही और वार्षिक परीक्षा के बाद विद्यालयी समारोह में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य तथा अभिभावक प्रतिभाग करेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति बढ़ाने में सहयोग करेंगे।

आवर्तक प्रतिवर्ष —

सारणी ९.१२

| क्रमांक | मद का नाम | अनुमानित बजट(लाख में) |
|---------|---------------------------|-----------------------|
| १ | क्रियात्मक शोध एवं अध्ययन | २ |
| २ | कार्यशाला / सेमीनार | ० |
| ३ | प्रकाशन एवं मुद्रण | ४ |
| ४ | कन्टीजेन्सी | १ |
| ५ | वाहन रखरखाव एवं पी.आ.एल. | ५ |
| | योग | १० |

क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

जनपद फैजाबाद वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।।। से आच्छादित है। इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन, गुणवत्ता में सुधार, एवं पहुँच में विस्तार जैसे उद्देश्योंको प्राप्त किया जाना है, सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना यद्यपि कि वर्तमान व्यवस्था की सम्पूर्ण व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी परन्तु इसके कार्य क्षेत्र में केवल प्राथमिक स्तर ही नहीं बल्कि उच्च प्राथमिक स्तर भी शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान की कार्य अवधि वर्ष २००२ से २००७ तक रखी गयी है। इस अवधि के दौरान ६-१४ सभी वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे। समस्त कार्यक्रमों का प्रबन्धन 'उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद' द्वारा किया जायेगा। यद्यपि कि परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा फिर भी व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबन्धन का आधार लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर आधारित होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। परियोजना की समीक्षा एवं समयानुकूल रणनीतियों में परिवर्तन, प्रबन्धन के कार्यक्षेत्र में होगा लेकिन किसी प्रकार का परिवर्तन जन सहभागिता पर आधारित होगा। संपादित किये गये कार्यक्रमों का अनुश्रवण दिन प्रतिदिन किया जायेगा। शिक्षा के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अध्यापकों व छात्रों की उपास्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी। निर्णायक समितियाँ सर्व शिक्षा अभियान की प्रबन्ध पक्ति सहायक अकादमिक संस्थाएं साधारण सभा और कार्यकारिणी राज्य परियोजना कार्यालय एस.सी.ई.आर.टी.

समिति यू०पी०ई०एफ०

एस०आई०ई०एम०ए०टी०

ए०पी०बी०

एस०आई०ई०टी०



एन०जी०ओ०आदि

जिला शिक्षा परियोजना समिति

जिला परियोजना कार्यालय

डायट, एन.जी.ओ.आदि



क्षेत्र विकास समिति



ब्लॉक शिक्षा अधिकारी



ब्लॉक संसाधन केन्द्र



ग्राम शिक्षा समिति → विद्यालय प्रधानाध्यापक/अध्यापक

← संकुल संसाधन केंद्र

प्रबन्ध तन्त्र, संवेदन शील और लचीली प्रणाली :—

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली विकसित करने वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ० प्र० सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया है जिसका संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।

ग्राम शिक्षा समिति :—

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२ यथा संशोधित वर्ष २००० के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसका स्वरूप निम्नवत है —

१. ग्राम पंचायत का प्रधान —अध्यक्ष।
२. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम प्र०अ० ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।
३. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे, सदस्य होंगे।

अधिकार एवं दायित्व :— —ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी—

- क. ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबन्धन करना।
- ख. ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, शिक्षा, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।
- ग. पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।
- घ. बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना।

- ड. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाँय।
- च. पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित बेसिक स्कूल के अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- छ. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे कार्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाय।
- ज. शिक्षा को गुणवत्ता परक कराने हेतु सहयोग एवं निर्देश देना।
- ज. सभी छात्रों को स्कूल लाना एवं ड्राप आउट को कम करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय प्रबन्धन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कार्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समय वद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रो प्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार का वितरण एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र :—इस जनपद में ५० न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ०प्र०—सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद (डी.पी.ई.पी.।।।) के अन्तर्गत कराया जा चुका है। शेष ८० न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण वर्ष २००१-०२ में प्रस्तावित है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ न्याय पंचायत समन्वयकों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :—

१. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकादमिक निरीक्षण करना।
२. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

३. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
४. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, परिवेश, निर्माण आदि की योजना तैयार कराना।
५. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :- जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सहायक समिति गठित होगी, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण, अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं—

| | |
|--|------------|
| १. ब्लाक प्रमुख | अध्यक्ष |
| २. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक | सदस्य/सचिव |
| ३. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान | सदस्य |
| ४. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक | सदस्य |

अधिकार एवं दायित्व :-

१. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
२. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
३. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
४. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उनके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
५. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
६. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
७. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
८. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
९. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
१०. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सुनिश्चित कराना।
११. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित कराना।

१२. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत कराना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

१३. शिक्षा को गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ-साथ सभी छात्रों का नामांकन एवं ड्राप आउट रोकने में प्रयोग करना।

प्रशासनिक ढांचा ब्लॉक स्तर :—प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लॉक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु डी.पी.ई.पी.।।। के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लॉक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकासखण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख रखाव हेतु नियत धनराशि रू० १८०००.०० प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। जहाँ दो निरीक्षक एक विकास खण्ड में नियुक्त हैं उन्हें यात्रा भत्ता एवं रख रखाव के रूप में रू० १८०००.०० प्रति निरीक्षक होना चाहिए क्योंकि कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में प्रत्येक निरीक्षक को भाग-दौड़ करनी पड़ती है।

ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बी० आर० सी०) :—सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करके संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे। शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी०आर०सी० समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी० आर० सी० को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढीकृत करने की योजना है जिसके लिए प्रत्येक बी०आर०सी० एक लाख रूपये

का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व —

१. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
२. विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
३. विकास खण्ड की अकादमिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
४. ब्लॉक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
५. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्कसूत्र के रूप में कार्य करना।
६. ब्लॉक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
७. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार करना।
८. ब्लॉक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सैम्पल चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :— सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं गणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, २०१०—सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिपद को अन्तर्गत पूर्ण में ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत है — —

| | |
|------------------------------|--------------|
| १. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| २. मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| ३. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| ४. प्राचार्य डायट | सदस्य |
| ५. जिला कार्यक्रम अधिकारी | सदस्य |

| | | |
|-----|---|-------|
| ६. | जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| ७. | वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) | सदस्य |
| ८. | अधि गापी अभियन्ता (आर० ई० एस०) | सदस्य |
| ९. | अभिशापी अभियन्ता (पी० डब्ल्यू० डी०) | सदस्य |
| १०. | जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |
| ११. | दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से जिलाधिकारी द्वारा नामित) | सदस्य |
| १२. | दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम में (एक वर्ष के लिए) | सदस्य |
| १३. | एक शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त) | सदस्य |
| १४. | स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित) | सदस्य |

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :- यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। इस समिति को जनपद स्तर पर आवेक कर निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारित के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्द्धन, निर्माण के लिए, तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए, संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार प्रसार के लिए सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संगठन एवं निदेश के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। ई० जी० एम०/ए० आई० ई० से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के सुचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :- उ० प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७७ के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है। जिसकी संरचना निम्न प्रकार है।

| | | |
|----|---|------------|
| १. | जिला पंचायत अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| २. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| ३. | अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) | सदस्य |
| ४. | जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| ५. | जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |
| ६. | अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उसकी अनुपस्थिति में उप विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |

७. तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्य हों,

जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट

सदस्य

किये जायेंगे

८. विद्यालय उप निरीक्षक

सदस्य/सहायक सचिव

जिला बेसिक शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी --

क. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का प्रशासन करना।

ख. नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

ग. ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार के लिए योजनाएं तैयार करना।

प्रशासनिक तन्त्र :-

जिला परियोजना कार्यालय :- जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्गदर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद 30 प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे ---

१. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

२. सगन्वयक

३. सहायक

४. ई० एम० आई० एस० अधिकारी

५. कम्प्यूटर ऑपरेटर/सांख्यिकी सहायक

६. सहायक लेखाधिकारी

७. लिपिक

८. परिचालक

१. प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर

२. रू० १०,०००/ नियत वेतन पर

१. रू० १०,०००/ नियत वेतन पर

३. रू० ७०००/ नियत वेतन पर

२. प्रति नियुक्ति पर

१. नियत मानदेय के आधार पर

१. नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय

के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्गियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भाँति होगी। निर्माणकार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। मानदेय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भाँति प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु ₹० १०००/ प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केंद्र हेतु ₹० ५००/ तथा प्रति शौचालय हेतु ₹० २००/ की दर से अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाट मानदेय की दर में संशोधन का प्रस्ताव रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय का भुगतान कार्य सन्तोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजुकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेन सिस्टम (ई० एम० आई० एस०) :- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम० आई० एस० स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपट में पूर्व ही एम० आई० एस० डाटा केन्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष १९९७-९८ से २०००-२००१ तक के शैक्षिक आकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए साफ्टवेयर डाटा तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर का उच्चोक्त कराने की व्यवस्था की जायेगी।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना प्रतिवर्ष सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई० एम० आई० एस० के संचालनार्थ एक ई० एम० आई० एस० अधिकारी एवं ३ (तीन) कम्प्यूटर ऑपरेटर/सांख्यिकी सहायक रखे जायेगे। जिससे इस प्रकार की व्यवस्था हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई० एम० आई० एस० के विभिन्न महत्वपूर्ण इन्डिकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके।

ई० एम० आई० एस० अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :- जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई० एम० आई० एस० अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे ---

१. विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण करना।
२. समय से फिल्ड स्टाफ (बी० आर० सी० समन्वयक, एन० पी० आर० सी० समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित करना।
३. माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण करना।
४. भरे हुए पत्रों की सैम्पुल चेकिंग सम्पादित करना तथा परिवर्तन यदि कोई हो अभिलिखित करना।
५. समयबद्ध रूप में दिसम्बर २००१ के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण करना तथा रिपोर्ट तैयार करके राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
६. संकुलवार व विकास खण्डवार जनपद की ई० एम० आई० एस० रिपोर्ट का वि लेक्षण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करना।
७. सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

आकड़ों का उपयोग :- ई० एम० आई० एस० एवं माइक्रोप्लानिंग के आकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जायेगा।

१. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
२. शिक्षा गारण्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
३. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं की आव यकता की पहचान।
४. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
५. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आव यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
६. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
७. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
८. अवस्थापना सम्बन्धी माँग का आंकलन व निर्धारण।
९. शिक्षकों का विवरण।

१०. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

११. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

प्रशिक्षण :- विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक प्रभारी, बी०आर० सी० समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई०एम०आई०एस० सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सैम्पल चेकिंग के लिए भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकड़ों का शत-प्रतिशत सत्यापन हो सके।

१. ई० एम० आई० एस० का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर) —

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

२. ई० एम० आई० एस० का प्रशिक्षण (ब्लॉक स्तर पर) —

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी० आर० सी० समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

३. ई० एम० आई० एस० का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर) —

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन० पी० आर० सी० समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

४. ई० एम० आई० एस० का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर) —

एस० पी० ओ०/ सीमैट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा, इसमें डी० पी० ओ० एवं बी० आर० सी० के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई० एम० आई० एस० प्रबन्धन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

कोहोर्ट स्टडी :- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शत प्रतिशत नामांकन के पश्चात छात्र छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु ड्राप आउट दर जान करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहोर्ट स्टडी करायी जायेगी। कोहोर्ट स्टडी किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा कराकर उसका अनुश्रवण सीमैट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग-अलग की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू० २ लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम :- एस० आई० एस० के द्वारा जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी। यदि कार्यक्रम की प्रगति धीमी है तो उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित करके प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल० ए० सी० आई० के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जा रही है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिए भी एम० आई० एस० प्रयोग में लाया जायेगा।


जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :- गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। सर्व शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे।

१. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर्स/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित करना।
२. शिक्षकों, समन्वयकों ई० सी० सी० ई० तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
३. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
४. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विवेकपूर्ण लेखन तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्ग दर्शन देना।
५. ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।
६. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे करना।
७. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
८. जिले स्तर की अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
९. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड) :- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमैट

के अप्रेजल के पचात एव उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के पश्चात जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए निर्गत की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्तापरक कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी० को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे स्वयं सवी संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समिति, क्षेत्र समिति, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला विसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राविधानित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रू० ५०००/ में आभक्त वित्तीय मामलों के लिए बिना जिलाधिकारी की अनुमति के खर्च नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए भी की गयी है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के सम्बन्धित लेखा अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर संयुक्त खाता का संचालन किया जायेगा। जिसका संचालन उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्तीय सन्दर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित हैं। जिसमें क्रय विक्रय सन्दर्शिका के नियमों के अनुसार ही किये जायेंगे। सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा स्टाफ को प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में ही सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रवन्धन प्रणाली के अनुसार दिया जायेगा, तथा समय समय पर रिफ्रेश कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जायेगी जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

राज्य परियोजना कार्यालय



२. ग्राम शिक्षा समिति

३. अध्यापक

४. स्वयं सेवी संस्था आदि

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :- —सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक लेखे—जोखे का आडिट कराया जायेगा, जो ३० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे—जोखे का स्वतन्त्र सम्प्रेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से कराया जायेगा। लेखे जोखे का सत्यापन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्मस आफ रिफरन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, ३० प्र० इलाहाबाद द्वारा प्रति वर्ष किया जायेगा। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :- परियोजना का निर्धारित लक्ष्य जैसे— शत प्रतिशत नागांकन, ठहराव, गुणवत्तापरक शिक्षा आदि के अनुरूप मूर्ति चत करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी० आर० सी० समन्वयको की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें क्षेत्र में आने वाली परियोजना सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा की जायेगी और व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण करते हुए स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा।

इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी० आर० सी० समन्वयको की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यों में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करके समाधान की आव यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय की मासिक बैठक में रखा जायेगा और आव यक निर्देश प्राप्त किया जायेगा। साथ ही साथ समय—समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्य शालाओं का भी आयोजन किया जायेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराइज्ड पी० एम० आई० एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसका वि लेषण करके निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई० एम० आई० एम० डाटा के वि लेषण से प्राप्त इंडीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों एवं प्राप्त विभिन्न इण्डिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना प्रस्तावित की जायेगी।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

| क्रम सं. | विभाग | अपेक्षित कार्यवाही |
|----------|----------------------|--|
| 1. | नगर विकास विभाग | असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना। |
| 2. | ऊर्जा विभाग | ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। |
| 3. | विकलांग कल्याण विभाग | <ul style="list-style-type: none"> • District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ट विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताएं हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना। |
| 4. | श्रम विभाग | <ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना। |
| 5. | आई.सी.डी.एस. विभाग | <p>भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत-प्रतिशत आच्छादन हेतु।</p> <p>➤ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है।</p> <p>अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।</p> |
| 6. | पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग | <ol style="list-style-type: none"> 1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना। |
| 7. | युवा कल्याण | <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु |

| | | बच्चे। |
|-----|---|--|
| 8. | प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल-कल्याण विभाग) | शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके। |
| 9. | सूडा | शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी.एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना। |
| 10. | समाज कल्याण विभाग | विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना। |
| 11. | स्वैच्छिक संस्थाएँ एवं अन्य सामाजिक संगठन | शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत-प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना |

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - FAIZABAD

(Rs. In Thousand)

| S. No. | Head | Spillover | | Approved Unit Cost | Fiscal Proposals 2003-04 | | Total Proposals | | Remark |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|
| | | Physical | Financial | | Physical | Financial | Physical | Financial | |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| (I) | BRC | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 1 | Dist Coordinator (No.) @ 9 for 12 Months | | | 9.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 Month |
| 2 | Furniture/Fixture & Equipments | | | 10.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Travelling Allowance & Meeting | | | 6.00 | 11 | 66.00 | 11 | 66.00 | |
| 4 | Maintenance of equipments | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5 | Maintenance of building | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 6 | PM | | | 5.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | |
| 7 | Contingency | | | 12.50 | 11 | 132.50 | 11 | 132.50 | |
| | TOTAL BRC | 0 | 0.00 | | 33 | 258.50 | 33 | 258.50 | |
| (II) | CRC | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 8 | Furniture/Fixture & Equipments | | | 5.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 9 | Salary Coordinator @ 12 for 12 Months | | | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 Month |
| 10 | TLA | | | 1.00 | 130 | 130.00 | 130 | 130.00 | |
| 11 | Contingency | | | 2.50 | 130 | 325.00 | 130 | 325.00 | |
| 12 | Meeting & TA | | | 2.40 | 130 | 312.00 | 130 | 312.00 | 12 Month |
| | TOTAL CRC | 0 | 0.00 | | 390 | 767.00 | 390 | 767.00 | |
| (III) | CIVIL WORKS | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 13 | New Primary School | | | 259.00 | 63 | 16317.00 | 63 | 16317.00 | Soil Handpump |
| 14 | New Upper Primary School | 22 | 1496.00 | 280.00 | 105 | 29400.00 | 122 | 30896.00 | Soil Handpump |
| 15 | Additional Classrooms PS | | | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Additional Classrooms UPS | | | 70.00 | 19 | 1330.00 | 19 | 1330.00 | |
| 17 | Toilets PS | | | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Toilets UPS | | | 10.00 | 80 | 800.00 | 80 | 800.00 | |
| 19 | Reconstruction PS | | | 191.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Reconstruction UPS | | | 383.00 | 7 | 2681.00 | 7 | 2681.00 | |
| 21 | Drinking Waters PS | | | 15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 22 | Drinking Waters UPS | | | 15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 23 | Repair PS | | | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 24 | Repair UPS | | | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 25 | Updation of Microplanning | | | 250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | TOTAL CIVIL WORKS | 22 | 1496.00 | | 274 | 50528.00 | 296 | 52024.00 | |
| (IV) | EGS (.845*25*No. of EGS Centres) | | | | | | | | |
| | TOTAL EGS | 0 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| (V) | AIE | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 31 | AIE (P.S.) (0.815x25xNo.) | | | 0.815 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 32 | AIE (U.P.S.) (1.2x20xNo.) | | | 1.20 | 22 | 792.00 | 22 | 792.00 | |
| 32.1 | Bridge Course at HPRC level (0.815x40xNo.) | | | 0.845 | 130 | 4394.00 | 130 | 4394.00 | |
| 33 | Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.) | | | 3.000 | 1 | 180.00 | 1 | 180.00 | |
| | TOTAL AIE | 0.00 | 0.00 | | 153.00 | 5366.00 | 153.00 | 5366.00 | |
| | TOTAL EGS/AIE | 0 | 0.00 | | 153 | 5366.00 | 153 | 5366.00 | |
| (VI) | FREE TEXT BOOKS | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 34 | Free Text Books PS | | | 0.05 | 2406 | 120.30 | 2406 | 120.30 | |
| 35 | Free Text Books UPS | | | 0.15 | 56004 | 8400.60 | 56004 | 8400.60 | |
| | TOTAL Text Book | 0 | 0.00 | | 58410 | 8520.90 | 58410 | 8520.90 | |
| (VII) | IED | | | | | | | | |
| | TOTAL IED | 0 | 0.00 | 1.20 | 1535 | 1842.00 | 1535 | 1842.00 | |
| | INNOVATIVE ACTIVITIES | | | | | | 0 | 5000.00 | |
| | TOTAL Computer Education | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | TOTAL ECCG | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | TOTAL Girls Education | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | TOTAL SC/ST Intervention | | | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | TOTAL Innovative Activities | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | |
| (XII) | MAINTENANCE | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 57 | P.S. | | | 5.00 | 1093 | 5465.00 | 1093 | 5465.00 | |
| 58 | U.P.S. | | | 5.00 | 173 | 865.00 | 173 | 865.00 | |
| | TOTAL Maintenance | 0 | 0.00 | | 1266 | 6330.00 | 1266 | 6330.00 | |
| (XIII) | DPO | | | | | | | | |
| | Management Cost | 0.00 | 0.00 | | | 1980.00 | 0 | 1980.00 | |
| (XIV) | RESEARCH, MONITORING & EVALUATION | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 71 | P.S. | | | 1.30 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 72 | U.P.S. | | | 1.30 | 195 | 273.00 | 195 | 273.00 | |
| | TOTAL Research, Monitoring & Evaluation | 0 | 0.00 | | 195 | 273.00 | 195 | 273.00 | |
| (XV) | SCHOOL GRANT | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 73 | School Improvement Grants PS @ 2 | | | 2.00 | 23 | 46.00 | 23 | 46.00 | |
| 74 | School Improvement Grants UPS @ 2 | | | 2.00 | 320 | 640.00 | 320 | 640.00 | |
| | Total School Grant | 0 | 0 | | 343 | 686.00 | 343 | 686.00 | |

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - FAIZABAD

(Rs. In Thousand)

| Head | Spillover | | Approved Unit Cost | Fresh Proposals 2003-04 | | Total Proposals | | Remark |
|---|-----------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | Physical | Financial | | Physical | Financial | Physical | Financial | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03) | | | | | | | | |
| Salary of Asstt Teacher PS | | | 9.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 Months |
| Salary of Asstt Teacher UPS | | | 10.00 | 66 | 7920.00 | 66 | 7920.00 | 12 Months |
| Salary of Additional Teachers PS | | | 8.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 Months |
| Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25 | | | 2.25 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 Months |
| TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (| 0 | 0.00 | | 66 | 7920.00 | 66 | 7920.00 | |
| SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04) | | | | | | | | |
| Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.) | | | 9.00 | 63 | 3402.00 | 63 | 3402.00 | 6 Months |
| Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (U.P.S.) | | | 10.00 | 315 | 18900.00 | 315 | 18900.00 | 6 Months |
| Salary of Additional Teachers (PS) | | | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 Months |
| Salary of Fresh SM (PS) | | | 2.25 | 63 | 850.50 | 63 | 850.50 | 6 Months |
| Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR | | | 2.25 | 1532 | 20682.00 | 1532 | 20682.00 | 6 Months |
| TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (| 0 | 0.00 | | 1973 | 43834.50 | 1973 | 43834.50 | |
| TOTAL TEACHERS' SALARY | 0 | 0.00 | | 2039 | 51754.50 | 2039 | 51754.50 | |
| I) TEACHER GRANT (TLM) | | | | | | | | |
| Teacher Grants PS @ 0.5 | | | 0.50 | 190 | 95.00 | 190 | 95.00 | |
| Teacher Grants UPS @ 0.5 | | | 0.50 | 2069 | 1034.50 | 2069 | 1034.50 | |
| TOTAL Teacher Grant | 0 | 0.00 | | 2259 | 1129.50 | 2259 | 1129.50 | |
| J) TEACHING LEARNING EQUIPMENTS | | | | | | | | |
| TLE PS @10 | | | 10.00 | 63 | 630.00 | 63 | 630.00 | |
| TLE UPS @50 | 22 | 1100.00 | 50.00 | 105 | 5250.00 | 127 | 6350.00 | |
| TLE UPS @50 Not covered under OBB | 46 | 2300.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 46 | 2300.00 | |
| TOTAL Teaching Learning Equipments | 68 | 3400.00 | | 168 | 5880.00 | 236 | 9280.00 | |
| K) TEACHER TRAINING | | | | | | | | |
| Induction Training of SM for 30 days @ Rs.70/- per day | | | 0.07 | 35 | 73.50 | 35 | 73.50 | |
| In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per | | | 0.07 | 187 | 261.80 | 187 | 261.80 | |
| Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day | | | 0.07 | 944 | 991.20 | 944 | 991.20 | |
| TOTAL Teacher Training | 0 | 0.00 | | 1166 | 1326.50 | 1166 | 1326.50 | |
| L) STRENGTHENING OF VEC | | | | | | | | |
| VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons | | | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL Strengthening of VEC | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| II) EMIS CELL | | | | | | | | |
| TOTAL EMIS Cell | 0 | 0.00 | | | 244.00 | 0 | 244.00 | |
| III) STRENGTHENING OF DIET | | | | | | | | |
| TOTAL DIET | 0 | 0.00 | | | | 0 | 0.00 | |
| GRAND TOTAL | 0 | 4896.00 | | | 141885.90 | | 146781.90 | |

